लोक सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

14-10-92

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 16, मंगलवार, 14 मार्च, 1978/23 फाल्गुन, 1899 (शक)

No. 16, Tuesday, March 14, 1978/Phalguna 23, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	1—14
तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 288	Starred Questions Nos. 285 to 288	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	14—132
तारांकित प्रश्न संख्या 289 से 304	Starred Question Nos. 289 to 304	
अतारांकित प्रश्न संख्या 2687 से 2737, 2739 से 2751, 2753 से 2783, 2785 से 2810 और 2812 से 2886	Unstarred Question Nos. 2687 to 2737, 2739 to 2751, 2753 to 2783, 2785 to 2810 and 2812 to 2886	
प्रश्नों के बारे में	Re. Questions	132
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	133—134
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of urgent Public importance—Reported steep fall in price of jaggery—	134-137
गुड़ मूल्यों में गिरावट का समाचार—		
श्री पी० राजगोपाल नायडु	Shri P. Rajagopal Naidus	134
श्री भानु प्रताप सिंह	Shri Bhanu Pratap Singh	135
भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 के बारे में वक्तय —	Statement re. National Library of India Act, 1976	137—139
डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र	Dr. Pratap Chandra Chunder	137
अल्वा समिति के प्रतिवेदन की पूर्व जानकारी मिल जाने के बारे में	Re. Leakage of Alva Committee Reports	140
नियम 377 के अधीन मामले	Matters under Rule 377—	140—141
(एक) विभिन्न पत्तनों पर सीमेंट से भरे जहाजों को ठहराने की सुविधाएं प्रदान करने में विलम्ब का समाचार	(*i*) Reported delay in providing berthing facilities for vessels carrying cement at various ports	
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	140
(दो) धुले (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिल में आग लगना	(*ii*) Fire in National Textiles Corporation's Mill at Dhule (Maharashtra)	
श्री आर० के० महालगी	Shri R. K. Mhalgi	140

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign † marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
(तीन) पानीपत की सहकारी चीनी मिल और शराब के कारखाने में तालाबन्दी की संभावना	(*iii*) Likely lock out in Cooperative Sugar Mill and Distillery of Panipat.	
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा	Shri Purna Narayan Sinha	140
(चार) महाराणा क्लाथ मिल, पोरबन्दर (गुजरात) के बन्द होने का समाचार	(*iv*) Reported Closure of Maharana Cloth Mill of Porbandar (Gujarat)	
श्री धर्मसिंह भाई पटेल	Shri Dharma Singhbhai Patel	141
(पांच) रायपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के भारी संख्या में जमाव का समाचार	(*v*) Reported staying of a large number of East Bengal Regufees at Raipur Railway Station	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	Dr. Laxminarayan Pandeya	141
सामान्य बजट, 1978-79—	General Budget, 1978-79—	141—155
सामान्य चर्चा	General Discussion	
श्री यशवंत बोरेले	Shri Yashwant Boroles	141
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai	144
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	146
श्री निर्मल चन्द्र जैन	Shri Nirmal Chandra Jain	147
श्री एम० एन० गोविन्दन नायर	Shri M. N. Govindan Nair	147
श्री विजय सिंह नाहर	Shri Bijoy Singh Nahar	149
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathes	150
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	151
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	Shri Jagdish Prasad Mathur	152
डा० वी० ए० सईद मोहम्मद	Dt. V. A. Seyid Mohammed	153
श्री स्कारिया थोमस	Shri Skariah Thomas	154
श्री श्याम सुन्दर दास	Shri S. S. Das	155

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 14 मार्च, 1978/23 फाल्गुन, 1899 (शक)
Tuesday, March 14, 1978/Phalguna 23, 1899 (Saka)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नई रेलवे लाईनों का बिछाया जाना

*285. **श्री रणजीत सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जिनके लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भूतपूर्व रेल मंत्रियों (उनके नाम सहित) ने शिलान्यास किये थे;

(ख) इनमें से उन रेलवे लाइनों के नाम क्या हैं जिन पर कार्य वास्तव में आरम्भ हो गया है;

(ग) इनमें से उन रेलवे लाइनों पर काम आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिन पर अभी तक काम आरम्भ नहीं हुआ है; और

(घ) क्या वर्ष 1978-79 (वार्षिक बजट में नंगल-तलवाड़ा) रेलवे लाइन को बिछाने के लिये पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था करने का विचार है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उन परियोजनाओं के नाम दिये गये हैं जिनकी नींव मार्च 1977 को समाप्त होने वाली विगत दस वर्ष की अवधि के दौरान भूतपूर्व रेल मंत्रियों द्वारा रखी गयी थी।

इनके संबंध में जो सूचना तत्काल उपलब्ध है, वह इस प्रकार है :—

क्र० सं०	लाइन का नाम	मंत्री जी का नाम जिन्होंने नीव रखी थी
1.	प्रतापगंज-फारबीसगंज मीटर लाइन को फिर से बिछाना	श्री ललित नारायण मिश्र
2.	सरायगढ़-प्रतापगंज	श्री ललित नारायण मिश्र
3.	सकरी-हसनपुर	श्री ललित नारायण मिश्र
4.	झंझारपुर-लौकहाबाजार	श्री ललित नारायण मिश्र
5.	नंगल डैम-तलवाड़ा	श्री ललित नारायण मिश्र

(ख) निम्नलिखित तीन लाइनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है :—

1. प्रतापगंज-फरबीसगंज
2. सारयगढ़-प्रतापगंज
3. झंझारपुर-लौकहाबाजार

(ग) और (घ) हसनपुर-सकरी लाइन एक अनुमोदित निर्माण कार्य है और ज्योंही इस काम के लिये धन उपलब्ध होगा इसका निर्माण आरम्भ कर दिया जाएगा। नंगल-तलवाड़ा लाइन के मामले में प्रारंभिक एवं अंतिम स्थान सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। लेकिन संसाधनों की सीमित उपलब्धता के कारण इस परियोजना को रेलवे बजट में शामिल नहीं किया गया है।

SHRI RANJIT SINGH : The hon. Minister has mentioned in the statement that during the last 10 years foundation stones were laid for five new lines. Out of these five lines construction work of these lines has been completed. Hasanpur Sakri line has been approved. In the case of Nangal Talwara line, the preliminary as well as the final location surveys have been completed. I want to know when the work will be started on this line and when is work will be completed ?

PROF. MADHU DANDVATE : The cost of construction of Nangal-Talwara railway line will be about 22.47 crores. According to the survey done in regard to this line the return from this railway line will be 0.18 per cent in the first year 0.21 per cent in the sixth year and 0.25 per cent in the eleventh year. This return is very less generally we take up a line when the return is about 10 per cent. But if return is less today it does not mean that it will so remain always. It is quite possible that due to industrial development the return may increase after a few years. At few places the return has increased from 8 per cent to 80 per cent after the growth in industrial potential. But here since the return is very less it will not be proper to take up this line now.

SHRI RANJIT SINGH : May I know whether foundation stone of this line was laid in view of the civil traffic or was it after the attack of Pakistan that the construction of another line was considered necessary from the strategic point of view ?

PROF. MADHU DANDVATE : I don't think that this line has got any strategic importance. Because the information that is available with me does not give any such indication. It was said that the area is quite backward and this line is essential for its development. Therefore a traffic survey report was prepared in 1973. In view of the present situation the construction of this line will not prove economical.

श्री हुक्म राम : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह नई लाइनों को खोलने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि ये लाइनें लाभप्रद नहीं हैं। लेकिन देश में कई ऐसे प्रदेश भी हैं जहां कि लाइनें बहुत अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं। उदाहरण के लिये राजस्थान को ले लीजिए, वहां नडवारा से फलना और फलना से बाड़मेर वाया जालौर तक की रेल लाइन के बारे में सर्वेक्षण हो चुका है। इन प्रदेशों में माल यातायात और यात्रियों के यातायात से रेलवे को काफी आमदनी होगी साथ ही इस लाइन का सामरिक महत्व भी है इस पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है ?

PROF. MADHU DANDVATE : The question raised by the hon. Member is not relevant.

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने विवरण में जिन रेल लाइनों का उल्लेख किया है क्या उनकी नींव रखने से पहले उनकी उपयोगिता और लाभप्रदता के बारे में विचार किया गया था अथवा बिना उचित विचार-विमर्श के ही इन लाइनों की नींव रख दी गई थी ?

PROF. MADHU DANDVATE : I do not intend to cost any aspersion on anyone.

श्री बी० राचैया : नई लाइनों को बनाने की कसौटी क्या है ? नई लाइनों से कम से कम कितने प्रतिशत आमदनी होनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि भतपूर्व रेल मंत्री श्री के० हनुमंतैया ने आरोप लगाया है कि दक्षिण रेलवे के लिये रखा गया 6 करोड़ रुपया उत्तर रेलवे को दे दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न संगत है लेकिन दूसरे प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

श्री बी० राचैया : योजना और अनुमानों की स्वीकृति होने से पहले ही यह सुनिश्चित किए बिना ही कि क्या लाइन लाभप्रद है अथवा नहीं--लाइनों की नींव रख दी गई थी। क्या यह भी सच है कि दक्षिण रेलवे की स्वीकृत योजना के लिये रखा गया 6 करोड़ रुपया उत्तर रेलवे को दे दिया गया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : किसी नई रेल लाइन से न्यूनतम कितनी आमदनी होनी चाहिए इस बारे में कोई सांविधिक उपबंध नहीं है। लेकिन जिस लाइन को बनाने से 10–15 प्रतिशत से अधिक आमदनी होती है वह लाइन उपयोगी समझी जाती है और ऐसी लाइनों पर कार्य चालू किया जाता है लेकिन यह कोई निश्चित फार्मूला नहीं है कई बार विकास के उद्देश्य से, या जहां कुछ परियोजनाएं बन रही हों या कुछ उर्वरक परियोजनाएं चालू हों, मंत्रालयों की मांग पर जब साइडिंग इत्यादि की जरूरत हो तो नई रेलवे लाइनें बनाई जाती हैं लेकिन आमतौर पर यदि आमदनी 10–15 प्रतिशत से ज्यादा हो तब भी नई रेलवे लाइन का निर्माण कार्य चालू किया जाता है। इस विशिष्ट मामले में लाइन की आर्थिक उपयोगिता अधिक नहीं थी लेकिन मैं उनको आश्वासन देता हूं कि अब यदि किसी विशिष्ट परियोजना के लिये आवंटन किया जाएगा तो वह धनराशि उसी पर व्यय की जाएगी, उसे किसी अन्य परियोजना पर नहीं लगाया जाएगा। यह मैं आश्वासन देता हूं। **(व्यवधान)**

SHRI LALJI BHAI : I want to know the number of railway lines surveys in respect of which have been completed and also the number of railway lines for which foundation stones have been laid and by when these lines will be completed ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : लोक लेखा समिति ने अपने 171वें प्रतिवेदन में स्पष्ट कहा है :

"चूंकि पिछड़े और अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिये नई लाइनों का निर्माण बहुत जरूरी है इसलिये समिति की इच्छा है कि ऐसे क्षेत्रों में नई लाइनों के निर्माण कार्य में सामान्य राजस्व और सरकार द्वारा राज सहायता दी जानी चाहिए जैसे कि इन क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिये कर छूट के रूप में तथा प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं इत्यादि देने के रूप में कई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं।

"समिति की इच्छा है कि रेल मंत्री द्वारा निर्धारित नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ईमानदारी से अनुसरण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप सक्षेप में अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : "समिति की इच्छा है कि देश के पिछड़े और अविकसित पहाड़ी क्षेत्रों में नई लाइनों को बनाने के संबंध में मंत्री महोदय द्वारा निर्धारित नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनुसरण ईमानदारी से किया जाना चाहिए। योजना आयोग ने पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर उनका पता लगाया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र के लिये नई लाइनों के लिये उपबन्ध उच्च प्राथमिकता के आधार पर किए जाने चाहिएं।

इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि लोक लेखा समिति की इस सिफारिश पर क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर पहले ही दे चुका हूं और आज फिर इसे दोहराता हूं। रेल मंत्रालय चाहता है कि पिछड़े और अविकसित पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्रालय ने इस संबंध में एक विशेष कार्यक्रम तैयार किया है और इसे योजना आयोग को भेजा गया है। हमें योजना आयोग द्वारा बताया गया है आयोग को अभी अपनी अंतिम नीति तैयार करनी है इसलिये जिन लाइनों को स्वीकृति मिल चुकी है केवल उन्हीं पर हम काम शुरू कर सकते हैं।

SHRI SURENDRA JHA SUMAN : The Former Railway Minister, Shri L. N. Mishra laid the foundation stone of Hassanpur-Sakri line and a promise was made for conversion of Samastipur-Darbhanga line. I want to know from the hon. Minister what action is being taken in this regard.

PROF. MADHU DANDVATE : In the case of Hassanpur-Sakri line survey has already been completed. The correspondance that took place in August 1976 between Bihar and other states we made it clear that if the state Government takes some decision in regard to land we may also consider it in detail. But till now no assurance has been given by the state Government.

According to the survey done on the basis of D.C.F. method it was calculated that the return will be about 2.9 per cent from this line. Keeping the situation in view the previous Government decided to freeze four lines and this line was also one of them.

सोवियत संघ से आयात किये गये दोषयुक्त ड्रिल पाइप

*286 **श्री सरत कार**
श्री ईश्वर चौधरी } : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 फरवरी, 1978 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उपयोग में लाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा आयात किये गये 70% से अधिक रूसी ड्रिल पाइप दोषयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार को हुई हानि का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या इस बारे में भारत सरकार द्वारा कोई विरोध पत्र भेजा गया है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग रूस से वर्ष 1957 से अब तक व्यधन पाइप आयात करता रहा है। पिछले 2-3 वर्षों में प्राप्त पाइपों की सप्लाई में व्यधन कार्य करते समय कुछ असफलताएं नोटिस में आई थीं। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसार, लगभग 76 प्रतिशत की व्यधन पाइपें निम्न स्तर की पाई गई हैं। यह आंकड़ा मुख्यतः सोवियत संघ की ओर से विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर मतभेद के कारण विवाद ग्रस्त रहा है। इस समस्त मामले पर सोवियत पूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में पारस्परिक सहमति प्राप्त निर्णय निकल आएगा।

श्री सरत कार : मैंने भारत सरकार को हुई हानि के ब्योरे के बारे में पूछा था लेकिन मंत्री महोदय ने इसका कुछ उल्लेख नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इससे हमें धन के रूप में, समय के रूप में और देश की प्रगति को क्षति के रूप में हुई हानि का ब्योरा क्या है ?

क्या भूतपूर्व सरकार के उन अधिकारियों को दोषी ठहराया जाएगा जिन्होंने जान-बूझकर ऐसी कार्यवाही की है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस विवाद के निपट जाने के बाद ही हम पता चलेगा कि हमें कितना नुकसान हुआ है इसलिए इस स्थिति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन उन पर कुल 70 लाख रुपया लगा है ।

अक्तूबर 1974 में भारत-रूस संयुक्त आयोग की एक बैठक में एक व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और उसी के आधार पर यह ड्रिल पाइप खरीदे गए अत: इसके लिए किन्हीं विशिष्ट अधिकारियों को दोसी ठहराने का प्रश्न नहीं ।

श्री सरत कार : क्या रूस से इस प्रकार के दोषयुक्त पाइपों का आयात जारी रखा जाएगा या उसे बन्द किया जाएगा । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समझौते की शर्तों के अंतर्गत कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सोवियत संघ हमें 1957 से यह सामग्री सप्लाई कर रहा है जबकि विश्व के अन्य देश इस विशेष क्षेत्र में मदद करने के लिये हमारी ओर दृष्टि डालने के भी इच्छुक नहीं थे। फिर भी हमने खरीद की है। गत दो वर्षों से हम प्रयास करते आ रहे हैं और इस वर्ष हमने अमरीकी तथा कनाडा के बाजारों का पता लगाने का प्रयास किया, हालांकि वहां मूल्य पांच गुना अधिक है। उनका दावा है कि उनकी वस्तुएं ऊंचे स्तर की हैं तथा उनकी वस्तुएं बेहतर हैं, इसलिए उनका मूल्य अधिक है। किन्तु फिर भी अधिक लागत के आधार पर तथा उनके साथ बातचीत करके हम विश्व में कहीं से भी अपनी आवश्यकता के मुताबिक माल प्राप्त नहीं कर पाये और हमें अपनी जरूरत सोवियत संघ द्वारा सप्लाई किए गए माल से पूरी करनी पड़ी । किन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि पाइपों में दोष का प्रश्न स्तर के सिद्धान्त से उत्पन्न हुआ। किन्तु इस मामले पर बातचीत हो रही है और शीघ्र ही यह मामला हल कर दिया जाएगा।

SHRI ISHWAR CHOUDHARY : The question is not that the Russian Pipes are cheap and the same are costlier in other countries, but the question is how many drill pipes will be necessary to meet our requirements. The hon. Minister has said that the agreement with Russia was signed at that time when other people in the world were not willing to even look at us in this particular field. I want to know whether the material supplied by Russia from time to time, proved useful ? If those goods have not proved worth while, then is it not a matter of monopoly of Soviet Union ? I want to know whether the Hon. Minister keeping in view all these things, would evolve a new policy in this regard ?

As he has stated that this agreement was worth Rupees seventy lakhs. The Soviet Union knows that if they supplied sub-standard goods to India we will accept it after raising some objections. I want to know from the Hon. Minister whether he has evolved any scheme to import machinery from other countries in future keeping in view all these things ? If there is any such scheme, whether Russia will make up the loss that we suffered ? What action is being taken in this regard ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : I have to submit that there is a dispute only over 1,000 tonnes. Since 1957 we have imported 20,000 tonnes drill pipes and there has not been any dispute in the deal. For the first time this dispute came up. In order to solve this problem a Russian team visited India and had talks with the Indian team.

So far as the question of importing drill pipes is concerned, I have already stated that we are prepared to purchase goods from U.S.A. and Canada by negotiations, but the same is not available in sufficient quantity to meet our requirements. There is shortage of drill pipes in the whole world and therefore it is natural to remain dependent on Russia.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : इस समय मुझे इस बात से मतलब नहीं कि क्या आपको हानि हुई है या नहीं ? मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्य ठीक समय पर नहीं हुआ ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह स्पष्ट है कि जब तक ड्रिल पाइपों को अंतिम रूप न दिया जाए तब तक उनकी कोटि भी निर्धारित नहीं की जाती और उन्हें काम में नहीं

ला सकते। इस कार्य में देरी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुई है किन्तु हम अपने स्टोर तथा अन्य स्थानों से इन्हें बदल कर इस कार्य में तेजी लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस कार्य को तेजी से करना चाहते हैं। तथा इस विशेष मामले में शीघ्र निर्णय लेना चाहते हैं।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I want to know from the Hon. Minister whether the drill pipes exported by Soviet Union to India were manufactured by themselves or they imported from some other country and then exported to us and what time the dispute about their being defective will be settled ? At the same time I would also like to know whether defective pipes will be returned to the Soviet Union or whether our experts are of the view that these pipes can be put to use ?

SHRI H. N. BAHUGUNA : Sir, these drill pipes have been given to us by M/s. Techno Export, Russia and these pipes have been manufactured there and no other country have manufactured those.

This issue came up in February, 1977 and by December, 1977 we had conducted joint inspection thereof. Recently, there has been a meeting of the joint Commission and in that meeting we raised this issue. It was decided in the meeting that the representatives of Soviet Union and India should take some decision immediately and the International Chamber of Commerce of the Soviet Union was advised to see that in future anything exported from there should not be defective.

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी के लिये यह स्वाभाविक है कि वह इस मामले में कम से कम हानि होने दें, किन्तु मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि इन पाइपों को खरीदने के लिये किसी विशेष करार पर हस्ताक्षर किये गये थे और कितने पाइपों के लिये यह करार किया गया था? क्या यह करार अभी चल रहा है और इस पर हस्ताक्षर किसने किये ? क्या इस तरह के विवाद को हल करने के लिये कोई तंत्र है ? क्या ऐसी स्थिति में दंड देने की कोई व्यवस्था है? यदि हां तो क्या दंड दिया जाना है और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैंने किसी भी तरह से हानि कम से कम करने का प्रयास नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्रश्न नहीं है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जहां तक उनके प्रश्न के अन्य पहलुओं का संबंध है, करार पर हस्ताक्षर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और टेक्नो एक्सपोर्ट, रूस के बीच हुए थे।

अक्तूबर, 1974 में यहां मंत्री स्तर पर व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे। हमारी ओर से योजना आयोग के उप-सभापति तथा रूस की ओर से वहां के जिस व्यक्ति ने…

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पी० एन० हस्कर एण्ड कम्पनी ।

श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा : जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि यदि रूस तथा भारत के बीच व्यापार के बारे में कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उसे सुलझाने के लिये क्या तंत्र है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंडल से अनुरोध करने के किसी अन्य तंत्र या निकाय की बात हमें स्वीकार्य नहीं है। बड़ी मुश्किल से वे अब इस बात पर राजी हुए हैं कि उनका चैम्बर्स आफ

कामर्स जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगरानी रखता है, निर्यात करने से पूर्व विशिष्टियों तथा अन्य बातों पर ध्यान देगा।

जहां तक दंड देने के उपबन्ध का संबंध है, करार में "परस्पर करार" शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि यदि कोई पक्ष सहमत नहीं होता है तो यह स्पष्ट नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। विदेश मंत्रालय से इस बारे में बातचीत करने का अनुरोध करने और मंत्री स्तर या अन्य राजनयिक बातचीत के अतिरिक्त मेरा ख्याल है अन्य कोई तंत्र नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह राजनीतिक समस्या है अथवा आर्थिक?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : यह एक आर्थिक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं हो सकता। "परस्पर" का अर्थ दोनों के लिये है।

श्री यदवेन्द्र दत्त : जहां तक मैं समझता हूं सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उन वस्तुओं को प्राप्त करने से पूर्व जिनका क्रयादेश दिया होता है, क्रयादेश देने वाला पक्ष वस्तुओं का निरीक्षण करता है। क्या मंत्री जी सभा को बताएंगे कि क्या रूस में भी ऐसा काम करने वाला कोई संगठन है और यदि हां तो क्या वे निर्यात करने से पूर्व माल का परीक्षण करते हैं या दोषों का पता तभी चलता है जब भारत में उन्हें काम में लाया जाता है। यदि नहीं तो क्यों?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैंने आपको बताया है, सारी बातों पर दो देशों के बीच होने वाले व्यापार करार के अन्तर्गत निगरानी रखी जाती है। यह केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की ही बात नहीं है जोकि विश्व बाजार में सामान्य खरीदारी के लिये प्रवेश कर रहा हो।

दूसरे, जहां तक निरीक्षण तंत्र का संबंध है, करार में हमारे द्वारा निरीक्षण करने का उपबन्ध नहीं है। हम तभी निरीक्षण करते हैं जब कि माल हमारे यहां पहुंच जाता है। सामान्यतः निर्माण स्तर पर ही निरीक्षण कर लिया जाता है, जैसा कि हमने हाल ही में किया है जब हमने जापान से पाइपों का आयात किया है। हमने वहां 6 निरीक्षक भेजे ताकि निर्माण चरण पर ही यह सुनिश्चित किया जाये कि वह वस्तु हमारी विशिष्टियों के अनुसार बन रही है या नहीं? किन्तु इस मामले में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री यदवेन्द्र दत्त : इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री हेमवती नन्दन बहुगणा : मैं वास्तविक तथ्य पेश कर रहा हूं। इसमें ऐसा इसलिये नहीं किया गया है क्योंकि यह द्विपक्षीय करार है, जिसमें कभी-कभी हमारे लिये इस तरह प्रथाओं को रखना कठिन हो जाता है। इस विशेष मामले में जो स्थिति थी, वह आपको बता दी है।

KUMBH FAIR AT UJJAIN IN 1980

*†287. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Kumbh fair is going to be held in Ujjain city in the beginning of 1980 and if so, whether the State Government have made a demand to his Ministry for making some arrangements in connection with this fair and if so, the details thereof and the expenditure to be incurred by Central Government thereon;

(b) whether Government are also aware that there is a great need of a crossing bridge at Ujjain Railway Station in view of the increasing traffic at present and whether a demand in this regard has been made by the State Government and other organisations, associations and distinguished persons; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes, Sir. The Government of Madhya Pradesh have asked for certain facilities such as widening of the existing road over-bridge, extension of the existing foot over-bridge, provision of additional foot over-bridge and road over-bridge at Hari Phatak. The State Government has been asked to deposit a sum of Rs. 22,800/- towards the preparation of plans and estimates. The cost of these works when taken up, will have to be borne by the State Government.

(b) and (c). Yes. The cost of such a crossing bridge, as per extant rules, has to be borne by the State Government. The Railway will take suitable action to provide the bridge, if the State Government agree to bear the cost thereof.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : In Ujjain city there is a bridge which was constructed 50 years back. When Ujjain city came into existence, its population was 80 thousand. But at present the population of Ujjain is about 3½ lakhs. In view of the increasing population one bridge is not sufficient and as a result of this, hundreds of accidents are taking place there every year. My young son also lost his life in one of the accidents and I can fully realise the pinch of such deaths. May I know if Government without casting for the State Government, but to cater to the need of the public, will take necessary steps for constructing a bridge on the Western side of the Railway Station prior to commencement of Kumbh fair? May I know if some thing is being done in this regard ?

PROF. MADHU DANDVATE : The facilities asked for by Madhya Pradesh Government are likely to cost Rs. 11 lakhs. According to the rules, if you want the Central Government to meet these requirements, your state will have to give Rs. 22,800 and the expenditure which will be incurred afterwards, will have to be borne by them.

I can foresee the problems connected with the forthcoming Kumbh fair. It has been stated by the hon. Member that the problem of Ujjain is growing acute. But as a matter of fact, the hon. Member has got nothing to do with the increasing population. But in view of the increasing population, and also in view of the situation which is likely to arise and of 1980 Kumbh fair. We have decided that whether any responsibity is shouldered by the State Government or not, but Western Railway has decided to take up the proposal of extension of foot bridge at the cost of Rs. 3.5 lakhs. But I may make it clear that this amount will be spent from the amount earmarked for providing passenger amenities. But so far as the other amenities are concerned, I will request the hon. Member to use his good affairs for urging the Madhya Pradesh Government to bear this expenditure.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Heavy traffic is expected in Ujjain during Kumbh fair. The prominent surrounding junctions of Bhopal and Nagda also attract passengers. Nagda junction does not have any over-bridge and even this month three persons have died on the crossing. So may I know if inview of the Kumbh fair, some attention will be laid for improving the facilities at these stations ? May I know if some plan has been formulated to scatter the passengers at small nearby stations towards East and West. These stations should also be developed and if need be, the necessary road or

an over-bridge should be constructed there. So inview of this may I know if some amount has been earmarked in the Budget of Kumbh Mela ?

Suppose the State Government fails to deposit the amount of Rs. 22 thousand, what you are going to do in the matter ? May I know if you will construct this bridge with your own resources with Rs. 22 thousands to be given by State Government ?

PROF. MADHU DANDAVATE : In April-May, 1968 when the Kumbh fair was held similar arrangements were made. At that time nearly 4 lakh passengers visited Ujjain and we made arrangements for running 45 Special trains to cater to the needs of the passengers.

Firstly I want to tell Shri Kachwai that in Kumbh fair of 1980, nearly 4 to 5 lakh people are likely to take part. We will run Special trains for them, we will also make arrangements for providing facilities in the surrounding stations.

We will utilize the whole amount which has been earmarked for providing facilitics in the budget. But it is very difficult for us to take up the responsibility of Madhya Pradesh Government.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : May I know if the hon. Minister will reconsider all these things inview of increased population of Ujjain ?

MR. SPEAKER : That will be borne in mind.

SHRI RAMAMURTHY : As has been said that nearly 5 to 10 lakhs people will take part in the Kumbh fair. Railway is likely to earn most of the revenue. So inview of enhanced income of the Railways, may I know if the hon. Minister is not planning to constructed this bridge with Railway resources alone so that it may help in this fair and also in future ? .

PROF. MADHU DANDVATE : I have already stated that the construction work of this bridge will be taken in hand by utilizing the amount meant for deserver amenities but the rest of the work will have to be done by Madhya Pradesh Government.

SHRI RAM KANWAR BERWA : The Kumbh Mela of Ujjain is very ancient and historical. People from for and near take part in it. Railway earns a lot of revenue by sale of tickets. I think this additional revenue can help in meeting the expenditure of the bridge. May I know from the Minister the reaction of the State Government to the demand of Rs. 22,000/- ?

PROF. MADHU DANDVATE : Firstly we wrote a letter to State Government on 26-12-77 and then another letter on 2-1-1978. But it appears that till now State Government has not decided to give this amount to us, so for, it is just possible that a decision in this regard may be taken in future.

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA : The present bridge between the main city of Ujjain and Freganj is inadquate to meet the traffic requirements. On the other hand there is lot of traffic on railway crossing also. Since long the demand for a bridge is being made I feel that a bridge on the Railway crossing should be constructed jointly by Railway Ministry and Madhya Pradesh Government. May I know if hon. Minister is prepared to consider this proposal ?

PROF. MADHU DANDVATE : The responsibility of over-bridge is that of the State Government. So long as this amount is not given, it is difficult to take the work in hand. Correspondence with the State Government is going on, and if they agree it will be taken up.

UNAUTHORISED SALE OF RESERVATION TICKETS

†*288. SHRI Y. P. SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some private agents sell reservation tickets unauthorisedly

to the passengers by charging more money from them at all big railway stations in the country including Delhi Railway Station;

(b) whether as a result of this, reservation tickets for seats and sleepers are sold by charging more money from lakhs of passengers in the country;

(c) if so, the steps taken by the Government to root out this corruption; and

(d) the time by which this corrupt practice is likely to be put an end to completely ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) and (b). Instances of some unauthorised persons purchasing tickets for reserved accommodation and selling them clan-destinely at premium to willing passengers, particularly at bigger stations including Delhi have come to the notice of the Railway Administration.

(c) and (d). A statement is laid on the Table of the House.

In the case of reserved accommodation on the trains, the most important cause of corrupt practices is the gap between supply and demand. The Railways are making all efforts to provide more and more reserved accommodation to passengers by introduction of additional trains as well as by increasing number of coaches on the trains. Reservation arrangements and procedures have also been streamlined. Such steps have brought down malpractices to a great extent. However, during vacations, festivals, etc. when there is a heavy rush of traffic, despite running of special trains and augmentation of loads of trains, passengers knowingly pay extra money to secure reservations on trains of their choice. Corrupt practices in such cases can only be eliminated as a result of social pressure.

2. The Railways have been/are taking following action to eliminate/minimise the malpractices in allotment of reserved accommodation :—

(i) Reduction in the gap between the demand and supply of reserved accommodation.

(ii) Increase in time limit for advance reservation to six months which affords a wider choice to bonafide passengers and makes blocking of accommodation by anti-social elements more difficult.

(iii) Streamlining of reservation procedures and arrangements at important stations/ reservation centres by opening additional booking windows/reservation counters, etc. and improving arrangements for display of vacancy position to afford better service to passengers.

(iv) Intensification of supervision on the working of reservation staff by Commercial Officers and checks by Officers and Inspectors of the Commercial Department and Vigilance Organisation with the help of Anti-Fraud Squads, Government Railway Police and Railway Protection Force and joint checks with SPE and collection of intelligence to detect anti-social elements and railway staff indulging in malpractices.

(v) Watch by Commercial Department and the Vigilance Organisation on the private agents and touts regularly joining the queues for reserved accommodation and seeking assistance of Police to curb their activities.

(vi) Checks on trains to detect persons travelling on transferred tickets against reservation provided in the name of other passengers for action under law by treating them as without ticket passengers to discourage the practice of passengers purchasing reserved tickets from unauthorised persons.

3. Since effective action against unauthorised agents and touts is difficult under the present law, it is proposed to make the business of procurement and supply of reserved tickets by unauthorised persons a cognizable offence in the proposed amendment of the Indian Railways Act.

4. No time limit can be fixed for total eradication of this corrupt practice.

SHRI Y. P. SHASTRI : The hon. Minister has admitted that such type of corruption is prevalent in the whole country including Delhi. The private agents sell reservation tickets secretly to passengers. He has stated that arrangements will be made for joint checks with SPF and collection of intelligence to detect anti-social elements and railway staff indulging in malpractices. May I know whether any rails have been conducted if so whether certain people have been arrested and if so what action has been taken against them ?

PROF. MADHU DANDAVATE : 140 persons have been arrested in Eastern Railway who were indulging in malpractices and they are being prosecuted. 225 persons in Central Railway and 16 persons have been arrested in Northern Railway. In addition to that departmental action has been taken against 7 reservation clerks, 10 booking clerks, 4 ticket collectors, 2 coach attendants, 8 T.T's and 2 guides after November, 1977 who were held responsible for malpractices.

SHRI Y. P. SHASTRI : The hon. Minister has stated that since effective action against unauthorised agents and touts is difficult under the present law, it is proposed to amend the law. May I know the time by which this amending Bill will be brought before the House in order to deal with corrupt persons effectively ?

PROF. MADHU DANDAVATE : The draft has been prepared according to which it is proposed to make the business of procurement and supply of reserved tickets by unauthorised persons a cognizable offence. I think this work will be completed within some months.

श्री टी० ए० पाई : पिछले वर्ष इसी मामले में रेल मंत्री जी ने साहसिक ढंग से कहा था कि टिकटों के काले बाजार को समाप्त कर दिया जाएगा। अब उन्होंने उत्तर में कहा ह कि काले बाजार संबंधी कुछ बातें मेरे ध्यान में लाई गई हैं। मैंने बताया था कि नई दिल्ली स्टेशन पर भी अधिक पैसे लेकर यात्रियों को ये टिकटें दी जाती हैं। मंत्री जी स्वयं इसके कारणों का पता लगायें कि केवल सतर्कता मशीनरी से कुछ नहीं होगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अन्य उपायों के साथ एक ठोस उपाय यह भी कर रहा हूं कि मैंने बजट भाषण में कहा है कि कुछ स्टेशनों पर प्रायोगिक रूप में हम टिकटों के आरक्षण में कम्प्यूटर प्रणाली लागू कर रहे हैं। उसके सफल होने पर कुछ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

जहां तक सतर्कता मशीनरी का संबंध है हमने उसका कार्य शुरू कर दिया गया। लेकिन हमने देखा है कि कदाचार जब एक स्टेशन पर समाप्त कर दिया जाता है तो दूसरे पर शुरू हो जाता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कम्प्यूटर प्रणाली से टिकटों में कदाचार न्यूनतम हो जाएगा।

SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : I have come from Calcutta only yesterday and when I visited reservation office I found people openly asking for Rs. 10 for a second class sleeper coach and other people had encircled them. I do not know from where they get tickets. I also could not get a ticket and had to approach the Chief Commercial Superintendent. I got a ticket through him but other co-passengers got their tickets by paying extra amount. May I know whether any stringent action will be taken to check corruption ?

PROF. MADHU DANDAVATE : This type of corruption whether carried on secretly or openly is very bad. So if the hon. Member gives some details I am certainly prepared to take strong action. (*Interruptions*) I assure the House that we will take steps to check corruption at Calcutta Station.

अध्यक्ष महोदय : आप विवरण दीजिए।

CHAUHARI BALBIR SINGH : I want to draw his attention towards another fraud. The reservation cards posted on the bogies standing at the stations contain fake names and whenever one approaches them for reservation they will simply say that all seats are reserved but on enquiry you will find that these seats are given other persons who offer them more money.

I know this by experience. One I went at the station for reservation of seat but I was told that no seat was available. Then I continued to sit in the compartment and upto the end nobody turned up and 4 seats remained vacant. You should try to find some way to check this sort of corruption.

PROF. MADHU DANDAVATE : It is not necessary to enquire into this matter because the hon. Member has himself given this information to this House. I should take strict action against the guilty taking that the information is correct.

श्री के० लकप्पा : रेलवे टिकटों की अवैध बिक्री करने वाले कई अड्डे दिल्ली समेत विभिन्न राजधानियों में चल रहे हैं। वे ये अड्डे कम्पनी के रूप में चला रहे हैं। यह बात अनेक बार रेल मंत्री के ध्यान में लाई गई हैं परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई। अन्य मामलों में प्रभावकारी कदम उठाने वाले रेल मंत्री पता नहीं इस मामले में क्यों असफल रहे हैं? क्या रेल मंत्रालय संसद सदस्यों को विशेष परिचय पत्र देकर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उनका उपयोग करेंगे?

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक सुझाव ह। हम इस पर उचित रूप में विचार करेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : रेलवे में, आरक्षण के संबंध में भ्रष्टाचार को समाप्त करना बड़ा कठिन हो गया है क्योंकि विभिन्न स्तरों के लगभग सभी अधिकारी इसमें शामिल होते हैं। अतः मंत्री महोदय इसे रोकने के लिये क्या कोई और नया तरीका सोच रहे हैं?

प्रो० मधु दण्डवते: सभा पटल पर रखे अपने वक्तव्य में मैंने कर प्रस्तावित तरीकों का उल्लेख किया है। एक तरीका हमने आरक्षण का समय बढ़ा कर इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिये रेल अभिसमय समिति की सिफारिश पर अपनाया है। हमने आरक्षण का समय छः महीने तक बढ़ा दिया है, इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार में कुछ कमी आई ह। दूसरा कदम कम्प्यूटर का उपयोग है। इसके द्वारा हम भ्रष्टाचार में और कमी कर सकेंगे।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Inspite of the steps taken in this direction I may say this much that the performance regarding reservation has been very poor. In Delhi a big racket is working. It has also come in papers. What action has been taken in Delhi in this connection and how many persons have been arrested as a result there of? I do not understand how any body can go in for reservation 6 months in advance?

PROF. MADHU DANDAVATE : I may inform the hon. Member that in Northern Railway during November, 1977 to February, 1978 16 persons were handed over to Government Railway Police and 17 persons were arrested during December, 1977 to February, 1978. Departmental action was taken against 7 reservation clerks, 10 booking clerks, 4 ticket collectors, 2 coach attendants, 8 T.T.I's and 2 Guards.

प्रो० पी० जी० मावलंकर मंत्री महोदय ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिये विभिन्न उपायों की एक लम्बी सूची दी है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि यह रेलवे में ही नहीं है वरन् यह हमारे सामान्य सामाजिक जीवन में भी व्याप्त है। एक कुली से लेकर ऊपर तक सभी स्टेशनों पर रेल में स्थान हथिया लेते हैं और सही लोगों के लिये गाड़ी में यात्रा

करना असंभव सा हो गया है। इस दृष्टि से क्या मंत्री महोदय थियेटर के समान स्टेशनों पर एक आरक्षण चार्ट लगाने पर विचारें करेंगे जिसे देखकर यात्री स्थान के खाली होने का पता लगा सकें और शायद ये चार्ट वास्तविक यात्रियों के लिये सहायक हो सकें।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार सभी स्तरों पर व्याप्त है और हमारा यह प्रयत्न होगा कि यह सभी स्तरों पर समाप्त हो। उनका चार्ट का सुझाव बडा ठोस है और हम इस सुझाव को लागू करेंगे।

SHRI SATYADEO SINGH : Railway Vigilance Department is responsible for checking this evil. But it has come to my notice that generally no action is taken against the persons caught by this department. A big racket is working in Delhi in the field of reservation. They even threaten to kill the reservation clerk. I want to know from the hon. Minister what positive steps be propose to take regarding such cases?

PROF. MADHU DANDAVATE : The information given by the hon. Member is really very serious and I will surely make an inquiry about this and strong action will be taken against the culprits.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI : It has been said from both the sides that corruption is rampant in Railways. Whether it is a fact that unauthorised reservation agents have again come into existance in front of Delhi Railway station and one can have reservation event two to four hours before ? If so, whether any action will be taken against these unauthorised reservation shops.

PROF. MADHU DANDAVATE : If the information given by the hon. member is correct, action will be taken against these unauthorised reservation agents.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTION'S

औषधियों के लिये प्रचार

*289. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उरर्वक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन पर औषधियों का प्रचार करने के विरुद्ध विचार व्यक्त किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में औषधियों विषयक हाथी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हाथी समिति की सभी सिफारिशें सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिये जाने की आशा है।

पूर्वोत्तर जोन में तेल के लिये ड्रिलिंग कार्य

*290. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर जोन में तेल के लिये ड्रिलिंग कार्य करने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) ड्रिलिंग कार्य कब तक प्रारम्भ किया जाना है; और

(घ) क्या क्षेत्र में उस प्रयोजन के लिये कोर संभाव्यता सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमि० उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहले से व्यधन कार्य कर रहे हैं। ओ० एन० जी० सी० ने मेघालय सहित असम में अब तक 301 कुएं नागालैण्ड में 3 और त्रिपुरा में एक कुआ खोद लिया है। आयल इण्डिया लिमि० ने भी अपने क्षेत्र में 383 कुएं खोद लिये हैं।

ओ० एन० जी० सी० ने अब तक जो अण्वेषी प्रयास किये हैं, उन्हें अनेक संरचनाओं अर्थात् रुद्र सागर, लकवा, लखमानी, मेलेकी, बोरहाला, चराती, आमगुरी और उलुगाँव तथा बारासुरा में हाड्रो कार्बन्स का पता चला है। ओ० एन० जी० सी० द्वारा रुद्रसागर, लकवा लखमानी और मेले की क्षेत्रों से नियमित उत्पादन आरम्भ कर दिया गया है और इस समय इस क्षेत्र से लगभग 1.42 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष की दर से उत्पादन हो रहा है। आयल इण्डिया लिमि० भी असम स्थित अपने क्षेत्रों से प्रतिवर्ष लगभग 3.1 मिलियन मी० टन कच्चे तेल का उपादन कर रहा है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इण्डिया लिमि० दोनों ने इस क्षेत्र में और अधिक अन्वेषण करने के लिये अपने अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं। ओ० एन० जी० सी० द्वारा इस समय 12 कुओं का व्यधन कार्य किया जा रहा है। वर्ष '1978-79 में ओ० एन० जी० सी० द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में व्यधन कार्य जिन कुछ नये स्थानों पर आरम्भ किया जा रहा है, वे हैं--असम में बढ़सिला, तिरु पहाड़ी क्षेत्र, लक्ष्मीजान, चराय देव और सीमपुर तथा त्रिपुरा में रोखिया और योजत्या। आयल इण्डिया लिमि० इस समय कच्छाई में एक गहरे कुएं की खुदाई कर रहा है तथा अरुणाचल प्रदेश में 5 और अधिक कुओं की खुदाई करने की योजना भी बना रहा है।

अब तक जो सर्वेक्षण किये गये हैं, उनके आधार पर इस क्षेत्र में अतिरिक्त हाइड्रो-कार्बन के आरक्षणों की उपलब्धि के लिये अच्छी संभावनाओं वाला क्षेत्र समझा जाता है।

पोलिस्टर फिलामेंट यार्न के लिये मांग

*291. **श्री वयालार रवि** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोलिस्टर फिलामेंट यार्न की मांग बहुत अधिक है और उसका उत्पादन अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के लिये उत्पादन एवं मांग संबन्धी आंकड़े क्या हैं; और

(ग) मांग की पूर्ति और उसे वास्तविक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) विगत में पालिएस्टर फिलामेंट तन्तु (यार्न) की मांग देशीय उत्पादन की अपेक्षा अधिक रही है। उत्पादन आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	मांग (मी० टनों में)
1975	2529
1976	2640
1977	3732

पालिएस्टर फिलामेंट तन्तु का क्योंकि आर० ई० पी० आयात करने की अनुमति है, अतः खपत के निश्चित स्तरों की कोई जानकारी नहीं है, परन्तु वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 में इनका क्रमशः लगभग 4000 मी० टन, 4000 मी० टन तथा 6000 से 7000 मी० टन का अनुमान लगाया है ।

(ख) और (ग) इस विषय को वर्ष 1977-78 की आई० टी० सी० के पुस्तक के खंड-1 के पैरा 90 में रखा गया है, जिसके अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ताओं की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उन्हें सीधे आवंटित किया जाता है। पालिएस्टर फिलामेंट तन्तु (यार्न) में विविधता लाने के लिये नायलोन फिलामेंट यार्न (तन्तु) के देशी उत्पादनकर्ताओं को अनुमति प्रदान करके कुल 2616 मी० टन की देशीय क्षमता स्थापित की जा चुकी है। विविधकरण और आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों के माध्यम से 2065 मी० टन की एक अतिरिक्त क्षमता को कार्यान्वित किया जा रहा है। पालिएस्टर फिलामेंट तन्तु (यार्न) के निर्माण हेतु पर्याप्त सरकार की साझेदारी सहित मेसर्स पेट्रोसिल्स कोओपरेटिव लिमि० नामक एक सहकारिता क्षेत्र की प्रायोजना 3500 मी० टन के संयंत्र को स्थापित करने की कार्रवाई कर रही है। इस क्षमता के एक भाग ने पहले से कार्य आरम्भ कर दिया है और उत्पादन आरम्भ हो चुका है।

केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान पाने वाले नैमित्तिक गैंगमैन

*292. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में जून 1977 से लगातार 120 दिन की नौकरी पूरी करने वाले सभी नैमित्तिक गैंगमैनों को केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो धनबाद डिवीजन के प्रत्येक रेलपथ निरीक्षक (पी० डब्ल्यू० आई०) के अधीन कितने नैमित्तिक गैंगमैनों को उक्त वेतनमान दिये गये हैं;

(ग) कितने नैमित्तिक गैंगमैनों को अभी भी केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमानों नहीं दिये गये हैं; और

(घ) केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान देने में इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) और (ख) धनबाद मंडल के 129 नैमित्तिक गैंगमैनों को वेतन का सी० पी० सी० वेतनमान स्वीकृत किया गया है। इस संख्या का अलग अलग ब्योरा इस प्रकार है:—

रेलपथ निरीक्षक धनबाद	42
रेलपथ निरीक्षक पतरातु	11
रेलपथ निरीक्षक गुझंडी	68
रेलपथ निरीक्षक बेरमो	3
रेलपथ निरीक्षक डाल्टनगंज	2
रेलपथ निरीक्षक लातेहार	2
रेलपथ निरीक्षक टोरी	1

(ग) 496

(घ) पूर्व रेलवे में मौजूदा परिपाटी के अनुसार, नैमित्तिक गैंगमैनों की डाक्टरी जांच की जाती है और 120 दिन की निरन्तर सेवा पूरी होने पर सी० पी० सी० वेतनमान दिया जाता है। चूंकि मंडल प्राधिकारी इस स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं थे और डाक्टरी जांच पूरी होने तक रुके रहते थे, उन्हें आदेश जारी किये गये हैं कि जिन नैमित्तिक गैंगमैनों ने 120 दिन की लगातार सेवा पूरी कर ली है उन्हें तुरन्त वेतनमान स्वीकृत कर दिया जाए।

तिरोड़ी और कटंगी के बीच रेल लाइन

*293. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में तिरोडी-कटंगी के बीच रेल लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) क्या तिरोड़ी और कटंगी के बीच रेल लाइन बिछाने के लिये कोई निर्णय किया गया था;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना कार्य हुआ है; और

(घ) इस निर्णय को कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस लाइन पर कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ध) : तिरोड़ी और कटंगी के बीच रेलवे लाइन बिछाने के लिये अभी तक कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इस लाइन के निर्माण के प्रश्न पर तब ही विचार किया जाएगा जब गोंदिया-जबलपुर छोटी लाइन खंड के बड़ी लाइन में बदले जाने के संबंध में निर्णय ले लिया जाएगा और गोंदिया-जबलपुर खंड का सर्वेक्षण पूरा हो जाएगा।

रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण पंचाट

*294. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे श्रमिक न्यायाधिकरण ने स्टेशन मास्टरों, स्विचमैनों तथा अन्य

कर्मचारियों की दूसरी रात्रि पारी (शिफ्ट) के बाद 56 घंटे के विश्राम का पंचाट दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पंचाट को पूरी तरह से लागू किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कार्यान्वियन के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(घ) क्या इस विषय पर सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दंडवते): (क) रेल श्रम अधिकरण, 1969 द्वारा ऐसी कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। संबंधित कर्मचारियों को भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबन्धों के आधार पर आवधिक रेस्ट दी जाती है और रेल श्रम अधिकरण की सिफारिशों में उक्त अधिनियम के उपबन्धों का आशोधन नहीं किया गया है।

अशोधित तेल का उत्पादन

*295 **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री जी० एस० रेड्डी } क्या **पेट्रोयलिम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि देश में तटीय तेल क्षेत्रों और तट से दूर तेल क्षेत्र में प्रतिमाह दस लाख मीट्रिक टन से अधिक अशोधित तेल मिल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह लक्ष्य कब प्राप्त किया गया था ;

(ग) तेल निकालने वाली तीन एजेंसियों में से प्रत्येक एजेंसी ने कुल कितना तेल निकाला ;

(घ) इन तीन तेल एजेंसियों में से किस ने सबसे अधिक तेल निकाला ;

(ङ) वर्ष 1977-78 के दौरान अशोधित तेल का अनुमानतया कुल कितना उत्पादन हुआ और गुजरात तथा आसाम के तेल क्षेत्रों का कितना उत्पादन था ; और

(च) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल की खुदाई से आय में कमी हो रही है ?

पेट्रोलिय, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) पहली बार अक्तूबर, 1977 में दस लाख टन से अधिक उत्पादन हुआ।

(ग) 1977 में तीन संगठनों में से प्रत्येक संगठन का कच्चे तेल का उत्पादन निम्नलिखित था :—

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	70,07,000 टन
आयल इंडिया लिमिटेड	31,20,000 टन
ए० ओ० सी० . .	58,000 टन

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग।

(ङ) 1977–78 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 10.75 मिलियन मीट्रिक टन तक होने का अनुमान है जिसमें से 4.15 मि० मी० टन तथा 4.5 मिलियन मीट्रिक टन तक का उत्पादन क्रमशः गुजरात तथा असम के तेल क्षेत्रों से होने का अनुमान है।

(च) जी नहीं।

पश्चिम बंगाल में हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

*296. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या उन्होंने हाल ही में कलकत्ता में कहा था कि केन्द्रीय सरकार हल्दिया में प्रस्तावित पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना के कार्य में न तो भाग ही लेगी और न ही पश्चिम बंगाल को कोई बजट सम्बन्धी सहायता देगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में कोई वित्तीय सहायता न देने के पक्ष में सरकार के तर्क क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई सीमा शुल्क विभाग द्वारा पास न किया गया पोलीथीन

297 **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि 100 टन से अधिक उच्च घनत्व वाला पोलीथीन और 500 टन निम्न घनत्व वाला पोलीथीन दो मास से अधिक अवधि से बम्बई सीमाशुल्क विभाग द्वारा पास नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और माल पास करने के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं ; और

(ग) क्या अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने कच्चे माल के रुक जाने के बारे में शिकायत की है जिसके कारण स्थिति बिगड़ गई है और विशेषकर यूनियन कार्बाइड में तालाबन्दी के कारण इन मदों की कीमतें बढ़ रही हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। बम्बई कस्टम विभाग के पास दो मास से कच्चे घनत्व वाला पोलीथीन और निम्न घनत्व वाला पोलीथीन अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

SUPPLY OF INDANE GAS

*298. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the new policy in respect of supply of Indane gas at present and the number of gas connections which an agent will be authorised to give;

(b) the total number of gas connections throughout the country at present;

(c) whether Government will authorise the existing agents who are already dealing with substantial number of gas connections to deal with additional gas connections or will authorise new agents for the purpose; and

(d) the details of new system of distribution thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) to (d). Instructions have been given to the oil companies that while entering into commitments for new gas connections, they should give preference to domestic consumers i.e. individual households, over industrial and commercial customers. Gas supply is not ordinarily given to industries except in the case of sophisticated ones which cannot use any other alternative fuel and for which gas is essential from the technological point of view.

Presently, there are about 28 lakh consumers of cooking gas in the country. The oil companies have historically been marketing cooking gas in metropolitan and other towns because of the demand potential, the availability of infrastructural facilities and economic viability of operations in such areas. LPG availability being limited, it has not been possible to extend the marketing to all the areas. With the anticipated large-scale increase in the LPG availability in the country from 1980, it may be possible to extend its marketing in due course to smaller towns and rural areas based on following :—

(i) Anticipated customer potential;
(ii) Nearness of the market from the source of supply;
(iii) Availability of safe/convenient mode of transport;
(iv) Maximum utilization of distribution equipment; and
(v) Viability in operations.

Supply of Liquefied Petroleum Gas (LPG) is made by the Oil Companies to the dealers as per refill requirements based on the number of consumers enrolled by them. A ceiling on the number of customers with each LPG distributor of the Indian Oil Corporation Limited (IOC) has already been prescribed. Steps are being taken to extend the ceiling to the LPG agencies of the taken-over oil companies also.

रसायन और उर्वरक तथा पेट्रोलियम मंत्रालयों का विलय

*299. **श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि रसायन और उर्वरक तथा पेट्रोलियम मंत्रालयों का विलय हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य वितरण तथा इस बारे में किए गए अन्य प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दो विभाग हैं, उनके नाम हैं :—

(क) पेट्रोलियम विभाग

(ख) रसायन और उर्वरक विभाग।

दोनों विभागों को आबंटित किये गये कार्य उसी प्रकार हैं जैसे कि पहले दोनों भूतपूर्व मंत्रालय :

पेट्रोलियम मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किये जाय थे।

नागपुर-नैनपुर रेल लाइन का बदला जाना

*300. **श्री वसंत साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नागपुर-नैनपुर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा अंतिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा; और

(ग) सिमोनी होकर नागपुर से जबलपुर तक नई रेल लाइन का निर्माण, दुर्ग भुसावल रेल लाइन का विद्युतीकरण तथा गीतांजलि एक्सप्रेस को सप्ताह में दो बार की बजाय प्रति-दिन चलाने जैसे अन्य प्रस्तावों के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क) और (ख) : जबलपुर से गोंदिया तक छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन खंड में बदलने के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण प्रगति पर है। प्रस्तावित बदलाव से नैनपुर और गोंदिया के रास्ते जबलपुर और नागपुर सम्बद्ध हो जायेंगे। जबलपुर-गोंदिया खंड के बदलाव के सम्बन्ध में निर्णय सर्वेक्षण पूरा होने और रिपोर्टों की जांच करने के बाद ही लिया जायेगा।

(ग) नागपुर और जबलपुर पहले से ही सिवनी और नैनपुर के रास्ते छोटी आमान की लाइन से जुड़े हुए हैं।

दुर्ग-भुसावल खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत एवं व्यावहारिकता सवक्षण किया जा चुका है। इस परियोजना पर लगभग 64 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। विद्युतीकरण की लम्बी अवधि के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देते समय इस परियोजना के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

हवड़ा-बम्बई गीतांजलि एक्सप्रेस को सप्ताह में अब दो दिन के बजाय 4 दिन चलाया जाता है। इसके फेरे बढ़ाने के सम्बन्ध में उचित समय पर विचार किया जायेगा।

DISTRIBUTION OF WORKS OF FERTILIZER PRODUTION AMONG DIFFERENT ZONAL UNITS

*301. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work of fertilizer production has been distributed among different zonal units keeping in view the production and management aspects thereof;

(b) if so, the complete details thereof;

(c) the additional expenditure involved in such arrangement; and

(d) the reasons for scrapping the old set-up ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (d) A statement giving the required information is laid on the Table of the House.

(a) to (d). Government have decided to re-organise the Fertilizer Corporation of India and National Fertilizers Ltd. into the following five companies :

Name of the Company	*Units/Divisions*
1. Fertilizer Corporation of India .	. Sindri (including Sindri Modernisation and Sindri Rationalisation), Gorakhpur, Talcher, Ramagundam and Korba.
2. National Fertilizers Limited	. Nangal, Bhatinda and Panipat.
3. Hindustan Fertilizer Corporation Limited	. Namrup, Haldia, Barauni and Durgapur.
4. Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited	. All Units of Trombay and the gas based plants in the south of Bombay.
5. Fertilizer (Planning & Development) India Ltd.	P & D Division of the FCI.

The main purpose of the re-organisation of FCI/NFL is to avoid centralisation of decision making and powers in FCI and to bring about greater autonomy to the field units. This would result in greater efficiency in plant operation.

Though the final details regarding the administrative expenditure involved in implementing the re-organisation proposals have not yet been worked out, this, expenditure is not expected to be significant.

संस्थाओं के पूंजी निवेश वाली कम्पनियां

*302. **श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी गैर-सरकारी कितनी लिमिटेड कम्पनियां हैं जिनमें सरकार तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने 51 प्रतिशत से अधिक पूंजी लगाई है; और

(ख) इन कम्पनियों के प्रबन्ध में सरकार का कितना हाथ है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) 31-3-1977 तक देश में कार्य कर रहीं 38,837 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों में से 428 सरकारी कम्पनियाँ थीं, अर्थात् ये वे कम्पनियां थीं, जिनकी प्रदत्त हिस्सा पूंजी में केन्द्रीय सरकार/अथवा राज्य सरकार (सरकारों) का भाग 51 प्रतिशत अथवा इससे अधिक था। इन 428 कम्पनियों में से किसी में भी, सरकारी वित्तीय संस्थाओं की कोई हिस्सा-पूंजी नहीं थी। शेष 38409 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों के बारे में अपेक्षित सूचना सुलभ नहीं है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) में निर्देशित 428 प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कम्पनियों का प्रबन्ध, केन्द्र तथा/अथवा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

आसाम में प्राकृतिक गैस

*303. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में नहर कटिया, दुलियाजान, मोरान तथा अन्य स्थानों पर तथा तेल साफ करने के कारखानों में, जहां कच्चा तेल भेजा जाता है, 10 लाख क्यूबिक प्राकृतिक गैस को जलाया जा रहा है जबकि देश भर में उपभोक्ता अधिक औद्योगिक गैस और एल० पी० जी० घरेलू गैस के लिए हायतौबा मचा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार गैस के इस प्रकार जलाये जाने को रोकने और औद्योगिक एवं घरेलु उपयोग के लिये उसे ईंधन में बदलने के प्रयोजन में लाने का है, और

(ग) देश में हर जगह, विशेष रूप से आसाम में कुओं के मुहानों पर, इस प्राकृतिक गैस को बचाने एवं उपयोग करने के लिए तकनीकी जानकारी हासिल करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है? .

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) असम में आयल इंडिया लिमिटेड के तेल क्षेत्रों से मिलने वाली सम्बद्ध प्राकृतिक गैस के कुछ भाभा मूख्यतः इसलिए जलाई क्योंकि कुछ ग्राहक अपने पहले बताई गई माँग की तुलना में कम गैस ले रहे हैं। ग्राहकों द्वारा गैस लेने के मामले में सुधार होने की आशा है। इस गैस में से तरल पेट्रोलियम गैस तैयार करने तथा कन्डेन्सेट निकालने के लिए एक प्लांट स्थापित करने की भी कम्पनी की योजना है। नामरूप उर्वरक प्लांट, जो कि गैस का फीड स्टाक के रूप में प्रयोग करता है के विस्तार की परियोजना भी विचाराधीन है।

चाय बागों को सप्लाई की जाने वाली थोड़ी मात्रा को छोड़कर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादन की जाने वाली शेष प्राकृतिक गैस जलाई जाती है। प्रति दिन 0.23 मिलियन घनमीटर गैस की सप्लाई के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने असम राज्य विद्युत बोर्ड को वचन दिया है और इसका उपयोग 1978-79 से आरम्भ होने की आशा है। नामरूप उर्वरक प्लांट के लिये आवश्यक गैस का एक भाग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा सप्लाई किया जायेगा।

प्रौद्योगिकी कारणों तथा सुरक्षा के कारण शोधशालाओं में गैस की कुछ मात्राओं का जलाया जाना रोका नहीं जा सकता और इस कारण जब जब शोधनशाला चालू रहती है तो गैस जलायी जाती है। सभी शोधशालाओं में जलायी जाने वाली गैस न्यूनतम रखी जाती है।

(ग) उर्वरक के उत्पदन के लिए गैस के फीड स्टाक के रूप में प्रयोग किये जाने को सरकार अधिकतम प्राथमिकता देती है। इसके लिये आवश्यक तकनीकी जानकारी देश में ही उपलब्ध है।

अविकसित क्षेत्रों में नई गाड़ियों का चलाया जाना

*304. **श्री रामजी लाल सुमन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता सरकार द्वारा सत्ता संभाले जाने के बाद देश के किन-किन अविकसित क्षेत्रों में नई गाड़ियां चलाई गई हैं;

(ख) उन गाड़ियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इन गाड़ियों से जनसाधारण को सुविधा होने के अतिरिक्त इनके चलाये जाने से कितनी आय हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 1977-78 के दौरान अब तक चलायी गयी गैर-उपनगरीय गाड़ियों का उल्लेख किया गया है।

(ग) प्रत्येक गाड़ी से प्राप्त आय के आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1805/78**]

स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के लेखाओं के बारे में शिकायतें

2687. **श्री रामदेनी राम** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के कम्पनी पंजीयक ने बताया है कि स्वदेशी पौलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं के अनुरूप नहीं रखे जा रहे हैं;

(ख) प्रश्न यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या कोई जांच की गई है और क्या सरकार कम्पनी के मामलों की जांच के लिए विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ) कम्पनी कार्य विभाग ने इस कम्पनी के कार्य-कलापों की कोई जांच, अथवा इसके लेखाओं की विशेष लेखा-परीक्षा, आयोजित नहीं की है। तथापि, इस कम्पनी की लेखा-बहियों की, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209-क के अन्तर्गत जांच के आदेश प्रेषित किये गये हैं, जो प्रवर्तमान हैं।

स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड के कुप्रबन्ध के बारे में शिकायतें

2688. **श्री के० लकप्पा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रबन्धकों के कुप्रबन्ध और अपकरण के बारे में जानकारी और शिकायतें मिली हैं;

(ख) उक्त जानकारी और शिकायतों के बारे में मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या इनकी जांच में विलम्ब किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस कम्पनी के पूर्ण अधिग्रहण की मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) साधारणत: यह आरोप लगाते हुए शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि प्रबन्ध निदेशक तथा उसका पुत्र (1) कम्पनी के कार्य-कलापों का कुप्रबन्ध कर रहे हैं, (2) अवास्तविक रूप से व्यय कर रहे हैं, जबकि 1974–75 के लेखाओं में उनके छल साधनों से भारी हानियां दिखाई गई हैं; (3) हिस्सेधारियों के हितों के प्रतिकूल अनुचित तरीकों से बड़ी मात्रा में "धन" इकट्ठा कर रहे हैं; (4) काला बाजारी कर रहे हैं, (5) कम्पनी के खर्चों पर, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के चांदी के बर्तनों की खरीद कर रहे हैं, (6) कर अपवंचना को प्रश्रय दे रहे हैं; (7) छ: कीमती कारें रख रहे हैं तथा (8) विक्रय प्रवर्तनात्मक व्यय के रूप में धन को और दिशा में लगा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किसी जांच के आदेश नहीं दिये गये हैं। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा-बहियों का निरीक्षण प्रवर्तमान है।

(ङ) तथा (च) कम्पनी कार्य विभाग को इस कम्पनी की अधिग्रहण करने के लिए किसी मांग का पता नहीं है।

बड़े औद्योगिक गृहों को विस्तार के लिए अनुमति

2689. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े औद्योगिक गृहों की गतिविधियों में विस्तार के लिए उनके 21 प्रस्ताव मंजूर कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो विस्तार की अनुमति किन-किन क्षेत्रों के लिये दी गई है और इस निर्णय का लाभ किन-किन औद्योगिक गृहों को हुआ है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) तथा **(ग)** वृहद् व्यापारिक घरानों के 21 प्रस्तावों का माननीय सदस्य द्वारा निर्देश दिनांक 7 फरवरी, 1978 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "21 एम० आर० टी० पी० फर्म्स, अलाइड एक्यान्सन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर प्रतीत होता है।

1977 के वर्ष के प्रथम छ: मासों के मध्य एकाधिकार एवं निबन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत सारवान विस्तार अथवा नवीन उपक्रमों के स्थापनार्थ अनुमोदित इन 21 प्रस्तावों के ब्यौरे प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1806/78**]

उच्चतम 20 बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में वृद्धि

2690. **श्री के० टी० कोसल राम :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम 20 बड़े औद्योगिक गृहों की आस्तियों में 1971 और 1977 के बीच वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 1971 और 1977 के लिए उनकी क्रमशः आस्तियों के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उनकी आस्तियों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) माननीय सदस्य का ध्यान, दिनांक 20-12-77 को उत्तर दिये गये लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 503 के उत्तर की ओर आकर्षिक किया जाता है, जिसमें 20 शीर्षस्थ घरानों की परि-सम्पत्तियों पर सूचना (जो 1972 से 1975 तक वर्षों की उपलब्ध है) भेजी गई थी। परवर्ती वर्षों अर्थात् 1976 तथा 1977 के वर्षों के सम्बन्धित तुलन-पत्र तथा आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) विद्यमान व्यापारिक उपक्रमों की परिसम्पत्तियों में प्राकृतिक वृद्धि के अलावा, यह भी आलोकित किया जाये कि एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 में भी उपक्रमों की परिसिम्पत्तियों में पच्चीस प्रतिशत की सीमा तक विस्तार करने की अनुमति है। एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के कार्यकलापों पर सम्बन्धित रिपोर्टों, जो प्रत्येक वर्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं, से भी प्रतीत होगा कि केन्द्रीय सरकार ने भी, इस अधिनियम के अनेक उपबन्धों तथा अपनी लाइसेंस देने की नीति, के अन्तर्गत विस्तार तथा नवीन उपक्रमों की स्थापनार्थ बहुत से प्रस्तावों पर अपनी अनुमति प्रदान की है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड में कदाचार सम्बन्धी समाचार

2691. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1978 के 'न्यू ऐज' साप्ताहिक में "ग्राउन्ड मुगल्स आफ हिन्दुस्तान लीवर" शीर्षक के अन्तर्गत हिन्दुस्तान लीवर में फैले कदाचार के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उसे समाप्त करने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख), (ग) और (घ) लेख आवश्यक रूप से कम्पनी के निदेशकों और कार्यकारियों को परिलब्धियों समेत पारिश्रमिक के देने के सम्बन्ध में है। कम्पनी के निदेशकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी की गई मार्ग संदर्शिका के अनुसार है। सिवाए उस स्थिति में जहां कार्यकारी अधिनियम की धारा 204-क या 314(1ख) के अन्तर्गत आते हैं। कम्पनी के कार्यकारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक के लिए कम्पनी

अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्वीकृति की अपेक्षा नहीं होती। निदेशकों को पारिश्रमिक देने के सम्बन्ध में संदर्शिका के संशोधन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और इसलिए लेख में कहे गए तथ्यों के ऊपर किसी विशेष कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

दक्षिण मिजोरम में कोलोडाइन नदी में गैस और तेल

2692. **श्री रोबिन सेन :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण मिजोरम में कोलोडाइन नदी के पानी से गैस और तेल की गन्ध आती है;

(ख) यदि हां, तो क्या नदी में तेल और प्राकृतिक गैस क्षमता का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कालादन नदी के क्षेत्र में किये गये प्रारम्भिक सर्वेक्षणों से वहां गैस के पाये जाने के संकेत मिले हैं। परन्तु त्रिपुरा और मिजोरम में इस प्रकार की सतह गैस का पाया जाना आम बात है, और आमतौर पर उनमें से अधिकांश को वाणिज्यिक स्तर की नहीं समझा जाता है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कालादन नदी क्षेत्र सहित पूर्वी मिजोरम में किये गये खोज कार्यों से ये संकेत मिले हैं कि संरचनाएं आम तौर पर इस बात के अनुकूल नहीं हैं कि इसमें वाणिज्यिक स्तर पर हाइड्रोजन संचित की जा सके। तथापि मिजोरम के पूर्वी भाग में स्थित संरचनाओं में हाइड्रोजन के पाये जाने की बेहतर संभावनाएं समझी जाती हैं। अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इस समय पूर्वी मिजोरम क्षेत्र का नक्शा तैयार कर रहा है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी को सरकार द्वारा ऋण

2693. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उवरक** मंत्री हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे (महाराष्ट्र) को हुई हानि के बारे में 20 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4682 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों की अवधि में अपनी कमी को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी, पुणे (महाराष्ट्र) को केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि का ऋण दिया है;

(ख) उपर्युक्त अवधि में लगभग आठ करोड़ रुपयों के घाटे के लिए इस उपक्रम ने क्या कारण बताये हैं;

(ग) उपर्युक्त घाटे के कारणों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस उपक्रम को हुये घाटे को पूरा करने का है ताकि धन वापिस दिलाया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो क्या हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स को तदनुसार आदेश दे दिये गये हैं, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1974-75 से 1977-78 के दौरान सरकार ने हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० को, उनकी रोकड़ संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 1284.08 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया है। उपर्युक्त ऋण में 407.51 लाख रुपये का कम्पनी द्वारा भुगतान किया गया है और शेष 876.49 लाख रुपये बकाया पड़े हैं।

(ख) हानि के लिए कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) तेल मूल्य में वृद्धि से मुद्रास्फीति के दबाव के परिणामस्वरूप सभी संभाव्यताओं से बाहर प्रमुख निवेश की लागत में वृद्धि।

(2) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत 1974 तक प्रपुंज एन्टीबायोटिक्स के बिक्री मूल्य में संशोधन न होना।

(3) प्रक्रिया समस्याओं के कारण विटामिन सी संयंत्र के संचालन में अमितव्यता।

(ग) से (घ) यह सरकार की इच्छा रही है कि उपक्रमों को अच्छा कार्य करके हानि को कम करने के लिए प्रयास करने चाहिएं। इस सन्दर्भ में मूल्यों में कटौती उत्पादन लागत को कम करने उत्पादकता बढ़ाने, की हमारी प्रवृति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित बातों पर विचार किया जा रहा है:

(1) सरकार ने जापान के मैसर्स टोयो जोजो से प्राप्त पेंसिलिन के लिए प्रौद्योगिकी और अधिक उत्पादन वाले स्ट्रेनों को जारी करने की स्वीकृति दी है।

(2) मैसर्स ग्लैक्सो लैबोरेटरीज लि० से प्राप्त अधिक उत्पादन वाले स्ट्रेनों को स्ट्रेप्टोमाईसिन के लिए जारी किया गया है। इससे एस० ए० ए० द्वारा निर्मित दोनों महत्वपूर्ण एन्टीबायोटिक्स की उत्पादकता में 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है।

(3) विटामिन सी संयंत्र का पुनः निर्माण किया जा रहा है और इससे उत्पादन में वृद्धि होगी तथा उत्पादन की नीति में उचित स्तर तक कटौती की संभावना है।

(4) सूत्रयोगों की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है।

(5) कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में संयुक्त क्षेत्र सूत्रयोग संयंत्रों पर भी विचार किया जा रहा है।

(6) कम्पनी ने आयोजित उपचार अनुरक्षण, उत्पादन योजना और जन शक्ति योजना आदि के लिए आधुनिक प्रबन्ध तकनीकी और पद्धति सम्पर्क भी जारी किया है।

उपर्युक्त कदमों और सरकार की सलाह और मंजूरी के कारण यह आशा की जाती है कि कम्पनी के कार्य में सुधार होगा और कम्पनी, सरकार द्वारा मंजूर किए हुए ऋण का भुगतान करने में समर्थ हो जाएगी।

कम्पनी को कोई विशेष आदेश जारी नहीं किए गए हैं परन्तु निदेशक मण्डल पर सरकार के प्रतिनिधियों ने कम्पनी के प्रबन्ध को सलाह दी है कि सरकार की नीतियों के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

CONVERSION OF MORADABAD-RAMNAGAR M.G. LINE

†2694. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it has been decided to convert Moradabad-Ramnagar via Kashipur metre gauge railway line into broad gauge line; and

(b) if so, the reasons for giving on lease the land at Moradabad City and Kashipur stations for building shops there ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Railway land at Moradabad and Kashipur stations has been licensed for shopping purposes on yearly basis. The Railway reserves the right to terminate the licence whenever the land is required for its own purposes and as such the land licensed for shopping purpose can be taken back when required in connection with the conversion of Moradabad-Ramnagar section via Kashipur from MG to BG.

बड़े गृहों द्वारा दूसरी कम्पनियों के नियंत्रक हितों के खरीदने पर प्रतिबन्ध

2695. **श्री मोहनलाल पिपिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े गृहों द्वारा दूसरी कम्पनियों के नियंत्रक हितों को खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के 1 करोड़ रुपये के शेयर 5 करोड़ रुपये देकर मूल्य पर 'थापर' बन्धुओं द्वारा खरीदे जाने के कथित प्रयत्न के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार के अधिग्रहण प्रयास को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई सुझाव दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार के और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सम्बन्धित विभाग को कोई ऐसे निर्देश जारी किये गये हैं कि यदि थापर बन्धुओं को शेयर खरीदने की अनुमति दी जाए तो उन्हें छोटे शेयरधारियों के सारे शेयर भी उसी मूल्य पर खरीदने होंगे?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

3—145LSS/78

(ख) स्वदेशी पोलिटैक्स लिमिटेड, गाजियाबाद में थापर बन्धुओं द्वारा शेयरों को 5 करोड़ रुपयों के मूल्य पर खरीदने के सम्बन्ध में सूचित किए गए प्रस्ताव के लिए कम्पनी अधिनियम की धारा 108क और 372(4) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ, तो उसका गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थापर बन्धुओं को शेयरों की बिक्री के लिए कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुझाव दिया है कि स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड का केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाए और यह सुझाव उद्योग मंत्रालय में, जो इस विषय में सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय है, विचाराधीन है।

(ङ) इस पहलू पर, जब कभी थापर बन्धुओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा, तो विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक

2696. **श्री के० प्रधानी** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा उच्चस्तरीय प्रबन्धकों की हाल ही में कोई बैठक बुलाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन विषयों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) आमतौर पर प्रत्येक मास पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री, मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं। पिछली ऐसी बैठक 7 जनवरी, 1978 को हुई थी। इन बैठकों में मंत्री जी संयंत्रों के कार्य निष्पादन में आने वाली समस्याएं, औद्योगिक सम्बन्ध तथा अन्य सम्बन्धित विषयों का पुनरीक्षण करते हैं तथा विचार-विमर्श के पश्चात् उपयुक्त निर्णय लिये जाते हैं।

बस्तर जिले में रेल लाइन

2697. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि मध्य प्रदेश का बस्तर जिला देश में सख्त लकड़ी तथा बांस के उत्पादन में देश का एक सम्पन्न जिला है परन्तु पर्याप्त रेल लाइन न होने से इनकी ढुलाई में बाधा पड़ती है;

(ख) क्या उन्हें यह भी पता है कि जगदलपुर को रायपुर से मिलाने वाली नई रेल लाइन इन वन-उत्पादों की ढुलाई के लिए अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो क्या वे नई रेल लाइनें बिछाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क से (घ) रायपुर-धमतरी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने और बस्तर जिले में दल्ली-राहजरा से जगदलपुर तक नयी बड़ी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। अनुमान लगाया गया है कि इस परियोजना पर लगभग 55 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। इस परियोजना को प्रारम्भ करने का प्रश्न इस प्रयोजन के लिए संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

PROMOTION, TRANSFER AND REINSTATEMENT OF EMPLOYEES

†2698. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of employees in respect of whom orders for promotion, transfer and reinstatement have been issued by him after the formation of Janata Government and the number of orders, out of them, complied with by officers; and

(b) whether it is a fact that some higher officers of the Railway Department have not complied with these orders by treating them as "political orders" and if so, the action being taken by Government against those officers ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS **(SHRI SHEO** NARAIN) : (a) Immediately after the formation of the present Government, orders were given to reinstate those who were dismissed, removed from service or suspended or transferred for participation in the strike of May 1974. These orders were carried out by the Railway Administrations even before the target date fixed by Government.

(b) No case of refusal to comply with orders, has come to notice. Where orders of the competent authority are wilfully not carried out, the service rules contain adequate provision for penal action.

कोरबा उर्वरक संयंत्र पर व्यय की गई राशि

2699. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कोरबा में लगाये जाने वाले कोयले पर आधारित प्रस्तावित कारखाने पर भारतीय उर्वरक निगम ने कितनी धनराशि खर्च की है;

(ख) क्या कोरबा कारखाने का कार्य जुलाई, 1977 से बन्द है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच नहीं है कि रामागुंडम (आन्ध्र प्रदेश) तथा तालचर (उड़ीसा) पर कार्य समय-सूची के अनुसार तेजी से चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार भेदभाव के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जून 1974 को कोरबा फर्टिलाइजर परियोजना 118.25 करोड़ रुपयों की लागत से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई थी, तथा 1978 में मुकम्मल होनी थी। 1973-74 के अन्त तक, 2.3 करोड़ रुपये पहले ही व्यय हो चुके थे। प्रतिबंधित संसाधनों के कारण 1974 के मध्य में उर्वरक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निधि के आबंटन के लिए योजनाबद्ध व्यवस्था का

पुनरीक्षण किया गया था तथा यह निश्चय किया गया था कि कोरबा परियोजना का काम धीमा किया जाये क्योंकि अन्य दो कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र अर्थात् तालचर तथा रामागुण्डम पूर्ण गति से काम कर रहे हैं, यह अच्छा होगा कि कोरबा परियोजना को कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र की नई प्रौद्योगिकी के अनुमोदन के पश्चात् ही तेज किया जाए। अक्तूबर 1977 तक परियोजना पर 19.13 करोड़ रुपये खर्च हुए तथा 1977-78 के दौरान इस पर 3 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाने का विचार है।

परियोजना के आगामी कार्यान्वयन तथा कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना पर विचार कोयले पर आधारित दो संयंत्र रामागुण्डम तथा तालचर के संचालन के अनुभवों से प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। रामागुण्डम तथा तालचर परियोजनाओं के 1978 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

माल-डिब्बे

2700. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में 1 जनवरी, 1978 को रेल लाइनों की कुल लम्बाई, माल डिब्बों तथा इंजनों की संख्या कितनी थी;

(ख) गत वर्ष देश के विभिन्न केन्द्रों से देश के प्रमुख पत्तनों तक माल ले जाने से रेलवे को कितनी आय हुई; और

(ग) प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में मांगे गये आंकड़े पहली और तीसरी पंच-वर्षीय योजनाओं के अन्तिम वर्षों में क्या थे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 1 जनवरी, 1978 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

31-3-77 के अद्यतन आंकड़े नीचे दिये गये हैं:—

मार्ग किलोमीटर	60,666
कुल रेलपथ किलोमीटर	102,837
(चालू रेलपथ, साईडिंग, यार्ड आदि) माल डिब्बों की संख्या (इकाइयों में)	397,773
इंजनों की संख्या	
भाप	8,263
डीजल	1,003
बिजली	844

(ख) अन्तर्देशीय केन्द्रों से बड़ी भारतीय बन्दरगाहों तक चलने वाले यातायात से होने वाली आमदनी के अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1976-77 के दौरान स्थान शुल्क, विलम्ब शुल्क प्रभारों आदि को छोड़कर रेलों द्वारा ढोये गये माल यातायात से प्राप्त कुल राजस्व 1275.6 करोड़ रुपये था।

	पिछला वर्ष	
	पहली पंचवर्षीय योजना का अर्थात् (1955-56)	तीसरी पंचवर्षीय योजना का अर्थात् (1965-66)
मार्ग किलोमीटर . .	55,011	58,399
कुल रेलपथ किलोमीटर . .	78,233	92,474
माल डिब्बों की सं० (इकाइयों में)	240,756	370,019
इंजनों की संख्या		
भाप	9,026	10,613
डीजल	67	727
बिजली	79	403
स्थान शुल्क विलम्ब शुल्क प्रभारों आदि को छोड़कर रेलों द्वारा ढोए गये माल यातायात से प्राप्त राजस्व (करोड़) . .	177.4 रु०	452.4 रु०

LINE FROM PIRPAINTI TO JAMATAR

†2701. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any proposal to construct a railway line from Pirpainti to Jamatar via Dumka or on Kiul-Asansol line has ever been under consideration of Government;

(b) whether Government propose to construct a railway line there for transportation of these minerals and to provide more transport facilities in this backward Adivasi areas; and

(c) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) No survey has so far been carried out for laying a line between Pirpainti and Jamatar via Dumka and there is no proposal under consideration at present to construct the line on account of very limited availability of resources.

झिबी अचंल के निर्वाचकों द्वारा मतदान से अनुपस्थित रहना

2702. **श्री शशांकशेखर सान्याल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री झिबी अचंल के निर्वाचकों द्वारा पिछले संसदीय निर्वाचनों में मतदान से अनुपस्थित रहने के बारे में 6 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2698 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाचकों की अनुपस्थिति के कारणों और उनकी शिकायतों के बारे में अब जानकारी इकट्ठी कर ली है;

(ख) जहां तक यह विषय केन्द्रीय सरकार की शक्ति के अन्तर्गत है, इन शिकायतों को दूर करने के लिए उसने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) जहां तक यह विषय पश्चिमी बंगाल सरकार की शक्ति के अन्तर्गत है, यदि उसे कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाए गए हैं तो वे क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार के मुख्य निर्वाचन आफिसर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मुर्शिदाबाद जिला के थाना खरग्राम के अन्तर्गत झिवी अर्चल, जिसमें 8 जंगीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खरग्राम खण्ड में मतदान केन्द्र सं० 75 से 83 तक हैं, में कोई मत नहीं डाला गया था। संबंधित मतदाताओं के मतदान से अनुपस्थित रहने के कारण ज्ञात नहीं हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ESSO AND INDANE GAS CONSUMERS IN SURAT

2703. SHRI CHHITUBHAI GAMJIT : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of ESSO and Indane Gas consumers in Surat city and Surat district and the demand in respect of new gas consumers;

(b) whether the customers of the rural areas do not get regular supply of gas cylinders; if so, the reasons therefor; and

(c) the steps being taken by Government to meet the demand of the consumers and to ensure regular supply of gas cylinders and the time by which demand of new consumers is likely to be met ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The details are as follows :—

Area	Number of cooking gas consumers	
	Indian Oil Corporation	Hindustan Petroleum Corporation (Successors of ESSO)
Surat city	15,250 (approx.)	13,360
Surat District (Excluding Surat city) . . .	Not marketing LPG in areas outside Surat city.	9,000 (approx.)

The demand for cooking gas in entire Surat district has been estimated to be about 54,000 customers.

(b) and (c) During the period between September 1977 to December 1977, in Surat area due to restricted availability of LPG. After the truth around of the Hindustan Petroleum Corporation Refinery in October/November, 1977 and subsequent commissioning of the Catalytic Debottlenecking Project, at the HPC Refinery, the LPG availability position has improved in Surat area. While the refill requirement of existing customers in the country are generally being met in full, the present demand for new gas connections in the country is far in excess of the availability based on current LPG production in the refineries. Availability of the product is expected to improve in the next 2 to 3 years when it will be possible to enroll more customers.

BOOK STALL CONTRACT

2704. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether M/s. A. H. Wheeler & Co. pay 2½ per cent of royalty to Government on account of bookstall contracts;

(b) if so, whether the employees working on the bookstalls are ready to pay 5 per cent of royalty for the same contract; and

(c) if so, the reasons for which the contract of the bookstalls is not given to them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) & (c) Royalty at the rate of 2½ per cent on the total sales turnover is paid by other bookstall contractors also except petty bookstall contractors who pay lumpsum licence fee at a lower rate. Since the present term of A. H. Wheeler & Co. and other 2 major bookstall contractors is valid upto 31-12-84, any proposal for allotment of these bookstalls to others cannot be considered at present.

भुवनेश्वर से दिल्ली के लिये नई गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

2705. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए कोरोमंडल एक्सप्रेस जैसी नई और तेज गति की गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लोहे के स्लीपरों के स्थान पर आर० एस० स्लीपर्स

2706. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान ढलवां लोहे के स्लीपरों के स्थान पर आर० एस० स्लीपर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) किन क्षेत्रों में ऐसा परिवर्तन कार्य शीघ्र आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) ऐसे परिवर्तन से होने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है तथा स्लीपरों के परिवर्तन के अन्तर्गत लाये जाने वाले क्षेत्रों पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ढलवां लोहे के स्लीपरों के स्थान पर रौल्ड इस्पात के स्लीपरों के प्रयोग की व्यावहारिकता की जांच अभी प्रारम्भिक अवस्था में है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

APPROVAL FOR SETTING UP OF A DRUG FACTORY IN RAJASTHAN

2707. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government have given its approval for the setting up of a drug factory by Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation and Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd.:

(b) if so, the capital to be invested in the factory;

(c) the number of people who will get the employment;

(d) the drug to be produced there;

(e) the time by which it would start functioning; and

(f) whether Government propose to set up this factory in District Jhalawar which is very backward and where but has a large number of educated unemployed youths and where land, water and power are available in abundance and is surrounded by hills and herbs are also available and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The proposal of IDPL to set up a Joint Sector formulation unit in Jaipur (Rajasthan) in Joint participation with Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation is under consideration of Government.

(b) The capital cost of the proposed Joint Sector project of IDPL and RIMDC is estimated at Rs. 94.85 lakhs including working capital margin of Rs. 14.62 lakhs.

(c) The proposed project envisages employment of 150 people.

(d) The proposal envisages production of following categories of drug formulations :—

Tablets	..	300 million per annum
Liquid Orals	..	120 Kilo Ltrs. per annum
Ampoules	..	5 million per annum
Transfusion bottles	..	0.5 million per annum

(e) The project envisages commissioning of the drug formulation activities in 1½ years from the date of the sanction by the Government.

(f) No, Sir. The project is proposed to be set up at Jaipur, since the successful operation of a modern pharmaceutical unit requires ready access to facilities such as medical and pharmacy colleges, research institutions and libraries in addition to ready availability of a large number of low value ancillary materials, chemicals, bulk drugs, intermediates, packing materials like bottles, foils, cartons, boxes, labels and caps, etc. The district of Jhalawar does not appear to have the necessary infra-structure for the successful operation of the drug formulation unit.

कोटा और लखनऊ के बीच अवध एक्सप्रेस का चलाया जाना

2708. **श्री रामकंवार बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटा और लखनऊ के बीच अवध एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को कब तक कार्यरूप दिया जाएगा, यह रेल गाड़ी किन-किन स्टेशनों पर रुकेगी और क्या इस रेल गाड़ी का नाम बदलकर चम्बल एक्सप्रेस कर दिया गया है और इसका क्या ब्यौरा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। लेकिन, 63 अप/64 डाउन अवध एक्सप्रेस को, मई 1978 में किसी समय से गंगापुर सिटी तक/से बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ख) बढ़े हुए भाग पर यह गाड़ी बयाना, फतेहपुर सीकरी तथा ईदगाह आगरा में रुकेगी। इस गाड़ी का नाम बदलकर चम्बल एक्सप्रेस कर देने का कोई विचार नहीं है।

तेल भंडारों की खोज

2709. **श्री नटवरलाल बी० परमार :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में तेल के भंडारों के लिए किन-किन स्थानों पर खोज कार्य किया जा रहा है;

(ख) क्या खोज कार्य भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा स्वदेशी तकनीकी ज्ञान के आधार पर किया जा रहा है अथवा विदेश प्रौद्योगिकी के सहयोग से; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में विवरण क्या है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ओ० एन० जी० सी० इस समय गुजरात में सरभन और पिसवाड़ा, उत्तर प्रदेश में पूरनपुर, हिमाचल प्रदेश में रामशहर, पश्चिम बंगाल में डाइमण्ड हार्बर और असम में चारगोला नामक छः नये स्थानों पर अन्वेषी व्यधन कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त अपतटीय क्षेत्र की दो नयी संरचनाओं में अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा रहा है।

आयल इंडिया लिमिटेड, अरुणाचल प्रदेश के कारसन क्षेत्र के कामची नामक नये स्थान पर अन्वेषी व्यधन कार्य कर रही है।

(ख) और (ग) विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय तकनीशियनों द्वारा तेल अन्वेषण सर्वेक्षण कार्य और व्यधन कार्य और परीक्षण संचालन कार्य किये जा रहे हैं। अपतटीय क्षेत्रों में भूभौतिकीय सर्वेक्षण ओ० एन० जी० सी० के सर्वेक्षण जहाज 'अन्वेषक' द्वारा किये जा रहे हैं और इसका आयोजन उसके अपने तकनीशियनों द्वारा किया जाता है। जर्मन फर्म मैसर्स प्राकला कृष्णा गोदावरी बेसिन का अपतटीय सर्वेक्षण कार्य ठेके पर कर रही है।

अपतटीय क्षेत्रों में भी व्यधन संचालन कार्य तीन व्यधन जहाजों (ड्रिलशिप) द्वारा किया जा रहा है जिनमें से एक ओ० एन० जी० सी० का है और उसी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और अन्य दो जहाज विदेशी कम्पनियों से किराये पर लिये गये हैं। ओ० एन० जी० सी० के व्यधन कार्य और भूवैज्ञानिकों और तकनीशियनों को इन दो किराये पर लिये गये व्यधन जहाजों को व्यधन और परीक्षण कार्य संचालन में सहयोजित किया जा रहा है।

बठनाहा से सिलीगुड़ी तक रेल लाइन

2710. **हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्रा के समय में पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे के अन्तर्गत फोरबिसगंज अथवा बठनाहा से सीलीगुड़ी तक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था;

(ख) क्या स्थान चयन सर्वेक्षण कराया गया था और प्राक्कलन भी तैयार किए गए थे यदि हां, तो इस समय कार्य किन चरणों में है और उसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रस्ताव के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ तथा अल्पविकसित है और एक महत्वपूर्ण पटसन उत्पादन केन्द्र है; और

(घ) क्या सरकार का विचार पटसन उत्पादकों की सफलतापूर्वक ढुलाई के विचार से यह रेल लाइन बिछानेका है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) लोगों को मालूम है कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहां पटसन की उपज होती है परन्तु धन की अत्यधिक तंगी के कारण तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पहले से किये गये अनेक वायदों को पूरा करना है, फिलहाल इस रेल लाइन का निर्माण हाथ में लेना सम्भव नहीं है।

विद्युत वाणिज्यिक विभाग

2711. **श्रीमती पार्वतीकृष्णन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्यभार बढ़ने के उपरान्त भी विद्युत वाणिज्यिक विभाग में पद समाप्त किये जा रहे हैं;

(ख) क्या इसके साथ-साथ अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों की संख्या बढ़ा जा रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) केवल निम्नलिखित कुछ पदों का उनके समकक्ष निम्न श्रेणी के पदों का अभ्यर्पण करके अगस्त 1974 से (जब से पदों पर प्रतिबन्ध लगा था) सृजन किया गया है :--

	बिजली	वाणिज्य
प्रवर वेतनमान . .	5	2
कनिष्ठ वेतनमान/श्रेणी II . . .	4	7

ऐसी ही सूचना श्रेणी III के प्रवर पर्यवेक्षण पदों के सम्बन्ध में इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तेल शोधक कारखानों में अधिक कर्मचारी

2712. **श्री ए० के० राजन :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इंडियन आयल के अधीन तेल शोधक कारखानों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार समस्या का किस प्रकार समाधान करने का है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन के अधीन चार शोधनशालाओं में गोहाटी और बरौनी शोधनशालाओं में कुछ अधिशेष स्टाफ पाया गया है?

(ख) उक्त दो शोनधशालाओं में पाये गये अधिशेष स्टाफ की संख्या इस प्रकार है:

गोहाटी शोधनशाला . . .	155 कामगार
बरौनी शोधनशाला . .	659 कामगार

गुहाटी शोधनशाला में अधिशेष स्टाफ के 63 कामगार शोधनशाला के सुरक्षा विभाग से सम्बन्धित हैं जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के मिलाने के परिणामस्वरूप जनवरी 1977 में अधिशेष माना गया था।

सभी अधिशेष कर्मचारियों के ब्यौरे रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में वहां की आश्यकताओं के अनुसार यथासम्भव खपाने के लिए अधिसूचित किये जाते है।

परिवहन कर्मचारी

2713. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सभी भारतीय रेलवे में जोनवार परिवहन कर्मचारियों की पदोन्नति का माध्यम क्या है;

(ख) क्या यह प्रत्येक जोन में अल-अलग है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात द्वारा अशोधित तेल की सप्लाई के लिये भुगतान के तरीके में परिवर्तन

2714. **श्री विनोदभाई वी० सेठ :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुजरात द्वारा सप्लाई किये गये अशोधित तेल के लिए भुगतान के तरीके में संशोधन करने पर विचार कर रही है जो 'मीट्रिक टन' आधार पर की बजाये 'मूल्यानुसार' आधार पर किया जाएगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में गजरात सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या भुगतान के तरीके में कोई परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा; यदि नहीं तो क्यों नहीं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) संभवत: यह प्रश्न अशोधित तेल की रायल्टी से सम्बन्धित है। अशोधित तेल की

रायल्टी दर अन्य बातों के साथ-साथ अशोधित तेल के देशी उत्पादकों के लिए कुआं शीर्ष अथवा तेल क्षेत्र पर अनुमत बिक्री दर को ध्यान में रखते हुए, जैसा भी मामला हो, तय की जाती है। अशोधित तेल और कैसिंग हैड कनडैन्वेट के लिए रायल्टी की दर की 8 सितम्बर 1976 से 15 रुपये प्रति मी० टन से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति मी० टन तक कर दिया गया था।

गुजरात सरकार ने सुझाव दिया है कि रायल्टी की दर की समान किस्म के मध्य पूर्वी कच्चे तेल के पूर्ण रूप से अंकित मूल्य अथवा भारतीय शोधनशालाओं द्वारा देय पूल मूल्य के आधार पर कम से कम 10 प्रतिशत पर तय किया जाना चाहिये। तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 1948 के उपबन्धों के अन्तर्गत रायल्टी की दर चार वर्ष में मात्र एक बार बढ़ाई जा सकती है।

EXPENDITIOUS DISPOSAL OF ELECTION DISPUTES

†2715. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of **LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS** be pleased to state :

(a) whether steps are proposed to be taken to have arrangements for expeditious disposal of election disputes and for cutting down election expenses.

(b) if so, by what time; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI NAR SINGH) : (a), (b) and (c) There is no statutory time-limit fixed under the Election Law for the disposal of election petitions. However, section 86(7) of the Representation of the People Act, 1951, provides that every election should be tried as expeditiously as possible and an endeavour should be made to conclude the trial within six months from the date on which the election petition is presented to the High Court for trial. The question of cutting down of election expenses is being examined in the context of electroral reform. It will take some time before decisions are taken in the matter.

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों का वेतन निर्धारण

2716. **श्री किशोर लाल** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड इस कम्पनी में सेवा आरम्भ करने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के मामले में सरकारी मूल और अनुपूरक नियमों के आधार पर अपनी कार्मिक नीति का अनुसरण करती है;

(ख) क्या वेतन निर्धारण के कुछ मामलों पर कार्मिक नीति उपलब्ध न होने पर मूल नियमों और अनुपुरक नियमों का अनुसरण किया जायेगा; और

(ग) मूल नियमों/अनुपूरक नियमों के लागू न होने पर अन्य कौन-कौन से नियम लागू होते हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क), और (ग) जी हां। जिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने कम्पनी में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यभार सम्भाला या जिनके पद ग्रहणाधिकार उनके मूल सरकारी विभाग में सुरक्षित रखे गये

थे, उनके वेतन का निर्धारण उन पर लागू होने वाले नियमों, मूल तथा पूरक नियमों के अनुसार था जो नियम सरकारी कर्मचारियों के मूल कार्यक्रम में लागू होते हैं, के अनुसार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

RAILWAYS PASSES TO SADHUS, ETC.

†2717. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government propose to include the moral and spiritual preaching 'Sadhus', 'Saints', 'Peers' and missionaries in the scheme, under which public workers, engaged in educational, social and cultural activities are provided railway passes;

(b) if so, the criteria to be adopted therefor; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a), (b) & (c). Government have laid down the following broad guidelines for the issue of complimentary passes :—

(i) Institutions and organisations devoted to social, cultural, scientific, literary, sports and educational activities and whose work is of an all-India character.

(ii) Organisations devoted to the welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, backward and neglected sections, women, blind and handicapped persons, etc.

(iii) Eminent persons engaged in work of national importance for which they are required to undertake frequent journeys.

Based on these criteria, complimentary card passes are issued only to the persons/organisations covered by these guidelines on the merits of each case.

इंजिनियर्स इंडिया एसोसिएशन, नई दिल्ली के सदस्यों द्वारा भूख हड़ताल

2718. **श्री गंगाधर अप्पा बुरांडे : क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को पता है कि इंजीनियर्स इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों ने कर्मचारियों की छंटनी के विरोध में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सामने धरना और अनिश्चित भूख हड़ताल प्रारम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी बाहाली के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीन नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड कर्मचारी संघ, भटिण्डा के सदस्यों ने, विशेषकर निर्माणकार्य के कार्मिकों के वर्ग 8 और 9 के कर्मचारियों ने, जिनकी नौकरी भटिण्डा स्थित एक विशिष्ट परियोजना अवधि के लिए बिल्कुल अस्थायी है, इन्जीनियर्स इंडिया लिमिटेड में अपने आपको खपाने/रोजगार को बरकरार रखने से सम्बन्धित मांग लेकर 6 फरवरी, 1978 से सांकेतिक भूख हड़ताल से "धरना" आरम्भ कर दिया। अब इस धरने को 1 मार्च, 1978 से समाप्त कर दिया गया है।

(ख) ई० आई० एल० ने भटिण्डा उर्वरक परियोजना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से अपने किसी भी कर्मचारी को अभी तक निकाला नहीं है। ई० आई० एल० की नीति के अनुसरण में प्रस्तावित विशिष्ट परियोजना की अवधि की समाप्ति पर उन्हें निकाला ही जायेगा।

गुजरात में पेन्टाक्रिथोटॉल" बनाने के लिये रासायनिक संयंत्र

2719. **श्री शरद यादव:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र के एक उद्योग समूह को गुजरात राज्य में विदेशी तकनीकी जानकारी के साथ "पेन्टाक्रिथीटॉल" बनाने के लिये एक रासायनिक संयंत्र लगाने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुमति सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह किसे दी गई है ;

(ग) उक्त आवेदक को प्रस्तावित परियोजना के लिये संयंत्र एवं मशीनरी का भारी माता में आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जबकि उक्त परियोजना के लिये संयंत्र भारत में ही स्वदेशी रूप से उपलब्ध हैं ;

(घ) क्या सरकार द्वारा फीस आदि की अदायगी के विदेशी मुद्रा में करने के बारे में कम्पनी का अनुरोध न मानने के बावजूद गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा अनुमति की शर्तें मान ली गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार यह नहीं समझती कि उक्त पार्टी के पास गैर-कानूनी रूप से विदेशी मुद्रा होगी क्योंकि सहयोग सम्बन्धी संशोधित शर्तें पार्टी द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) मैसर्स कनोरिया कैमिकल्स एण्ड इन्डस्ट्रीज लि० को प्रतिवर्ष 1200 मी० टन पेंटेक्रिथीटॉल के उत्पादन के लिए गुजरात राज्य में नए औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए आशय पत्र दिनांक 31 दिसम्बर 1977 अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों पर मंजूर किया गया था :——

(i) किसी विदेशी सहयोग को अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) प्लांट और मशीनरी का आयात सरकार की संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।

(iii) प्रस्तावित उपक्रम के लिए निश्चित स्थान का निर्णय राज्य सरकार की संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।

(ग) प्रायोजना के लिए प्लांट और मशीनरी के आयात की अनुमति नहीं दी गई है।

(घ) पार्टी ने आशय पत्र की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। तथापि, पार्टी ने यह बताया है कि यदि स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हुई तो वे इस प्रायोजना के लिए प्रौद्योगिकी का आयात करने के बारे में सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे। पार्टी से अब तक प्रौद्योगिकी के आयात के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने आशय पत्र में विदेशी सहयोग के बारे में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों का बोनस के लिये हकदारी

2720. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोनस के प्रश्न पर सरकार के टाल मटोल करने वाले दृष्टिकोण से रेलवे कर्मचारी असंतुष्ट हैं विशेष रूप से इसलिए कि रेल मंत्री ने किसी समय स्वयं बोनस की हकदारी के लिये रेलवे कर्मचारियों के अधिकार के लिये आन्दोलन छेड़ा था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अनुग्रहपूर्वक भुगतान करने के लिये मंत्री महोदय द्वारा अपना वचन पूरा न किये जाने पर रेलवे कर्मचारियों में अधिक निराशा उत्पन्न हुई है; और

(ग) रेलवे कर्मचारियों के कार्यकरण पर इस निराशा से क्या प्रभाव पड़ा है और इस वर्ष होने वाली बहुत-सी रेल दुर्घटनायें इसके लिये कहां तक जिम्मेदार थीं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) यद्यपि बोनस के मामले में रेल कर्मचारियों में भारी असंतोष विद्यमान है, विभिन्न रेलवे यूनियनों के साथ आयोजित बैठकों में, रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को इस बात से अवगत कराया गया है कि इस समय रेलों को बोनस अधिनियम की परिधि से बाहर रखा गया है । सर्वप्रथम कार्रवाई के रूप में, सरकार ने बोनस अधिनियम की आपातकाल से पूर्व की व्यवस्था को पुनः स्थापित किया । सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा पहल से ही नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका व्यापक अध्ययन कर लेने के बाद ही रेल कर्मचारियों को बोनस के भुगतान की मांग पर विचार किया जायेगा ।

(ख) अप्रैल 1977 के बाद से शानदार कार्य निष्पादन की सराहना के रूप में रेल कर्मचारियों के अनुग्रह के आधार पर भुगतान के प्रस्ताव की जांच की गयी थी, लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई से अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों की व्यापक प्रतिक्रिया के कारण इस प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी । इसके बदले में रेलवे राजस्व से रेल कर्मचारियों की सुविधाओं और कल्याण पर व्यय करने के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर दी थी । यह उस राशि के अलावा है जिसकी 1977-78 के बजट में व्यवस्था की गयी थी ।

(ग) यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि रेल कर्मचारियों को बोनस का भुगतान न करने के कारण रेल के संचलन पर प्रभाव पड़ा है या इसी वजह से रेलों पर दुर्घटनाओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ।

रेलव बोर्ड के सहायकों की ओर से ज्ञापन

2721. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के ऐसे सहायकों की ओर से जिन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय क्लैरीकल योजना के अन्तर्गत यू० डी० सी० के पद पर स्थाई किया गया था उन्हें उनके जूनियर कर्मचारियों से प्राथमिकता देकर जिन्हें गलती से पदोन्नत किया गया था तथा उच्चतम

न्यायालय के फैसले के अनुसार जिन्हें बाद में पदावनत कर दिया गया था, उनके वेतन के 'प्रोफार्मा'' निर्धारण के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के कार्यालय के प्रभावग्रस्त कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) इस मामल में अंतिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ग) वेतन के प्रोफार्मा फिक्सेशन किये जाने के सम्बन्ध में कुछ कर्मचारियों के इस आशय के अनुरोध पर कि उनसे कनिष्ठ कर्मचारियों को अपर श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत किया गया था और बाद में पिछली तारीखों से उन्हें सहायक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया, अनेक बार विचार किया गया लेकिन यह बात इस आधार पर नहीं मानी गयी कि उक्त पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की गयी थीं और तदर्थ पदोन्नतियों के कारण वेतन में प्रोफार्मा फिक्सेशन नहीं दिया जाता। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कर्मचारियों का दावा कार्यालय परिषद में और बाद में विभागीय परिषद में भी उठाया गया था लेकिन सरकारी प्रतिनिधि, कर्मचारियों की मांग से सहमत नहीं हो सके। इस सहमति को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा कार्यविधि के अनुसार यह मालमला मंत्रियों की एक समिति को सौंप दिया गया है। समिति ने अभी तक अपनी सिफारिश नहीं दी है क्योंकि एक या दूसरे मंत्री की पूर्व व्यस्तता के कारण अभी तक बैठक नहीं हो सकी है।

किण्वित (फर्मेंट) अलकोहल युक्त पेय बनाने के लिये सीरे का उपयोग

2722. **डा० सुशीला नायर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीरा, जो पावर अलकोहल के उत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जा सकता है, किण्वित अलकोहल युक्त पम्प बनाने के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

SALE OF SHARES OF SWADESHI COTTON MILLS AND SWADESHI POLYTEX TO THAPERS

2723. SHRI UGRASEN : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether all the shares of Swadeshi Cotton Mill, Kanpur and Swadeshi Polytex, Ghaziabad, U.P. which were mortgaged with Government of Uttar Pradesh. have been sold to the Thapers a leading industrialist of the country;

(b) the total value of the shares of Swadeshi Polytex sold; and

(c) the effect thereof on the payment of wages, gratuity, bonus and other arrears to workers ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) and (b) It appears that the reference is about the shares held by Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., Kanpur, in Swadeshi Polytex Ltd., Ghaziabad. As already stated in reply to Unstarred Question No. 111 answered on 21st February, 1978, from the available information it appears that the Collector, Kanpur who had seized 10 lakh equity shares of Swadeshi Polytex Ltd. held by Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd. for realisation of electricity dues has accepted the offer of Ballarpur Industries Ltd., a company belonging to the Thapar Group of companies, for a sum of Rs. 5 crores subject to the clearances being obtained by it under the Companies Act and the M.R.T.P. Act. Acquisition of the above shares would require the approval of the Central Government under Section 108A and Section 372(4) of the Companies Act. No proposal from Ballarpur Industries Limited for acquisition of the above mentioned shares has been received by Government so far.

(c) As the shares have not been sold so far, the question of any effect of the sale on the payment of wages, gratuity, bonus and other arrears to workers does not arise at present.

ग्रासाम में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

2724. **श्री पी० कानन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी उपकरणों को ले जाने के लिये बड़ी लाइन का मार्ग न होने के कारण तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य विशेष रूप से ग्रासाम में रुका पड़ा हुग्रा है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तेल की खोज के महत्वपूर्ण कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिये मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिये क्या योजनायें बनाई गई हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) ग्रौर (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ग्रसम में बड़ी लाइन के विस्तार के सम्बंध में रेल मंत्रालय से कोई बातचीत नहीं की है। लेकिन न्यूबोंगाईगांव से गुवाहाटी तक बड़ी लाइन के विस्तार का काम पहले से ही शुरू है।

नेशनल फेडरेशन ग्राफ इंडियन रेलवेमैन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल

श्री प्रद्युम्न बल
श्री समर मुखर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 2 फरवरी 1978 के टाइम्स आफ इंडिया प्रकाशित इस ग्राशय के समाचार की ग्रोर दिलाया गया है कि नेशनल फेडरेशन ग्रफ इंडिया रेलवेमैन बोनस, मंहगाई भत्ता तथा न्यूनतम मजूरी हेतु ग्रपनी मांगों पर जोर देने के ... कोई 'ग्रनिश्चितकालीन हड़ताल' करने पर विचार कर रहा है, ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ग्रौर इस संकट को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) नेशनल फेडरेशन ग्राफ यूनियन रेलवेमैन के साथ विचार-विमर्श किया गया है ग्रौर उठाये गये विभिन्न मुददों पर सरकार की प्रतिक्रिया को विस्तार पूर्वक स्पष्ट कर दिया

गया है । कुछ मुद्दों पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है जिसकी घोषणा भी की जा चुकी है ।

सरकार इस पर निगाह रखे हुए है और यह आश्वस्त कर देना चाहती है कि विचार विमर्श और आपसी बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं।

सोनपुर-पहलेजाघाट मीटरगेज लाइन को बदलना

2726. **श्री द्वारिका नाथ तिवारी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नरकटियागंज मोतीहारी सैक्शन से पटना जाने वाले यात्रियों की कठिनाइयों का पता है चूंकि उनको यात्रा के दौरान चार स्थानों पर गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकर का विचार सोनपुर-पहलेजाघाट मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब ? 21

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :(क) जी हां।

(ख) और (ग) सोनपुर से पहलेजाघाट तक एक मिलीजुली लाइन बनाने का विनिश्चय किया गया है । कार्य की प्रगति धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

RAILWAY LINE FROM LALITPUR TO MIRZAPUR

†2727. SHRI LAXMI NARAIN NAYAK : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a petition duly signed by some members of Parliament was submitted to him on the 23rd December, 1977 demanding construction of a new railway line from Lalitpur to Mirzapur via Tikamgarh, Chattarpur, Khajuraho, Panna, Satna, Rewa;

(b) when survey work thereon is likely to commence; and

(c) whether survey between Satna and Rewa has been completed.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. Preliminary engineering-cum-traffic survey for construction of a new line from Lalitpur to Singrauli via Khajuraho, Satna and Rewa has been included in the Budget for 1978-79.

(b) The survey work will be taken up during 1978-79 after the Parliament has approved the proposal.

(c) A traffic survey was carried out in 1973 for a 127 Kms. long new line from Satna to Beohari via Rewa which would have linked Beohari, Rewa, Singrauli and Mirzapur. The line was estimated to cost Rs. 19 crores on a very approximate basis and was expected to yield a return of 1.5% in the sixth years.

प्रत्येक राज्य में कीटनाशी औषध संयंत्रों की स्थापना

2728. **श्री नरेन्द्र सिंह :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में कीटनाशी औषध संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इन संयंत्रों के कब तक स्थापित होने की सम्भावना ह तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :(क) और (ख) ठीक समय पर अपेक्षित क्वालिटी तथा उचित मूल्य पर कीटनाशी औषधों की अच्छी उपलब्धि को सुनिश्चित करने के विचार से, मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया था कि एग्रों इंडस्ट्रीज कारपोरेशन आदि राज्य एजेन्सियों द्वारा सूत्रयोग एककों की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजें। हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइडस लि० भी देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कीटनाशी सूत्रयोग यंत्रों की स्थापना पर विचार कर रही है । उनका दक्षिणी राज्यों के पूर्व क्षेत्र के राज्य तथा उत्तर प्रदेश आदि के स्टेनश एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन के साथ भी संयुक्त उद्यम का स्थापना करने का विचार है । इस सम्बन्ध में अभी ब्यौरे तैयार किये जाते हैं।

मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस की मालगाड़ी के साथ टक्कर

श्री आर० बी० स्वामीनाथन
श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस के 9 फरवरी, 1978 को हैदराबाद में एक खड़ी हुई मालगाड़ी के पिछले हिस्से के साथ टक्कर लगने से छह व्यक्ति मरे और 11 व्यक्ति जख्मी हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई;

(घ) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये है ;

(ङ) इन रेल दुर्घटनाओं के कारण मार्च, 1978 तक कितने व्यक्ति मरे और जख्मी हुए ; और

(च) इन दुर्घटनाओं के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) 9-2-1978 को लगभग 12.24 बजे गाड़ी नं० 38 डाउन मद्रास हावड़ा जनता एक्सप्रेस जो अनुसूची के अनुसार दक्षिण मध्य रेलवे के वेदयपालेम स्टेशन पर डाउन मुख्य लाइन होकर रन थ्रू जानी थी, जैसे ही उस स्टेशन की डाउन लूप लाइन पर आई, उस लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई ।

इस दुर्घटना में 8 यात्री और 2 रेल कर्मचारी मारे गये थे और अन्य 12 व्यक्ति घायल हुए जिनमें से 8 गम्भीर रूप से घायल हुए थे । रेल सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान लगभग 10,02,000/- रुपये लगाया गया है ।

(घ) चूंकि रेल कर्मचारियों की गलती ही एक मात्र ऐसा कारण है जिसके फलस्वरूप सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई, इसलिए गाड़ियों के चालन से सम्बन्ध कर्मचारियों के बीच संरक्षा के प्रति अधिक चेतना जागृत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें तथा लाघव विधियां न अपनाएं, रेलों के संरक्षा संगठनों ने एक अनवरत

अभियान चलाया है । मिया भाय पंचाट और 10 घटे ड्यूटी नियम को कार्यान्वित करने के लिए गाड़ियों के चालन से सम्बन्धित परिचालनिक कोटियों के 10,000 अतिरिक्त पदों और रनिंग कर्मचारियों के 2700 अतिरिक्त पदों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।

कर्मचारियों पर निर्भरता को कम करने के लिए पहियों, धुरों और पटरियों के लिए अल्ट्रासानिक फ्ला डिटेक्टर्स, रेल पथ परिपथन स्वत: चेतावनी प्रणाली, आदि अनेक परिष्कृत सहायक विधियों को उत्तरोत्तर व्यवहार में लाया जा रहा है ।

हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि 31-3-1978 तक 50 स्टेशनों पर और 1981 तक शेष 430 स्टेशनों पर रन थ्रू लाइनों के रेल पथ परिपथन की व्यवस्था कर दी जाये । इसके अतिरिक्त 31-3-1978 तक 25 भेदय स्टेशनों पर और अन्य 75 स्टेशनों पर आगामी डेढ़ वर्ष में फाउलिंग मार्ग से एडवांस्ड स्टार्टर तक रेल-पथ परिपथन का काम पूरा हो जायेगा ।

(ङ) और (च) वर्ष 1977-78 (फरवरी, 1978 तक) के दौरान भारतीय रेलों पर टक्कर होने, पटरी से उतरने, सम पार दुर्घटनाओं, गाड़ियों में आग लगने जैसी गाड़ी दुर्घटना की कोटियों में 2890 व्यक्ति मारे गये और 713 घायल हुए । इन दुर्घटनाओं में रेल सम्पत्ति को लगभग 3,53,93,813/- रुपये मूल्य की क्षति पहुंचने का अनुमान लगाया गया है ।

CANDIDATES FOR R.P.F.

†2730. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the candidates for recruitment to Railway Protection Force in Junior Institute Jhansi were manhandled and pushed out by the Railway Protection Force Jawans on the 18th January, 1978 and the candidates went back without taking any interview; and

(b) if so, the causes of the incident ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) & (b) On 18-1-1978 about 8,000 to 10,000 candidates assembled in the Junior Institute at Jhansi at about 10.00 hours for recruitment to the post of Rakshaks. Before the selection could take place, the candidates broke the line with a view to take the first opportunity and started pushing each other, became disorderly and started fighting each other by pelting stones and hurling shoes. The crowd tried to surround the officers engaged in the recruitment. The Police was called to control the mob. The recruitment was therefore, cancelled due to the chaotic condition all-round.

राज्यों में रेलवे का विकास

2731. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **रेल** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे ;

(क) प्रत्येक राज्य में स्वाधीनता के बाद बिछाई गई रेलवे लाइनों का ठीक-ठीक ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उन्होंने प्रत्येक राज्य में समान रेलवे सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कुछ कदम उठाने का विचार किया है ताकि सभी राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में समता के आधार पर सुधार हो सके; और

(ग) यदि हां, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निर्माण हेतु कौन-कौन सी नई रेलवे लाइनें शुरु की गई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) रेलों के आंकड़े राज्यवार नहीं रखे जाते हैं । अत: यह सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ख) और (ग) देश के पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों के निर्माण के लिए एक नयी नीति सरकार के विचाराधीन है । जैसे ही नीति को अंतिम रूप दे दिया जायेगा, संसद में इसे घोषित कर दिया जायेगा ।

अशोधित तेल का वार्षिक आयात

2732. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत दो वर्षों में अशोधित तेल के वार्षिक आयात का ब्यौरा क्या है और आयात किन-किन देशों से किया गया;

(ख) इस बारे में भारत को कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी ; और

(ग) अशोधित तेल की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और चालू वर्ष के दौरान भारत ने इसका कितना आयात करने का निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) 1976-77 और 1977-78 के लिए अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

मात्रा मि० मी० टन
मूल्य रुपये करोड़ों में

देश	1976-77*		1977-78* अप्रैल-दिसम्बर; 1977	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
ईरान	'5.9	485.30	4.8	415.34
ईराक	3.1	267.92	2.1	185.91
दक्षिणी अरब	4.1	323.54	2.3	195.75
सुयुक्त अरब अमेरिका	0.9	83.95	0.7	65.89
यू० एस० एस० आर०	—	—	1.0	79.47
मिश्र	0.1	9.87	0.2	12.84
योग :	14.1	1170.58	11.1	955.20

*अस्थाई

(ग) 1978-79 के लिए देश की कच्चे तेल की आवश्यकता का अनुमान लगभग 27.00 मिलियन मीट्रिक टन है जिसमें से 15.00 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात किये जाने की सम्भावना है।

सहारनपुर से संगम एक्सप्रेस चलाने का प्रस्ताव

2733. **श्री रशीद मसूद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संगम एक्सप्रेस को मेरठ की बजाय सहारनपुर से चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं ।

हड़ताल की सूचना

2734. **श्री अमर सिंह वी० राठवा :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न रेलवे मजदूर यूनियनों, फैडरेशनों तथा संगठनों से उनकी मांगें पूरी करने के लिए हड़ताल की सूचना, ज्ञापन, मांग पत्र एवं संकल्प प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबम्न्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) हड़ताल होने की स्थिति में सरकार का हड़तालिकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का विचार है?

(घ) वर्ष 1974 के दौरान हड़ताल सम्बन्धी मांगे क्या थी और इस समय क्या मांगें हैं और वर्ष 1974 तथा इस समय की मांगों में क्या भिन्नता है ; और

(ङ) अब तक कितनी मांगें पूरी कर दी गई है :

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) हड़ताल का अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है ।

एक संघ की कार्यकारिणी समिति ने, जिससे रेल कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियनों का एक दल सम्बन्द्ध है, अपने से सम्बन्द्ध यूनियनों से कहा है कि हड़ताल की पर्ची डालने के निर्णय का समर्थन करने के लिए वे अपने-अपने संविधान के अनुसार उपयुक्त समितियों की बैठकें बुलायें और इस काम को अप्रैल, 1978 के अन्त तक पूरा कर दें ।

एक अन्य संघ की आम परिषद ने जिससे मान्यता प्राप्त सघों का एक अन्य दल सम्बद्ध है, अपने से सम्बद्ध संघों से कहा है कि आम हड़ताल के सम्बन्ध में विचार करने के लिए मार्च, 1978 के अन्त तक बैठकें करें और किये जाने वाले संघर्ष के स्वरूप पर विशेष सिफारिशें संघ की आम परिषद/कार्यकारिणी समिति के विचारार्थ भेजें ताकि हड़ताल की तारीख निश्चित की जा सके ।

इसके अतिरिक्त यह देखने में आया है कि दूसरी यूनियनें भी सीधी कार्यवाई आदि के लिए प्रस्ताव पारित कर रही हैं ।

दोनों मान्यता प्राप्त सघों से विचार-विमर्श किया गया है और उठाये गये विभिन्न मामलों के सम्बन्ध में सरकारी दृष्टिकोण विस्तृत रूप से स्पष्ट कर दिया गया है । अनेक मामलों में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है और घोषित किया जा चुका है ।

रेल मंत्री जी ने भी कुछ संसद सदस्यों और कर्मचारियों के कुछ अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया है ।

सरकार इस पर निगरानी रख रही है और यह आश्वासन देना चाहती है कि वार्तालाप और समझौते का द्वार सदैव खुला है । सरकार यह मानकर कि हड़ताल होगी, इस मामले में अभी से कोई पूर्व निर्णय नहीं लेना चाहती ।

(घ) और (ङ) 1974 में प्रस्तुत मांग पत्र में 6 मांगें थी । निकट अतीत में, दो मान्यता प्राप्त संघों ने 10 मांगों के अपने अलग-अलग मांग पत्र तैयार किये है । उनमें से कई मांगें मिलती जुलती है ।

1974 की 6 मांगें निम्नलिखित हैं :—

(i) बोनस

(ii) मंहगाई भत्ता

(iii) केन्द्रीय सरकार के अन्य उपक्रमों में मिलने वाले वेतनों के साथ समानता ।

(iv) नैमित्तिक आधार पर की गयी नियुक्तियों को समाप्त करना ।

(v) आर्थिक सहायता प्राप्त खाद्यान्नों की सप्लाई ।

(vi) रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाये ।

उपर्युक्त मद (i) से (v) तक की मांगें हाल में मिली मांगों की नवीनतम सूचियों में भी दुहराई गयी है और उनके बारे में स्थिति आगे यथा-स्थान बतायी गयी है ।

जहां तक मद (vi) का सम्बन्ध है, स्थिति यह है कि रेल कर्मचारी पहले ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों से अनुशासित होते हैं । लेकिन सेवा की शर्तों के बारे में वे परम्परा से सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं क्योंकि रेलों का स्वरूप मूलतः जन सेवा का है और उनके सामाजिक और सामरिक महत्व के कारण सीधे सरकार द्वारा चलाई जाती है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1807/78]

रेल कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धियां

2735. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1977 को की गई नीति सम्बन्धी घोषणा के बाद भी सरकार को मई 1974 की हड़ताल में भाग न लेने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि तथा अन्य सुविधाएं देने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या वरिष्ठ प्रशासनिक रैंक के एक अधिकारी को उक्त लाभ दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस मामले में क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख), (घ) और (ग) अग्रिम वेतन वृद्धि का लाभ स्तर II के 2250-2500 रु० (सं० वे०) के प्रशासनिक ग्रेड के उन अधिकारियों को दिया गया था जो मंडल अधीक्षकों के रूप में काम कर रहे थे और जिन्होंने 1974 की हड़ताल के दौरान काम करने की व्यवस्था की थी ।

एक अधिकारी ने जो 1-6-1974 को 1800-2000 (प्रा० वे०) के ग्रेड में काम कर रहा था, नकद पुरस्कार दिये जाने के लिए विकल्प दिया था क्योंकि वह ग्रेड की अधिकतम सीमा पर था । बाद में वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर के 2250-2500 रु० के ग्रेड में प्रोफार्मा स्थिति दिये जाने के परिणामस्वरूप, परन्तु 8-2-1974 की पूर्व व्याप्ति की तारीख अर्थात 1-6-1974 के पूर्व, उसने पहले स्वीकृत नकद पुरस्कार के बदले अग्रिम वेतन वृद्धि का विकल्प दिया था । नकद पुरस्कार के बदले अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के दक्षिण पूर्व रेलवे के उपर्युक्त निर्णय की रेल मंत्रालय द्वारा पुनरीक्षा की गयी और आदेश को पलट दिया गया । इस सम्बन्ध में अपेक्षित आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

दो टियर और तीन टियर वाले स्लीपरों की सुविधाओं में विषमता

2736. **श्री आर० कालनथाइवेलु** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो टियर और तीन टियर वाले स्लीपरों में उपलब्ध सुविधाओं में विषमता के क्या कारण हैं जबकि दोनों के रेट एक समान हैं; और

(ख) क्या दोनों पर मिलने वाले आराम जैसे शयन बर्थ पर गद्दा लगाने की सुविधा को समान करने के लिए सरकार का कोई चरण बद्ध कार्यक्रम है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) दूसरे दर्जे के तीन टियर शयन यानों में यात्रियों के लिए बराबर संख्या में स्थान रहता है अर्थात् 75 यात्रियों के लिए दिन में बैठने और रात में सोने के लिए स्थान रहता है । दूसरे दर्जे के 2 टियर सवारी डिब्बे दूसरे दर्जे के सामान्य डिब्बों के समान होते हैं जिनमें नीचे की शायिकाओं में 83 सीटें होती है और इनमें सोने के लिए गद्देदार 25 ऊपरी शायिकाओं की व्यवस्था रहती है जिनका उपयोग 25 यात्री अतिरिक्त किराया देकर कर सकते हैं ।

(ख) जी हां, अब यह विनिश्चय किया गया है कि भविष्य में बनने वाले सभी दूसरे दर्जे के शयन यानों में गद्देदार शायिकाओं और सीटों की व्यवस्था की जायेगी ।

इस प्रकार के 83 सवारी डिब्बे मार्च 1978 तक चलाये जाएंगे और 400 अन्य सवारी डिब्बों का 1978-79 और आगे के वर्षों में निर्माण करने का कार्यक्रम है ।

दुमंजिली डिब्बों वाली (डबल डैकर) नई गाड़ियां चलाना

श्री सौगत राय
श्री जगदीश प्रसाद माथुर } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय आगामी अप्रैल से दुमंजिली (डबल डैकर) डिब्बों वाली नई रेल गाड़ियां चलाने पर विचार कर रहा है ?

(ख) यदि हां, तो किन किन मार्गों पर; और

(ग) क्या ऐसी गाड़ियां दिल्ली और कलकत्ता मार्ग पर चलाई जायेंगी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) एक प्रोटोटाइप दुमंजिले सवारी डिब्बे का पहले ही निर्माण किया जा चुका है । चालू वर्ष के दौरान 12 और दुमंजिले सवारी डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है । चूंकि दुमंजिले सवारी डिब्बे छोटी दूरी की गाड़ियों में प्रयोग के लिए उपयुक्त हैं, पहले खेप को बम्बई पुणे खण्ड पर प्रयोग में लाने का प्रस्ताव है और बाद में इसे अन्य छोटी दूरी के खंडों पर भी प्रयोग में लाया जायेगा ।

PROMOTION TO POST OF SUPERVISOR IN LOCO SHED, VARANASI

†2739. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the details of the promotions made to post of Supervisor in mechanic shop and fitting side in locoshed, Varanasi by Division Mechanical Engineer, North-Eastern Railway, Varanasi during the Emergency;

(b) whether these promotions were made under departmental promotion and recruitment rules; and

(c) if not, the reasons for making promotions arbitrarily in violation of rules and the action taken or proposal to be taken against the officer responsible therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AFFAIRS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) In the Machine shop two persons including one Scheduled Caste were promoted as Chargemen 'B' Rs. 425-700 on ad-hoc basis according to seniority. In fitter trade two Chargemen 'B' were promoted as Chargemen 'A' (Rs. 550-750) on ad-hoc basis superseding the senior most Chargemen 'B' who was declared unsuitable and 4 persons were promoted as Chargemen 'B' grade against the departmental promotion quota initially on ad-hoc basis and subsequently regularised after due selection.

(b) Yes.

(c) Does not arise.

तेल अथवा गैस के नये स्रोत

2740. **श्री समर गुह** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गत 6 महीनों में किसी राज्य में अथवा किसी राज्य के तट पर तेल अथवा गैस के नये स्रोत का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल में और उनके तट पर छिद्रण कार्य में कोई प्रगति हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) पिछले छः महीने के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 5 नये संरचनाओं की

खोज की--गुजरात में दो स्थानों पर अर्थात जोताना और सिसोद्रा में दो स्थलीय संरचनाएं और दो अपतटीय क्षेत्र में अलीवेक समुद्र तट से दूर। इसके अलावा दक्षिण ताप्ती संरचना में भी गैस की खोज की गयी है।

(ग) और (घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने पश्चिमी बंगाल में 4 स्थानों पर अर्थात बोदरा, बकुलताला, गाल्सी और डायमंड हारबर है, खुदायी कार्य आरम्भ किया था। बादरा, बकुलताला तथा गाल्सी की प्रत्येक संरचना में एक-एक कुआं खोदा गया जिनमें किसी में भी हाइड्रोकार्बन के प्राप्त होने का कोई संकेत नहीं मिला। गाल्सी संरचना में खोदे जा रहे एक दूसरे कुएं का इस समय उत्पादन का परीक्षण किया जा रहा है। डायमंड हारबर संरचना में पहले कुएं का खोदाई कार्य चल रहा है।

पश्चिम बंगाल के अपतटीय क्षेत्र में इस समय कोई व्यधन कार्य नहीं चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में खोदे गये दो कुंए सूखे पाये गये।

CONTRIBUTIONS BY INDUSTRIALISTS/INDUSTRIAL HOUSES TO CONGRESS PARTY FUNDS

2741. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the full details of Industrialists and Industrial Houses which contributed to the funds of Congress Party during the last Lok Sabha elections;

(b) the total amount received by the party as contributions; and

(c) whether Government propose to take any action against them ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a), (b) and (c). The Department of Company Affairs have no information about contributions made by Industrialists and Industrial Houses to the funds of the Congress Party during the last Lok Sabha Elections. However, a large number of Companies had made payments towards advertisements in the souvenirs brought out/to be brought out by the Congress Party, including its various Organs; the total amount paid on this account amounted to about Rs. 9.50 crores. The question whether any of these payments would constitute a contribution under Section 298-A of the Companies Act, 1956, is under investigation/examination.

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूगर्भीय तथा भूभौतिकीय सर्वेक्षण पर किया गया खर्च

2742. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तटदूर भूगर्भीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षणों पर कुल कितनी राशि खर्च की है और क्या यह भी सच है कि बड़े पैमाने पर तेल की खोज करने और अपने विकास कार्यक्रमों में काम आने वाले सामान के देश में निर्माण की संभावनाओं का पता लगाने और उनका विकास करने के लिए भी कई कदम उठाए है ; और

(ख) तेल खोज के लिए देश म जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है उनका व्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जनवरी, 1978 तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समुद्री क्षेत्र में भू-भौतिकीय सर्वेक्षण पर किये कुल व्यय का पता लगाया जा रहा है और यह सभा पट पर प्रस्तुत किया जायेगा। समुद्री क्षेत्रों में कोई भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

आरम्भ से ही आयोग तेल अन्वेषण के लिए आवश्यक उपकरणों के स्वदेशीय डिजाइन तथा विकास में लगा हुआ है।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस के क्षेत्रीय दलों ने जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अण्डेमान निकोबार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा गुजरात प्रदेश के विभिन्न भागों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया है।

रेल लाइनों की रक्षा करने वाले रेल कर्मचारियों पर हमला

2743. **श्री डी० जी० गवई :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1 दिसम्बर, 1977 को लखनऊ तथा मुरादाबाद के बीच बालामऊ में गश्त ड्यूटी पर तैनात एक गैंगमैन की दो व्यक्तियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी ;

(ख) वर्ष 1977-78 में अब तक, रेलवे लाईन की रक्षा करते हुए कुल कितने रेल कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ करने वालों ने आक्रमण किया ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। लेकिन बालामऊ में रेल पथ निरीक्षण के अधीन गैंग सं० 15 का एक गैंगमैन श्री चन्देरिका अपनी गश्त ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने जब साइकिल पर आ रहा था तो उसके दो शत्रुओं ने गोली मारकर उसे मार दिया। इस हत्या का कारण जमीन का तथाकथित झगड़ा था। बघौली जिला हरदोई उत्तर प्रदेश के सिविल पुलिस द्वारा दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे तथा उनके विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दिया गया था।

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में रेलवे स्टेशनों को समाप्त करना

2744. **श्री ए० मुरगेसन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या तमिलनाडु में तंजावुर जिले में कुछ रेलवे स्टेशनों को समाप्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या नाम हैं और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तमिलनाडु में एलंथनकुडी जैसे

रेलवे स्टेशनों पर सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि ऐतिहासिक वाञ्जवर मन्दिर जाने वाले यात्रियों के लिये यह एक महत्पूर्ण पारगमन केन्द्र है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) नड्म्बलम हाल्ट के सिवाय, जिसे आवती घाटे के कारण बन्द करने का विचार है, तंजावुर जिले में किसी अन्य स्टेशन को बन्द करने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) वञ्जावूर मन्दिर की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एलन्तागुडि स्टेशन में दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय, पटरी की सतह का प्लेटफार्म एक पहुंच सड़क, बैंच शुष्क शौचालय, संतोषप्रद बिजली की बत्तियां और पीने के पानी की व्यवस्था आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं । ये सुविधाएं इस स्टेशन पर यात्री यातायात की जरुरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती हैं और इस प्रकार अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार नहीं है ।

निर्वाचन संबंधी सुधारों पर तारकुंडे समिति की रिपोर्ट

2745. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने निर्वाचन सन्बधी सुधारों पर नियुक्त तारकुंडे समिति तथा अन्य समितियों की रिपोर्टों पर अब विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नर सिंह) : (क) और (ख) : सरकार निर्वाचन सुधार सबंधी विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है जिनमें तारकुण्डे समिति और अन्य महत्वपूर्ण निकायों द्वारा की गई सिफारिशें भी सम्मिलित हैं । ये सिफारिशें निर्वाचन प्रयोजन के लिए सरकारी प्राधिकार और तंत्र के दुरुपयोग, भ्रष्ट आचरण, निर्वाचनों में धन शक्ति के उपयोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अपनाए जाने, मतदान की आयु को कम करने, निर्वाचन विवादों, आदि को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता आदि विषयों के संबंध में हैं ।

राजधानी में परिक्रमा (रिंग) रेलवे

2746. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में परिक्रमा रेलवे की व्यवस्था करने के बारे में क्या विशिष्ट प्रगति हुई है ;

(ख) समिति द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ?

(ग) इस बारे में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है और परिक्रमा रेलवे के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे ;

(घ) उक्त योजना पर कितना खर्च आयेगा ;

(ङ) क्या परिक्रमा रेलवे का कीर्तिनगर, रमेश नगर, मोती नगर और किंग्सवे कैम्प क्षेत्रों तक विस्तार करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों को रेलवे के अन्तर्गत शामिल करने के बारे में कार्यवाही न करने के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (च) राजधानी की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने, सड़क तथा रेल परिवहन के एकीकरण के लिए एक पैकेज कार्यक्रम बनाने के लिए जुलाई, 1976 में निर्माण एव आवास मंत्रालय द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने 137.60 करोड़ रुपये की लागत से निम्नलिखित परियोजनाओं की सिफारिश की है :—

1. अन्तर्नगरीय रेल परिवहन के लिए 22.07 करोड़ रुपये;
2. उपनगरीय रेल परिवहन के लिए 31.55 करोड़ रुपये;
3. बस परिवहन में सुधार करने के लिए 58.62 करोड़ रुपये; और
4. सड़कों का सुधार करने के लिए 25.36 करोड़ रुपये ।

अन्तर्नगरीय रेल परिवहन से सम्बन्धित प्रस्ताव शकूरबस्ती और तुगलकाबाद में स्परों सहित परिक्रमा रेलवे लाइन, लाइन के साथ-साथ दैनिक यात्रियों के लिए विद्युतीकृत रेल गाड़ियों की व्यवस्था करने के लिए है । महानगर परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन दिल्ली ने इस परियोजना के लिए एक तकनीकी-आर्थिक व्यावहारिकता अध्ययन किया है जिस पर योजना आयोग के परामर्श से विचार हो रहा है । इस परियोजना की अनुमानित लागत 22.65 करोड़ रुपये है ।

इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं । लेकिन कीर्तिनगर मोतीनगर, शास्त्रीनगर, प्रताप बाग, रमेशनगर, शक्तिनगर और किंग्सवे कैम्प जैसे क्षेत्रों को मिलाने के लिए सुझाव प्राप्त हुए है। वर्तमान रेल संगरेखैण अर्थात नयी दिल्ली-तिलक ब्रिज-निजामुद्दीन-लाजपतनगर लोदी कालोनी-सफदरजंग-सरकार पटेल मार्ग-बरार स्क्वेयर-पटेल नगर, दयाबस्ती-किशनगंज-सदरबाजार-नयी दिल्ली के किनारे-किनारे इन सेवाओं के परिचालन का प्रस्ताव किया गया है । इसमें कुछ गाड़ियों को पश्चिम में शकूरबस्ती तक और दक्षिण में ओखला तक बढ़ाया जाना भी शामिल है।

इन मांर्गों के साथ-साथ बसे हुए क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: रेल सेवाएं चलाई जाएंगी, जबकि रेल संरेखण से दूर के क्षेत्रों में बस परिवहन में सुधार करके सेवित किये जाने का और जहां कहीं आवश्यक होगा वहां से रेलवे स्टेशनों तक बसों द्वारा फीडर सेवाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

वर्तमान रेल संरेखण के बाहर के क्षेत्रों में सीधे रेल सम्पर्क की व्यवस्था के प्रस्ताव से मूल रुप से परियोजना की लागत में वृद्धि होगी, जबकि संसाधनों की कठिनाई के कारण उसे यथासम्भव कम रखा जा रहा है ।

भारतीय उर्वरक निगम की प्रतिष्ठापित क्षमता

2747. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की अपनी 7 लाख टन नाइट्रोजन की वर्तमान

प्रतिष्ठापित क्षमता को 1978-79 के अन्त तक दुगनी करने के संबंध में और उसी अवधि में पी2ओ5 को दस गुना करने के संबंध में क्या योजनायें है ; और

(ख) उर्वरकों के मामले में देश किस तारीख तक अथवा अवधि में आत्म निर्भर हो जायेगा ?

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) फर्टिलाईजर कारपोरेशन आफ इडिया के अभी सात यूनिट सिन्दरी (बिहार) नंग (पंजाब) ट्राम्बे (महा-राष्ट्र) गोरखपुर (उत्तर प्रदेल) नामरुप (असम) जिसमें नामरुप विस्तार, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तथा बरौनी (बिहार) में काम कर रहे हैं । इन की नाइट्रोजन की 8,83,000 मी० टन कु० स्थापित क्षमता तथा पी2ओ5 की 36,000 मी० टन की स्थापित क्षमता है । कारपोरेशन ने निम्नलिखित आठ परियोजनाओं के बीच अतिरिक्त उर्वरक क्षमता के विकास करने के लिए एक कार्यक्रम शुरु किया हैं । यह परियोजनाएं जब चालू हो जायंगी, तो 10, 10,94,000 मी० टन नाइट्रोजन तथा 3,06,000 मी० टन पी 2 ओ 5 की अतिरिक्त उर्वरक क्षमता विकसित की जाएगी ।

परियोजना का नाम	राज्य जहां स्थित है	न्यूट्रयन्ट्रस के रूप में क्षमता एन० पी० ओ० (000 मी टन में) आंकड़े			स्थिति
1	2	3	4	5	6
1. नंग-(विस्तार)	पंजाब	152	—	—	परियोजना सम्पन्न हो गई है । परिक्षण उत्पादन शुरु हो गया है।
2. सिन्दरी (आधुनिकीकरण)	बिहार	129	—	—	जुलाई, 1978 तक वाणिज्य उत्पादन होने की आशा है ।
3. सिन्दरी (सुव्यवस्थीकरण)	बिहार	—	156	—	सम्पन्न हो गया है परन्तु उत्पादन स्थिर किया जा रहा है ।
4. ट्राम्बे IV	महाराष्ट्र	75	75	—	संयंत्र उत्पादन करने के लिए तैयार हैं चालू होने का गति-विधियां शीघ्र ही शुरु होने की आशा है ।

1	2	3	4	5	6
5. ट्राम्बे	महाराष्ट्र	130	—	—	1980 के मध्य तक वाणिज्यिक उत्पादन होने की आशा है ।
6. हल्दिया	प० बंगाल	152	75	—	जुलाई 1979 तक वाणिज्यिक उत्पादन होने की आशा है ।
7. ताल्चर	उड़ीसा	228	—	—	अप्रैल, 1979 से वाणिज्यिक उत्पादन होने की आशा है ।
8. रामागुण्डम	आन्ध्र प्रदेश	228	—	—	—वही—

(ख) उर्वरक के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए एक बड़े पैमाने का कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है इस कार्यक्रम के पूरे हो जाने से भी 1983-84 में नाइट्रोजन की खपत और उत्पादन के बीच लगभग 12 लाख मी० टन का अन्तर तथा पी 2 ओ 5 के बीच 6 लाख मी० टन का अन्तर होने की आशा है । इस अन्तर को कम करने के लिए तथा आत्म निर्भरता की ओर बढ़ने के लिए अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना के लिए कार्रवाई जारी है ।

EXTENSION OF REWARI-NIZAMPUR SHUTTLE

†2748. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is a demand from the people and their representatives to extend the Rewari-Nizampur shuttle train upto Reengus; and

(b) the action taken so far by the Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Out of the two pairs of passenger services between Rewari-Nizampur one pair of trains was extended to and from Ringas. Extension of the existing 159/160 Rewari-Nizampur Shuttle has neither been found justified due to inadequate traffic offering between Nizampur and Ringas nor is it feasible due to operational difficulties.

रेलवे स्कूल

2749. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलों में रेलवे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्तियां और स्थानान्तरण में अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उनको नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व रेलवे पर अध्यापकों की तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे से संबंधित स्थिति का नीचे उल्लेख किया गया है—

1. श्री एन० सिंह को ग्रेड I के अध्यापक के रुप में परावर्तित करके टाटानगर से खोरदा रोड स्थानान्तरित किया गया था, उन्हें उनके अनुरोध पर नेनपुर में तैनात कर दिया गया है ।

2. श्री एस० एन० सिंह, अध्यापक ग्रेड-II को टाटानगर से चक्रधरपुर स्थानान्तरित कर दिया गया था । लेकिन उनके स्थानान्तरण आदेशों को रद्द कर दिया गया है ।

3. श्री डी० एन० प्रसाद, अध्यापक ग्रेड-II को टाटानगर से चक्रधरपुर स्थानान्तरित कर दिया था । उन्होंने अपने स्थानान्तरण आदेश स्वीकार कर लिये थे ।

4. श्री पी० के० मिश्र, अध्यापक ग्रेड को डूंगरगढ़ से नैनपुर स्थानान्तरित कर दिया गया था परन्तु श्रीमती मिश्र के अभ्यावेदन दिये जाने पर उनके स्थानान्तरण आदेशों को सत्र की समाप्ति तक स्थगित कर दिया गया है ।

पूर्वोत्तर रेलवे के सम्बन्ध में पूरी सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हल्दिया और बड़ौदा पैट्रो-रसायन उद्योग समूह की लागत

2750. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या हल्दिया पैट्रोलियम-रसायन उद्योग समूह की लागत से 40 करोड़ रुपयों की वृद्धि हो गई है जैसा कि दिनांक 18 फरवरी, 1978 के इकानिमिक टाइम्स में छपा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या हल्दिया और बड़ौदा दोनों पैट्रो-रसायन उद्योग समूहों की लागत में और उनको शीघ्र पूरा करने में और वृद्धि नहीं होने दी जाएगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : **(क), (ख) और (ग)** हल्दिया पैट्रो-कैमिकल्स कम्प्लेक्स के वित्तीय प्रणाली को पश्चिमी बंगाल औद्योगिक विकास निगम, द्वारा अभी अन्तिम रुप दिया जाना शेष है और उन्होंने अभी तक अपनी सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है । बड़ौदा पैट्रो-कैमिक्ल्स कम्प्लेक्स के विषय में, अधिकतर नेफथा क्रैकर संयत्र तथा उसके अनुप्रवाही संयत्रों का काम पूरा होने वाला है तथा आरम्भ होने वाले हैं । अन्य यूनिटों को जल्दी पूरा करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विकसित विशेषज्ञता ज्ञान एवं उपकरण

2751. **श्री ए० बाला पजनौर** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विकसित विशेषज्ञता और उपकरणों की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या उनका पूर्ण रुप से उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) तमिलनाडु में तेल की खोज के लिए और अधिक प्रयत्न न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास उपलब्ध विशेषज्ञता अन्य विकसित देशों को उपलब्ध कराया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इन कई वर्षो में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने भूमि पर तथा समुद्र में तेल अन्वेषण के लिए आवश्यक सुविक्षता प्राप्त कर ली है । भूमि पर तथा समुद्र में संभव तेल संरचनाओं का पता लगाने के लिए भूकंपीथ सर्वेक्षण आयोग के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे हैं । भूमि पर खोदे गये कुओं में तेलमय सत: का पता लगाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी आयोग द्वारा की जाती है । परन्तु समुद्री कुओं इन प्रक्रियों के लिए विदेशी ठेंकेदार की सेवाओं का आयोग द्वारा उपयोग किया जा रहा है ।

आरम्भ से ही आयोग तेल अन्वेषण के लिए आवश्यक उपकरणों की स्वदेशी डिजाइन विकास एवं निर्याण में लगा हुआ है । अनरुप भूकम्पीय तथा "वैल-लागिंग" यूनिटों का सफलता पूर्वक विकास किया गया है और इस समय तेल अन्वेषण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है । अग्रिम प्रौद्योगिकिय के साथ चलने के लिए आयोग इस समय मैसर्स इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० हैदराबाद भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र बम्बई आदि के सहयोग से उत्तम प्रकार के उपकरणों का विकास कर रहा है । भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्य के लिए आवश्यक अनुपूरक उपकरणों का आयोग इस समय स्वयं निर्माण कर रहा है ।

आयोग द्वारा विकसित सुविक्षता एवं उपकरणों का देश के अन्दर तथा विदेशों में तेल अन्वेषण के लिए पूर्ण उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) तामिलनाडु और पाण्डेचेरी में कावेरी बैसिन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तीव्र भू-वैज्ञानिक एवं भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए है । इन सर्वेक्षणों के आधार पर इस संरचनात्मक कुएं तथा 18 गहरे कुएं अब तक खोदे गये है ।

कुछ कुओं में तेल तथा गैस के संकेत मिले थे परन्तु यह व्यापारिक महत्व के नहीं थे । कावेरी बैसिन के समुद्री क्षेत्री में अन्वेषण के लिए तेल कम्पनियों के अस्पेरा सगुह को एक ठेका दिया गया था । ठेकेदारों ने भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किए थे जिसके आधार पर उन्होंने मनार की खाड़ी में एक समुद्री कुआं खोदा था परन्तु सूखा पाया गया ।

इस समय कुछ भूकंम्पींय सर्वेक्षण चल रहे हैं । राज्य के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अगले दो वर्षो में भूवैज्ञानिक तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने की आयोग की आयोजना है । जो सर्वेक्षणों के परिणामों का मूल्यांकन करने के पश्चात कावेरी बेसिन में और अधिक अन्वेषण तथा खुदायी कार्य का कार्यक्रम तैयार किया जायेगा ।

(ग) जी हां ।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कई तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न विकास शील देशों में या तो सीधे ठेके के आधार पर या प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत भेजा गया है ।

5—145LSS/78

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने ईराक में तेल अन्वेषण कार्य किया है। इसने एक ठेके के अन्तर्गत ईराक में भूकम्पनीय सर्वेक्षण भी किए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग इस समय एक ठेके के आधार पर ईराक में विकास कुओं की खुदाई का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तंजानिया में सोंगो नामक टापू पर एक कुंआ खोदा है जिसमें गैस मिली है। वहां पर एक और कुआ शीघ्र खोदे जाने की उम्मीद है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को खान-पान/बिक्री के ठेके

5753. **श्री शिव नारायण सरसूनिया, डा० भगवान दास राठौर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 11 जून, 1975 का आदेश जारी करने के पश्चात् रेलवे स्टेशनों पर रेलवे-वार कुल कितने खान-पान/बिक्री के ठेके दिए गए हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों ने उक्त ठेकों के लिए आवेदन पत्र भेजे थे;

(ग) उनमें से कितने ठेके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को आबंटित किये गये; और

(घ) यदि उक्त ठेकों का आबंटन 20 प्रतिशत से कम है तो (एक) उक्त कमी का क्या कारण था (दो) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

CHHITAUNI-BAGAHA LINK ROUTE

†2754. SHRI RAM DHARI SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the reasons for withdrawing the staff working in Chhitauni-Bagaha (U.P. Bihar) link route;

(b) whether the amount allocated for the said link route in the Budget for the year 1977-78 has been reduced considerably later on; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) It has not been possible to take up the work and to incur expenditrue on the project in the current year so far as no settlement has been reached with the Governments of Uttar Pradesh and Bihar regarding the sharing of the cost of the river training works of Gandak Bridge. Further, Gandak river has shifted its course towards the East necessitating re-examination of the location of the bridge and the design of the river training works which is being done by the Irrigation Research Institute, Roorkee, at the instance of the Railway Administration. Further progress on this project can be made only after the results of the investigaions are known.

गोमोह के लोको ड्राइवरों द्वारा हड़ताल

2755. **श्री शंकरसिंह जी बाघेल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोमोह के लोको ड्राइवरों ने दिसम्बर 1977 में सांकेतिक हड़ताल की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस हड़ताल के कारण आसनसोल से मुगलसराय के बीच के 464 किलोमीटर मार्ग के स्टेशनों पर 50,000 से भी अधिक यात्री रुके पड़े रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं और रेल कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) पूर्व रेलवे के धनबाद मंडल के मोमो स्टेशन के ड्राइवरों ने 29-12-1977 को 10-15 बजे से 30-12-1977 को 1-50 बजे तक अपना काम बंद रखा, उसके बाद स्थिति पुनः सामान्य हो गयी।

हड़ताल मुख्यतय इस कारण की गयी थी कि उन्हें 1-8-1974 से 30-4-1975 तक की अवधि से सम्बन्धित बढ़ी हुई दरों पर समयोपरि भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया गया था। कई मामलों में भुगतान किये जाने से सम्बन्धित कार्रवाई हड़ताल से पहले ही की जा चुकी है। यह देखने के लिए कि भुगतान कुछ ही दिनों में कर दिया जाये, कुछ मामलों में विशेष कार्रवाई की गयी है। शेष मामलों में (जो लगभग 4000 थे) बकाया की राशि के बिल तैयार करने और उनका भुगतान यथाशीघ्र करने के प्रकास किये गये थे।

इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 8 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को मुख्य लाइन के रास्ते भेज दिया गया, 8 सवारी गाड़ियों को पूर्णतः/अंशतः रद्द कर दिया गया और एक सवारी गाड़ी को रोक दिया गया जिससे बहुत से यात्रियों को असुविधा हुई।

मैसर्स स्थिम स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी का इण्डियन ड्रग्स डण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में विलय

2756. **श्री चित्त बसु** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अक्तूबर, 1977 में अधिग्रहण की गई स्मिथ स्टेनी-स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग). क्या यह सच है कि युनिट के कर्मचारियों ने पृथक अस्तित्व बनाये रखने की मांग की है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)। (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट कर्मचारी यूनियन से स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट कम्पनी लि० का बंगाल केमीकल एण्ड फार्मास्युटिक वर्क अथवा अन्य कम्पनी के साथ विलच किये बिना ही इसका अलग अस्तित्व बनाये रखने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

(घ) अभ्यावेदन का उचित समय पर गुण-दोषों पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्यालय का स्थानान्तरण

2757. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम रेलवे के मुख्यालच को बम्बई से अहमदाबाद अथवा बड़ौदा अथवा गुजरात राज्य में किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायणण) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से हटा कर दूसरे स्थान पर ले जाना प्रशासनिक, परिचालन तथा आर्थिक दृष्टि से वांछनीय नहीं समझा जाता।

उच्च पदों पर पुनः नियुक्ति

2758. **डा० भगवान दास राठौर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या मंत्रालय के सम्मुख ऐसा कोई प्रस्ताव था अथवा है कि मंत्रालय में उच्च पदों पर उन व्यक्तियों की सेवाएं न बढ़ाई जायें अथवा उनकी पुनः नियुक्ति न की जाये जो सेवा निवृत्त हो गये अथवा सेवा निवृत्त होने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यद्यपि भारत सरकार का यह मत है कि सेवा निवृत्त हुये अथवा सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की सेवाओं को तब तक बढ़ाया न जाये अथवा उनकी पुनः नियुक्ति न की जाये जब तक इसकी अत्यावश्यकता न हो, तथापि मंत्रालय सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों की पुनः नियुक्ति के मामले पर अभी भी विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय की यह नीति है कि विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर, अधिवर्षता, के बाद रेल कर्मचारियों का न तो सेवाकाल बढ़ाया जाय और न ही उन्हें पुनर्नियुक्त किया जाय। रेल मंत्रालय में राजपत्रित या अराजपत्रित कोटि में अब कोई भी ऐसा कर्मचारी कार्यरत नहीं है जिसका कार्यकाल अधिवर्षता के बाद बढ़ाया गया हो या उसे फिर से सेवा में रखा गया हो।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

2759. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उनके मंत्रालय में श्रेणीवार कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनम से कितने को हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान है या हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

(ख) जिन कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान है या हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है उनमें से कितने कर्मचारी हिन्दी में नोट और मसौदा लिखते हैं;

(ग) शेष कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में नोट और मसौदा न लिखे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उन्हें हिन्दी में नोट और मसौदा लिखने के बारे में अनुदेश दिये गये हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) अपेक्षित सूचना निम्नलिखित हैं :—

	वर्ग के अनुसार कर्मचारियों की सं०	कर्मचारियों की संख्या जिनको हिन्दी में काम करने का ज्ञान है
ग्रुप 'क'	63	33
ग्रुप 'ख'	136	61
ग्रुप 'ग'	146	79
ग्रुप 'घ'	134	115
	479	288

(ख) और (ग) हिन्दी अनुभाग में नियुक्त 8 कर्मचारी टिप्पणी और प्रारूप हिन्दी में लिखते हैं। दूसरे अनुभागों में कुछ कर्मचारी कभी कभी नोटिंग ड्राफ्टिग हिन्दी में करते हैं। इस मंत्रालय का कार्य तकनीकी ढंग का है और बहुत से कर्मचारियों को हिन्दी में टिप्पणी तथा प्रारूप लिखने का अपेक्षित ज्ञान नहीं है। वर्तमान अनुदेश, अंग्रेजी का प्रयोग इस काम को करने की अनुमति देते हैं।

(घ) कर्मचारियों को इस विषय में सरकार के नीति का पालन करने के लिए अनुदेश, जारी किये जा चुके हैं।

पूर्वोत्तर रेलवे में यूनियन का पुनर्गठन

2760. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे की एक ऐसी यूनियन को मान्यता दे दी थी जिसकी अभी तक कोई पंजीकरण संख्या नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मान्यता दी गई उक्त यूनियन द्वारा जिस नाम का उपयोग किया गया है उस नाम की असली दावेदार यूनियन की मूल पंजीकरण संख्या सहित उस मान्यता के दावों पर सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर यूनियन से है। 1972 में रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन

कानपुर ने इस यूनियन का पंजीकरण इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उन्होंने यूनियन का लेखा प्रस्तुत नहीं किया था इस यूनियन के पदाधिकारियों के दो दलों ने, जिनमें से प्रत्येक अपने आप को वास्तविक प्रतिनिधि का दावा कर रहा है, पंजीकरण समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के आदेशों के विरुद्ध जिला जज कानपुर के न्यायालय में अपील दायर की है और न्यायालय से पंजीकरण समाप्त करने का स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है; न्यायालय ने इन अपीलों पर अभी निर्णय नहीं दिया है, इस बीच दोनों दलों के बीच चल रहे विवाद को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने दोनों दलों के पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार बन्द कर दिया है।

DEMAND FOR INTRODUCING A NIGHT TRAIN FROM PORBANDAR TO RAJKOT

†2761. SHRI DHARMASINBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Porbandar Chamber of Commerce and Industry, Porbandar has sent a memorandum to Government to introduce a night train from Porbandar-Rajkot-Porbandar from 9th August, 1977; if so, the contents of the said memorandum;

(b) the action taken so far or proposed to be taken by Government to introduce Porbandar-Rajkot-Porbandar night train; and

(c) whether it is also a fact that there is no train from Porbandar between 6.00 p.m. and 6.00 a.m.; and if so, when Government propose to introduce a train during these hours between these two places having a distance of about 200 Kms. ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes. Hony. Secretary, Porbandar Chamber of Commerce and Industry, Porbandar in his memorandum demanded for a night train between Porbandar and Rajkot.

(b) & (c). Although there is no train from Porbandar towards Rajkot between 18.20 and 6.40 hours, there is no traffic justification for introduction of an additional train between Porbandar and Rajkot as the accommodation provided in the existing 3 pairs of trains running on Porbandar-Jetalsar section and 6pairs on Jetalsar-Rajkot are not fully utilised.

दक्षिण पूर्व रेलवे में रेल कर्मचारियों की संख्या

2762. **श्री शिव सम्पतिराम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: दक्षिण पूर्व रेलवे के वर्कशाप निर्माण और रेल विद्युतीकरण विभाग सहित, हुबली, सिकन्दराबाद, शोलापुर तथा विजयवाड़ा डिवीजनों में वर्ष 1972 में तथा 31 दिसम्बर, 1977 तक विभिन्न श्रेणियों में रेल कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे में सभी डिवीजनों में विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने कर्मचारी प्रत्येक में भर्ती हुये अथवा पदोन्नत हुये तथा इनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तथा अन्य कर्मचारियों की कुल सख्या कितनी है/अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जाये; और

(ग) प्रश्न के भाग (क) में दी गई दक्षिण पूर्व रेलवे के डिवीजनों में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये सीधी नियुक्ति अथवा पदोन्नति द्वारा आरक्षित निर्धारित स्थानों से कम भरे गये स्थानों की पूर्ति आरक्षण कोटे के अनुसार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अमृतसर रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार

2763. **डा० बलदेव प्रकाश :** क्या **रेल मंत्री** अमृतसर रेलवे स्टेशन के विस्तार के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 255 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन अमृतसर के लिए गोलबाग क्षेत्र की ओर से प्रवेश द्वार का प्रबन्ध करने का प्रस्ताव सक्रिय रूप से सरकार के विचाराधीन था; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्रारम्भिक कार्य और डिजाईन का कार्य पूरा कर लिया गया है और कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) गोल बाग की ओर से अमृतसर रेलवे स्टेशन पर प्रवेश द्वार की व्यवस्था करने के प्रस्ताव को 1978-79 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान इस पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

भारत-जर्मन उर्वरक परियोजना

2764. **श्री सुशील कुमार धारा :** : क्या **पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री** यप बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जर्मन उर्वरक परियोजना भारतीय उर्वरक निगम का एक अभिन्न अंग है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम आई० जी० एफ० पी० के कर्मचारियों को स्थाई रूप से खपाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ग) यदि इसका उत्तर स्वीकारात्मक है, तो आई० जी० एफ० पी० के ऐसे कर्मचारियों की मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिये सरकार अंतिम निर्णय कब तक कर लेगी जिन्होंने इस परियोजना में गत चार वर्षों की सेवा के दौरान अपनी आयु सीमा पार कर ली है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि आई० जी० एफ० पी० के कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि में एक जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1979 तक केवल तीन वर्षों की वृद्धि की गइ थी;

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) (क) (ख) और (ग) : भारत सरकार और संघीय जर्मन गणराज्य सरकार के साथ हुए समझौते के अनुसार भारत जर्मन उर्वरक शैक्षणिक कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है। समझौते के अनुसार एफ० सी० आई० उत्तरदायी संगठन है तथा परियोजना का प्रशासनिक प्रबन्ध अखिल भारतीय स्तर की समिति जिसमें कृषि मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं,

द्वारा किया जाता है। परियोजना की अवधि 31-12-79 तक है। रिक्त स्थानों के अनुसार परियोजना के कर्मचारी योजनाबद्ध ढंग से नियुक्त किये जा रहे हैं।

(ख) जी, हां। 32

MANUFACTURE OF COOKING GAS BY MIXING SOME CHEMICALS

2765. SHRI SUBHASH AHUJA
DR. LAXMINARAYAN PANDEYA
SHRI YAGYA DTT SHARMA
: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether cooking gas is being manufactured in the country by mixing some chemicals;

(b) if so, whether Government have tested it to find out its likely effect on health;

(c) if not, the reasons for not doing so; and

(d) if so, the result thereof?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) The Central Government determines the basic ceiling selling quantity of sulphur compound (Meroaptan) is added to cooking gas (LPG) to impart a distinctive odour to it so that a leak anywhere in the LPG system is easily detected.

(b), (c) and (d). Medical experts who have been consulted in the matter have not reported of any special studies held to determine the harmful effects of cooking gas, on health. They are also not aware of any evidence which indicates that use of cooking gas leads to health hazards. However, the chances of the sulphur compound causing harmful effect on health is negligible as it is added only in traces and whatever is added gets burnt during use.

SUPPLY OF KEROSENE AT FIXED PRICE

2766. SHRI RAM SEWAK HAZARI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether the prices of kerosene have been fluctuating from 1975 to January, 1978;

(b) whether Government propose to formulate any policy to keep price stable; and

(c) whether Government propose to ensure to supply kerosene at fixed prices in adequate quantity to common people in rural areas of the country ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHAGUNA) : (a) The Central Government determines the basic ceiling selling prices of Kerosene oil ex oil companies' main installations/refinery points. During the period in question, the increases allowed in these prices by the Central Government were the increase of 5 paise per litre w.e.f. 14-7-1975, and of another 12 paise per litre w.e.f. 1-12-1975.

Retail selling prices of kerosene oil are determined by the local authorities in terms of the Kerosene (Fixation of Ceiling Prices) Order, 1970 issued under the Essential Commodities Act, 1955; after taking into account transportation charges, agent's commission, local taxes etc.

(b) and (c) : The equitable distribution of kerosene in the various parts of a State is primarily carried out through the agency of the State Government. However, a special coordinating machinery has been set up to plan and monitor the movement of products so that pockets of shortages do not develop and blackmarketing is curbed. This machinery functions in close contact with the oil companies, Railways and the State Governments.

डोमोहमी-चंग्रबंधा रेलवे लाइन

2767. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डोमोहमी और चंग्रबंधा रेलवे लाइन को (एन० एफ० रेलवे), जो 1968 की विनाशकारी बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गई थी, पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : डोमोहानी-चंग्रबंधा रेल लाइन को फिर से बिछाने के लिए एक नये यातायात सर्वेक्षण को 1978-79 के बजट में शामिल कर लिया गया है। इस लाइन को फिर से बिछाने का काम हाथ में लेने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय, नये यातायात सर्वेक्षण के परिणामों तथा इस कार्य के लिए धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

JOBS FOR THE DEPENDENTS OF EMPLOYEES IN F.C.I. GORAKHPUR

2768. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of dependents of those employees who died while in service on various posts in the unit of the Fertilizer Corporation of India in Gorakhpur district in Uttar Pradesh, who applied for jobs and for payment of arrears during the last one year;

(b) the number and names of the applicants out of them who belong to the scheduled castes and scheduled tribes as also their addresses; and

(c) the action taken by Government so far in this direction ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : (a) to (c).

The required information is being collected and will be laid on the Table of the House.

CONSTRUCTION OF SAKRI-HASANPUR RAILWAY LINE

†2769. SHRI HUKAMDEO NARAIN YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) since when the proposal for converting Samastipur-Darbhanga branch line in North-Eastern Railway into broad gauge line is pending and when approval was given to the scheme and the reasons for delay in its conversion; and

(b) the time by which construction of Sakri-Hasanpur and Darbhanga-Muzaffarpur railway line would be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Gauge conversion of Samastipur-Darbhanga MG line was included in the Budget for 1974-75 and is an approved work. The report on the Final Location Engineering Survey-*cum*-Traffic reappraisal for the conversion of this MG line was received in October 1977 and is under examination. The completion of the project would depend upon the availability of resources.

(b) The delay in taking up the construction of Sakri-Hasanpur line is on account of shortage of resources and no target date can be fixed for its completion at present. A preliminary Engineering-*cum*-Traffic Survey for construction of a new broad gauge line from Muzaffarpur to Darbhanga is in progress and is expected to be completed by 30th April 1978; the question of constructing the line will be considered after the survey is completed.

डी० एच० सेक्शन में मालगाड़ियों को कम करने का प्रस्ताव

2770. **श्री के० बी० चेतरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार डी० एच० सैक्शन, दार्जिलिंग में पुनः मालगाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार कर रही है,

(ख) क्या इस बारे में सरकार को स्थानीय लोगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) जनता सरकार द्वारा सत्ता सम्भालने के पश्चात् डी० एच० सैक्शन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) यात्री यातायात को रेल द्वारा ले जाने तथा माल यातायात को रेल प्रशासन द्वारा नियुक्त ठेकेदारों द्वारा परिचालित समन्वित सड़क परिवहन द्वारा ढोने की वर्तमान व्यवस्था बहुत ही संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। यह व्यवस्था अलाभप्रद शाखा लाइन समिति–1969 की सिफारिशों के अनुसार की गयी है ।

काटाबांजी के रेल कर्मचारियों को अनिवार्य जमा राशि का भुगतान

2771. **श्री एन्थू साहू :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कांटाबांजी रेलवे स्टेशन के बहुत से रेलवे कर्मचारियों की उनकी अनिवार्य जमा की राशि का वापस भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है कि निम्न स्तर के कर्मचारियों को अनिवार्य जमा की राशि का वापस भुगतान कर दिया जाये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : कान्टाबांजी रेलवे स्टेशन के निम्न श्रेणी सहित सभी पात्र अभ्यर्थियों को, उनकी अनिवार्य जमा-राशि वापिस मिल गयी है।

UNAUTHORISED OCCUPATION OF RAILWAY LAND AROUND CHAKRADHARPUR

2772. SHRI R. P. SARANGI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is unauthorised occupation on large area of railway land around Chakradharpur railway station on S.E. Railway;

(b) whether railway land has also been occupied unauthorisedly by some people near the railway crossing at Chakradharpur on Ranch-Chaibasa main road with the help of railawy officers and R.P.F. and the railway is not getting any benefit out of it; and

(c) if the replies to parts (a) and (b) above, be in the affirmative whether Government will have the above unauthorised occupation vacated ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) No.

(c) Eviction proceedings have already been instituted against the outsiders encroaching railway land. In one case an eviction order has been passed to evict the encroacher from

an area of 2.1 acres. The local Government is being requested to offer necessary police help for effecting eviction.

मैसर्स होएस्ट इण्डिया लिमिटेड

2773. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स होएस्ट इण्डिया का इस देश में रसायन और औषधियों के उत्पादन के क्षेत्र में एकाधिकार है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस फर्म का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : सरकार का मैसर्स होएस्ट, इंडिया लिमिटेड को राष्ट्रीयकरण करने का अभी कोई विचार नहीं है। हाथी समिति की सिफारिशों के सन्दर्भ में, भारत में काम कर रही सभी विदेशी औषध कम्पनियों की भावी भूमिका पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

सेवा निवृत्त रेलवे पुलिस कर्मचारियों को पास

2774. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1937 के पूर्व भर्ती किये गये रेलवे पुलिस कर्मचारियों को नियम 165 के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् यात्रा के लिए पास दिये गये थे,

(ख) क्या उत्तर रेलवे के महाप्रबन्धक ने इन कर्मचारियों को मिलने वाली इस सुविधा को अब वापस ले लिया है; और

(ग) क्या ऐसा करने का अर्थ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिये गये आश्वासन और विशेषाधिकार का हनन है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : वर्तमान आदेशों के अनुसार सुविधा पास और सुविधा टिकट आदेश की रियायत केवल उन्हीं सरकारी रेल पुलिस कर्माचारियों को दी गई है जो 17-6-1937 से लगातार उन भारतीय रेलों पर रेलवे पुलिस की ड्यटी पर लगे हुए हैं जिन पर यह रियायत 1-4-1937 से पहले दी गई थी। लेकिन ऐसे कर्मचारी सेवा निवृत्त होने पर सेवा निवृत्ति मानार्थ पास पाने के पात्र नहीं हैं। इन नियमों के प्रावधानों की जानकारी न होने के कारण उत्तर रेलवे के उपमहानिरीक्षक (रेलवे)/हरियाणा ने एक मामले में कुछ सेवा निवृत्ति मानार्थ पास जारी कर दिये थे। इसका पता लगने पर 24-6-69 से इसे रोक दिया गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल० बेस का मूल्य

2775. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री एल० बेस की नीति के बारे में 21 फरवरी, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सी० सी० श्राई० एण्ड ई० फार्मूला के अनुसार एल० बेस का मूल्य निर्धारित न कर सकने तथा उन यूनिटों को, जो एल० बेस को क्लोरम्फेनीकोल में बदलते हैं उपयुक्त लाभ प्राप्त करने की अनुमति देकर क्लोरम्फेनीकोल के मूल्य में उपयुक्त परिवर्तन न कर सकने के विस्तृत कारण क्या हैं तथा विभिन्न राज्यों को उत्पादन में राज सहायता न देने के क्या कारण हैं यद्यपि ऐसा 1972 में किया गया था;

(ख) इस अत्यधिक मूल्य वृद्धि के पश्चात् क्लोरम्फेनीकोल पर आधारित औषधियों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है; और

(ग) सरकार अपनी इस कार्यवाही को किस प्रकार न्यायसंगत ठहराती है कि सम्पूर्ण कार्यवाही इन यूनिटों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं की गई जैसा कि विभिन्न संसद सदस्यों ने दिसम्बर, 1977 में अपने पत्र में लिखा था?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मूल स्तरों से निर्मित क्लोरम्फेनीकोल पाऊडर का अपनी खपत के प्रयोग के लिए मूल्य 558 रुपये प्रति किलोग्राम और अन्यों को बिक्री के लिए मूल्य 586 रुपये प्रति किलोग्राम अधिसूचित किया गया है। वर्ष 1977–78 के दौरान आयात और मूल स्तरों से उत्पादन पर आधारित क्लोरम्फेनीकोल का सामूहिक मूल्य 1 अगस्त 1977 से 524.60 प्रति किलो ग्राम से 586 प्रति किलोग्राम तक बढ़ाया गया था। देश भर में कई एकक एल-बेस को क्लोरम्मफेनीकोल में परिवर्तित कर रहे हैं और इसको मूल स्तर उत्पादन/औषधों के निर्धारित सामूहिक मूल्य पर बेचते हैं। स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० से सी० सी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला के अनुसार तैयार किये गये एल-बेस के 422 रुपये प्रति कि० ग्राम मूल्य उन्हें मिले होते और उन्हें ऐसे परिवर्तन में अनैच्छिक लाभ हुआ होता। चूंकि एल-बेस का क्लोरम्फेनीकोल में परिवर्तन सरल प्रौद्योगिकी सहित एक एकाकी प्रति क्रिया प्रक्रिया है और क्लोरम्फेनीकोल के उत्पादन के दीर्घकालीन लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसे मूल स्तरों से स्थापित नहीं किया जा सकता था इसलिये एल-बेस, का मूल्य 650 रुपये प्रति कि० ग्रा० निर्धारित किया गया था। इस कदम से यह सुनिश्चित किया गया है कि क्लोरम्फेनीकोल में इसके परिवर्तन से केवल संबंधित एककों को उचित लाभ होता है जब कि मूल स्तर से क्लोर-म्फेनीकोल के देशी उत्पादन, सामूहिक मूल्य, और एल-बेस से क्लोरम्फेनीकोल के उत्पादन के लिए एकरूप मूल्य रखे गए हैं। एल-बेस के लिए कारपोरेशन को अधिक मूल्य की दी गई मंजूरी के कारण स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के पास कोई अधि-शेष का, सी० सी० आई० एण्ड ई० के फार्मूला के अनुसार तैयार किए गए मूल्य वर्ष 1978–79 के लिए सारणीबध प्रपुज औषधों के मूल्यों को निर्धारित करते समय समायोजन किया जाएगा।

एल-बेस से निर्मित क्लोरम्फेनीकोल के अलग से मूल्य पहले कभी भी सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये गए थे। तथापि, वर्ष 1970 से मूल स्तरों से निर्मित क्लोरम्फेनीकोल के मूल्य समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं। इसी प्रकार स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मेस्युटीकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० द्वारा वितरित क्लोरम्फेनीकोल के सामूहिक मूल्य भी समय-समय पर संशोधित किए गए हैं। गत समय में मूल स्तरों से क्लोरम्फेनीकोल के

निर्माताओं की क्षतिपूर्ति यदि कोई है तो देशी मूल्य और सामूहिक मूल्य के बीच में अन्तर तक पूरी की जाती है। एल-बेस से निर्मित क्लोरम्फेनीकोल को उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए लागत-व-तकनीकी जांच बी० आई० सी० पी० द्वारा पहले ही की जा रही है और ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उपयुक्त कारवाई की जाएगी।

(ख) क्लोरमफेनीकोल पाऊडर के पूल्ड मूल्य में 524.60 रुपये कि० ग्रा० से 586 रुपये कि० ग्रा० तक वृद्धि के परिणामस्वरूप सूत्रयोगों के मूल्यों में प्रतिशत वृद्धि 2 से 11% तक हुई है।

(ग) एल-बेस के लिए 650 रुपये प्रति कि० ग्रा० मूल्य केवल इस बात को सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित किया गया था कि एल-बेस से क्लोरमफेनीकोल के निर्माताओं की उचित वसूली हो जाए और एल-बेस से निर्मित क्लोरमफेनीकोल के मूल्य तथा मूल स्तर से 586 रुपये प्रति कि० ग्रा० के पूल्ड मूल्य स्तर को भी बनाए रखा जाए। क्लोरमफेनीकोल के मूल स्तर से उत्पादन के लिए 586 प्रति कि० ग्रा० मूल्य लागत-व-तकनीकी जांच के आधार पर निर्धारित किया गया था इसलिये किसी एकक अथवा एकक की किसी श्रेणी को कोई लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

CONVERSION OF GAYA-PATNA RAILWAY LINE

†2776. SHRI H. L. P. SINHA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether railway line from Gaya to Patna in Bihar is proposed to be converted into double line and if so, by what time and if not, the reasons therefor; and

(b) whether Government propose to lay a railway line from Gaya to Bodh Gaya and whether a proposal therefor is already under consideration of the Department ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No. The present capacity on this single line section is considered adequate to meet with the present and anticipated traffic.

(b) A reconnaissance Engineering-*cum*-Traffic survey for a broad gauge line between Gaya and Rajgir is in progress. The possibility of extending the line upto Bodh Gaya will also be examined by the survey team. A decision regarding construction of this line will be taken after the results of the survey are known and also depending on the availability of resources.

IRREGULARITY IN SUPPLY OF GAS CYLINDERS IN GHAZIABAD AND FARIDABAD

2777. SHRI AGHAN SINGH THAKUR : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that owners of cooking gas agencies in cities such as Ghaziabad and Faridabad near Delhi commit irregularities on large scale in the supply of gas cylinders as a result of which consumers are facing great difficulties; and

(b) if not, whether Government will conduct any inquiry into the matter so that consumers do not face difficulties ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHAGUNA) : (a) and (b) No complaint has been received by Indian Oil Corporation or Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers about large-scale irregularities being committed by owners of Liquefied Petroleum Gas (cooking gas) agencies at Ghaziabad

or Faridabad. There have, however, been some complaints of shortages on account of inadequate availability of LPG. The availability of LPG at Shakurbasti (Delhi) from which these two towns are fed was inadequate for some time and there were backlogs in the supply of cylinder refills to the consumers. Beginning from the third week of January, 1978, it has been possible to maintain regular and normal supplies to Ghaziabad and Faridabad.

नैमित्तिक गैंगमैनों की डाक्टरी परीक्षा

2778. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद डिवीजन, पूर्व रेलवे में बहुत बड़ी संख्या में नैमित्तिक गैंगमैनों को डाक्टरी परीक्षा में गैंगमैन की नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है लेकिन वे अन्य नोकरियों के लिए उपयुक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नैमित्तिक गैंगमैनों के नाम क्या हैं और उनकी सेवावधि कितने वर्ष की है ;

(ग) इन गरीब नैमित्तक गैंगमैनों को वैकल्पिक नौकरियां देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन नैमित्तिक गैंगमैनों के लिए डाक्टरी परीक्षा के स्तर में छूट देने के सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड के निदेशों का पालन न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। गैंगमैन की कोटि के लिए 72 व्यक्ति डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य घोषित किये गये थे।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जिन वैकल्पिक कोटियों में नियुक्ति के लिए नैमित्तिक श्रमिक उपयुक्त होते हैं, उन वैकल्पिक कोटियों में रिक्तियां उपलब्ध होने पर उन्हें नियुक्त किया जाता है। ऐसे 30 व्यक्तियों को वैकल्पिक नौकरियां दे दी गयी हैं। 4 व्यक्तियों ने अभी नौकरी की मांग नहीं की है। शेष 38 व्यक्तियों का मामला विचाराधीन है।

विवरण

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	मंगरू महतो	16-2-67
2.	जुमन	6-3-69
3.	नूर अंसारी	16-2-68
4.	जय लाल	29-3-68
5.	तुल्लू महतो	16-11-69
6.	राम महतो	16-1-70
7.	तोक लाल महतो	16-1-70
8.	महरु महतो	162--77

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
9.	अरुण	25-1-66
10.	सुदर्शन	20-11-74
11.	नूर मुहम्मद	16-12-66
12.	प्यारे	21-12-66
13.	सेवा	21-12-66
14.	कुन्दन	18-6-66
15.	वैद्यासन	13-6-66
16.	ग्यासूद्दीन	21-12-66
17.	गोविन्द मंडल	16-1-68
18.	मथन मंडल	21-12-68
19.	दुर्गन	16-2-58
20.	गोबिन्द	16-10-62
21.	सोमरा	18-5-56
22.	खरा	28-9-62
23.	रेंजल	19-9-57
24.	मानिक	1957
25.	बंधन	1956
26.	भगलू	16-8-67
27.	साहमातिल	16-6-64
28.	किसून	1957
29.	इब्राहिम	1964
30.	होरिल	1957
31.	गुजरा	1960
32.	बाबून	1966
33.	खगू	1965
34,	गोलाप	19-5-65
35.	दिलचंद	26-5-65
36.	महावीर	16-6-64
37.	बुट्ट	21-6-65
38.	मणि	9-6-65
39.	पूरन	16-12-64
40.	होरिल	1962
41.	फगू	1963
42.	धनुकधारी	1967
43.	बजीर सुपुत्र शनिचर	1967

क्रमसं०	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
44.	वजीर पुत्र गोपी	1967
45.	असरफी	जून, 1967
46.	रामरतन	अक्तूबर/1967
47.	केशो	जून/1967
48.	निर्मल	मई/1967
49.	जग्गन	फरवरी/1968
50.	परमेश्वर	जून/1967
51.	कमल	जून/1967
52.	जगन्नाथ	जून/1967
53.	मुनेश्वर	जून 1967
54.	रामलाल	4-5-68
55.	बिहारी	26-9-69
56.	लखी कान्त	30-11-69
57.	बोल राम	17-3-69
58.	संतोखिल	20-11-59
59.	सोमरु	20-10-60
60.	भागर	3-1-62
61.	जाशिम	9-3-62
62.	बालकीसर	17-3-62
63.	हरगोबिन्द	16-7-62
64.	कर्मदेव	17-9-67
65.	सारु	31-7-67
66.	नन्दू	30-3-68
67.	शिव प्रकाश	4-1-70
68.	रामदास	18-2-71
69.	पद्दू	4-1-70
70.	राम प्यारे	20-2-70
71.	रणजीत	20-10-70
72.	हंसलाल	1970

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स पिम्परी, के निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन

2779. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स, पिम्परी निदेशक बोर्ड का प्रत्येक वर्ष पुनर्गठन के बारे में 13 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3106 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड (पिम्परी) पूना (महाराष्ट्र) के निदेशक बोर्ड को वर्ष 1977-78 के लिये पूरी तरह पुनर्गठित नहीं किया गया है और छः अथवा सात स्थान रिक्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और रिक्त स्थान कब तक भरे जाएंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

NUMBER OF S.C. AND S.T. HAVING GAS AND PETROL PUMP AGENCIES

2780. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of the persons of Scheduled Castes and Scheduled Tribes having gas and petrol pump agencies at present;

(b) is it a fact that a large number of dealers have more than five thousand gas connections in the country and if so, whether Government propose to reduce this figure between 500 to 1000 in view of providing more job opportunities if so, by what time; and

(c) whether there is any plan under the consideration of the Government to provide maximum job opportunities to the educated unemployed harijans and tribals by his Ministry and if so, the outlines thereof ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHAGUNA) : (a) to (c) According to the policy guidelines issued to the oil companies 25% of all types of retail outlets (Petrol pumps) and has agencies as well as kerosene/light diesel oil agencies of all the public sector oil companies have been reserved for persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes, with effect from 23rd September, 1977. Until this policy was evolved only the Indian Oil Corporation had a policy since 1-1-1974 of reservation of their gas agencies and 'A' site retail outlets (petrol pumps) for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Under that policy 16 'A' site retail outlets and 18 gas agencies have been awarded to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes until 31-12-77.

Presently, out of a total of 569 LPG distributors of Indian Oil Corporation and Bharat Petroleum Corporation 112 are having more than 5000 gas connections. Distribution of LPG in the cases of Hindustan Petroleum Corporation and Caltex Oil Refining (I) Limited is mainly done through concessionaires. A ceiling on the number of customers with each LPG distributor of Indian Oil Corporation has already been prescribed. Steps are being taken to extend the ceiling to the LPG agencies of the taken-over oil companies.

MANUFACTURE OF RAILWAY ELECTRIFICATION EQUIPMENT

2781. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of factories in Uttar Pradesh which manufactured equipment required for electrification of the Railways and the number of employees working in these factories; and

(b) whether employees of these factories will be rendered jobless as a result of closing down the electrification department ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) A statement is attached.

(b) There is no proposal to close down railway electrification on Indian Railways.

6—145 LSS/78

STATEMENT

(a) The names of the factories in Uttar Pradesh which manufacture equipment required for electrification of the Railways is given below. As regards the number of employees working in these factories, it is not possible for the railway administration to say the exact number of the employees working in these factories as they are not controlled by the Railway Administration :

1. M/s. General Electric Co. Ltd., Naini, Allahabad.
2. M/s. R. S. Steel Works Ltd., Bareilly.
3. M/s. Darbari Industries, 67 Meerapatti, G.T. Road, Dhoomanganj, Allahabad.
4. M/s. Punjab Auto Industries Ltd., A-7, Industrial Estate, Varanasi.
5. M/s. Anu Vidyut, Roorkee.
6. M/s. Pulling & Lifting Machines Pvt. Ltd., B-10, Industrial Area No. 3, Meerut Road, Ghaziabad.
7. M/s. Kanpur Expeller Co., 14-B, Co-operative Industrial Estate, Viveka Nand Nagar, Kanpur.
8. M/s. Premier Enamel Works, Premier Nagar, Aligarh.
9. M/s. Laxmi Engg. Corporation, D, 58/2, Rathyatra Crossing, Station Road, Varanasi.
10. M/s. R. P. Machine Tools, E-193, Kavi Nagar, Industrial Estate, Ghaziabad.

कुकिंग गैस का उत्पादन

2782. **श्री परमानन्द गोविन्द जीवाला** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन श्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत में कुल कितनी मात्रा में कुकिंग गैस का उत्पादन होता है;

(ख) महानगरों में तथा दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कुकिंग गैस की कुल कितनी खपत होती है;

(ग) क्या सरकार ने 2 लाख से कम आबादी वाले छोटे नगरों में पर्याप्त मात्रा में कुकिंग गैस सप्लाई करने के लिए कोई योजना बनाई है; श्रौर

(घ) क्या सरकार को पता है कि छोटे नगरों में गैस कनेक्शनों की भारी मांग है श्रौर यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

पेट्रोलियम रसायन श्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) श्रौर (ख) 1977–78 में खाना पकाने की गैस का कुल उत्पादन करीब 3.94 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 2.37 लाख मीटरी टन 2 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े नगरों/शहरों में प्रयोग की जाने की संभावना है ।

(ग) श्रौर (घ) कोयले लकड़ियों लकड़ी के कोयले तथा मिट्टी के तेल का घरेलू ईंधन के रूप में वैकल्पिक ईंधन के कारण तरल पेट्रोलियम गैस की सही सही मांग का अनुमान लगाना संभव नहीं है। परन्तु दो लाख से कम जनसंख्या वाले कुछ छोटे नगरों में भी भारतीय तेल निगम तथा भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा विपणन किया जा रहा है। इन दो कम्पनियों तथा शेष श्रन्य दो कम्पनियों द्वारा दूसरे छोटे नगरों में तरल पेट्रोलियम गैस विपणन करना श्रारम्भ करना केवल तभी सम्भव होगा जब इसकी श्रतिरिक्त मात्रा उपलब्ध होगी।

एकीकृत सिविल संहिता अधिनियमित करने का प्रस्ताव

2783. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत की समस्त जनता के लिए एकीकृत सिविल संहिता अधिनियमित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह): (क) जी नहीं ।

(ख) समान सिविल संहिता के अधिनियमन का कार्य प्रारंम्भ करने से पूर्व सरकार को भारत के विभिन्न धार्मिक समुदायों के दृष्टिकोण पर सम्यक रूप से विचार करना होगा। ऐसी संहिता के लिए इन समुदायों ने अभी तक कोई अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

PROVISION OF STOPPAGE OF CERTAIN TRAINS AT AKBAR NAGAR

*2785. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the number of passengers at Pirpenti Shivnarayanpur and Akbarnagar on Kiul-Sahebganj Loop line (E.R.) is not large enough to provide for a stop even at Akbarnagar for the Burdwan fast passenger, Danapur fast passenger and Upper India Express running on these lines;

(b) whether Government have received several representations from the people and their representative; and

(c) if so, whether Government propose to give a sympathetic consideration to the proposal at the time new time table is prepared ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Akbarnagar is at present served by 5 pairs of trains including 327/328 Danapur Fast Passengers. Keeping in view the fast character of 13/14 Upper India Express and the tight schedule of 351/352 Burdwan-Kiul Fast Passenger, their stoppages at Akbarnagar is not consider feasible.

(b) Yes.

(c) A stoppage at Akbarnagar is not proposed.

राज्यों में निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं की संख्या में वृद्धि

2786. **श्री सुखन्द्र सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हाल में हुए निर्वाचनों में मतदाताओं की संख्या में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्थानों की संख्या	निर्वाचकों की संख्या लोक सभा निर्वाचन 1977	निर्वाचकों की संख्या विधान सभा निर्वाचन 1978	वृद्धि	प्रति शतता
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	294	27,567,618	28,356,992	789,374	2.86
2. आसाम	126	7,225,616	7,962,645	737,029	10.20
3. कर्नाटक	224	16,767,195	17,896,138	1,128,943	6.73
4. महाराष्ट्र	228	28,856,991	31,029,395	2,172,404	7.53
5. मेघालय	60	530,326	585,081	54,755	10.32
6. अरुणाचल प्रदेश	30	215,657	239,945	24,288	10.12
कुल	1,022	81,163,403	86,070,196	4,906,793	6.05

कृष्णनगर से आगे विद्युत रेल मार्ग

2787. **श्री शशांकशेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत रेल मार्ग का विस्तार कृष्णनगर से आगे लाल-गोला तक करने के लिए बहुत पहले से मांग की जा रही है, और

(ख) इस बारे में कृष्णनगर से आगे लालगोला की दिशा में विद्युत चालित रेलगाड़ियां चलाने के मामले में, सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) (क): जी हां।

(ख) निकट भविष्य में यातायात में प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए कृष्णनगर सिटी और लालगोला के बीच वर्तमान कर्षण से पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है। इसलिये इस खण्ड पर विद्युत कर्षण पर निवेश करने का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है।

रानाघाट से लालगोला तक दोहरी लाइन

2788. **श्री शशांकशेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि बहुत समय पहले से यह मांग की जा रही है कि पूर्व रेलवे के सियालदह डिवीजन में रानाघाट से लालगोला तक जो पद्मा नदी के किनारे स्थित है और जो बंगलादेश और पश्चिम बंगाल के बीच सीमांकन करती है जहां तक एक ही लाइन है, दोहरी लाइन बिछायी जाये, और

(ख) ये मांगे पूरी करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी नहीं। इस खंड की क्षमता पर्याप्त है और यहां दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं समझा जाता।

लाइन बदलने सम्बन्धी नीति बनाया जाना

2789. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटरगेज़ की बड़ी लाइन में बदलने तथा छोटी लाइन को मीटरगेज़ में बदलने के बारे में सरकार ने आगामी पांच वर्षों के लिए कोई नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत आने वाली लाइनों का, वर्षवार, जोनवार, ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अगले पांच वर्षों के दौरान हाथ में लिए जाने वाली आमान परिवर्तन परियोजनाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्तमान नीति के अनुसार आमान परिवर्तन परियोजना निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है :—

(i) जब किसी खंड पर यातायात चरम सीमा तक पहुंच जाय और अतिरिक्त यातायात सम्हालने की क्षमता न हो।

(ii) जबकि यानान्तरण अलाभप्रद हो जाए या बिल्कुल व्यावहारिक न रहे।

(iii) संभाव्य विकास वाले क्षेत्रों में तेज और निर्बाध सचार व्यवस्था करने की आवश्यकता होने पर।

अभी निम्नलिखित आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर काम चल रहा है :—

क्रम स०	परियोजना का नाम	किलोमीटरों में लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सूरतगढ़—भटिंडा (उत्तर रेलवे) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	142.00	14.50
2.	बाराबंकी—समस्तीपुर (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	587.00	69.00
3.	वाराणसी—भटनी (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	163.00	13.91
4.	समस्तीपुर—दरभंगा (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	37.60	8.73
5.	मुरादाबाद—रामनगर (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	77.50	7.51

1	2	3	4
6.	काशीपुर—लालकुआं (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में) और लाल कुआं न्यू—हल्दवानी के बीच समानान्तर बड़ी लाइन (चरण-III)	60.75 17.27	9.08
7.	न्यू बोंगाईगांव—गुवाहाटी (पूर्वोत्तर-सीमा) (समानान्तर बड़ी लाइन)	157.00	35.00
8.	गुंतकल से धर्मावरम् तक समानान्तर बड़ी लाइन और धर्मावरम् का आमान परिवर्तन और धर्मावरम्—बंगलुरु का आमान परिवर्तन (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में) (दक्षिण-मध्य)	267.00	24.00
9.	एर्णाकुलम—तिरुवनन्तपुरम् (दक्षिण) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	221.00	18.25
10.	मनमाड—परभनी—पुर्ली वैजनाथ (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में) (दक्षिण-मध्य)	354.00	29.74
11.	गुंटूर—माचेर्ला (दक्षिण—मध्य) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	130.22	8.14
12.	वीरमगाम—ओखा—पोरबन्दर (पश्चिम) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	557.00	60.00
13.	दिल्ली—साबरमती (पश्चिम, उत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	925.00	108.00
14.	बरौनी—कटिहार (पूर्वोत्तर) (मीटर लाइन से बड़ी लाइन में)	182.00	20.00

INCOME OF M/S. A. H. WHEELER AND COMPANY

2790. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have any information about the estimated monthly income of M/s. A. H. Wheeler & Company who take on contract bookstalls at Railway stations;

(b) if so, the amount thereof and whether this company is paying income tax thereon; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c) Besides bookstalls at railway stations, M/s. A. H. Wheeler & Co. have many other branches of business such as publishing, sports goods, wholesale distribution of educational books, etc., which are beyond the purview of the Railways. Details of total profit and the income tax paid by the Company are, therefore, not maintained. Accordingly, only the figures pertaining to their sales turnover at the bookstalls on railway station are audited by the Railways and the royalty realised.

तालचर और पारादीप में उर्वरक परियोजनायें

2791. **श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उड़ीसा में तालचर तथा पारादीप उर्वरक कारखानों की आवश्यकताएं पूरी कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या कार्यक्रम हैं तथा इसके लिए कितनी राशि दी जाएगी ; और

(ग) पूरा होने की लक्ष्य तिथि तथा वर्तमान स्थिति क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) तालचर में फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लि० का कोयले पर आधारित संयंत्र यांत्रिक रूप से पूरा होने वाला है तथा 1978 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है। इस परियोजना के लिए 1977–78 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2009 लाख रुपयों का है।

पारादीप परियोजना पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र की परिकल्पित पांच नई उर्वरक परियोजनाओं में से एक थी। तथापि, संसाधनों के कड़े प्रतिबन्ध के कारण पांचवीं योजना के दौरान परियोजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका।

अब, बम्बई हाई तथा असम में बसीन संरचनाओं से सम्बद्ध प्राकृतिक गैस की खोज के साथ, गैस पर आधारित अतिरिक्त नाईट्रोजनयुक्त उर्वरक क्षमता की स्थापना के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। तथापि अतिरिक्त फास्फेट क्षमता की योजना बनाते समय पारादीप को स्थल के रूप में अपनाने के सम्बन्ध में उपयुक्त विचार किया जायेगा।

आसाम में तेल का उत्पादन

2792. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम क्षेत्र में रुद्रसागर, लाक्वा, लखमनी गोलिकी, वोहोलिका में तेल के उत्पादन की दर क्या है ;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आसाम के अन्य क्षेत्रों में कोई और खुदाई का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या ऊपरी आसाम में किसी और तेल शोधक कारखाने की मांग की गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1977-78 के दौरान ओ० एन० जी० सी० ने रुद्रसागर, लाक्वा, लखमनी और गैतेकी तेल क्षेत्रों

से कुल 1.42 मिलियन मी० टन अशोधित तेल के उत्पादन की योजना बनाई जो इस प्रकार है :

	मिलियन मी० टन
रुद्रसागर	0.28
लाक्वा, लखमनी	0.88
गैलेकी	0.26
कुल	1.42

बोरहोला से तेल का कोई उत्पादन नहीं हुआ।

(ख) जी हां।

(ग) वर्तमान वर्ष अर्थात् 1977-78 के दौरान लक्वा, लखमनी, गैलेकी और बोरहोला संरचना में व्यधन कार्य के अतिरिक्त ओ० एन० जी० ओ० ने आसाम में चाराली और चारगोल संरचना में व्यधन कार्य किया। वर्ष 1978-79 के दौरान लक्वा लखमनी, गैलेकी चाराली और चारगोल संरचना में व्यधन कार्य को चालू रखने की योजना है। इसके अतिरिक्त आसाम के बरसीला, चायरावडे और मसीमपुर नामक स्थानों में तीन संरचनाओं के वर्ष के दौरान व्यधन कार्य करने की भी योजना है।

(घ) विगत में आसाम में अतिरिक्त परिशोधन सम्बन्धी क्षमता को स्थापित करने की मांग की गयी है।

(ङ) सरकार द्वारा अतिरिक्त परिशोधन क्षमता/माध्यमिक तेल साफ करने की सुविधाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय हाल ही में नियुक्त अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों के बाद किया जायेगा।

ईरान में रेल सम्पर्क लाइन

2793. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'राइट्स' को ईरान में लगभग 500 कि० मी० रेल सम्पर्क लाइन बनाने के आदेश प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी 'राइट्स' के मार्ग में आ रहे हैं, सम्भाव्यता पर पुनः विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण और तथ्य क्या हैं ; और

(ङ) ईरान के प्रस्तावित रेल सम्पर्क लाइन का अन्तर्राष्ट्रीय महत्व क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले दिनों ईरान में केरमान और शुर्गंज के बीच एक नयी रेल लाइन के लिए राइट्स ने प्रारम्भिक व्यावहारिकता एवं लागत अध्ययन (चरण-I) आरम्भ

किया था और तभी इस लाइन के अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण (चरण-II) को प्रारम्भ करने के लिए भी प्रस्ताव रखा था। मिरजवेन (पाकिस्तान) और जहेदान (ईरान) के बीच वर्तमान शाखा लाइन का ग्रेड बढ़ाने के सम्बन्ध में दूसरा अध्ययन भी राइट्स द्वारा पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट ईरान भेज दी गई है। वहां की सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ङ) जहेदान-केरमान-शुर्गज के बीच जहां अब रेल सम्पर्क नहीं है, जब ईरान द्वारा रेल सम्पर्क पूरा हो जायेगा तब यह सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रीय थ्रू रेल यातायात को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिकलिपत ट्रान्स-एशियन रेल परियोजना के वर्तमान अभाव में एक संयोजक (पुल) का काम करेगा।

केरल में पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, पुनालूर

2794. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के क्विलोन जिले में पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, पुनालूर के प्रमुख अंशधारी कौन हैं; और प्रमुख शेयरधारियों तथा निदेशकों के ऐसे शेयरों का मूल्य क्या है;

(ख) उक्त कम्पनी के निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं;

(ग) क्या प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अनियमितताओं के बहुत गम्भीर आरोप हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ग) तथा (घ) कम्पनी कार्य विभाग को गत तीन कलैन्डर वर्षों के मध्य, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध इस प्रकार के कोई आरोप प्राप्त नहीं हुये हैं।

विवरण

1. प्रमुख हिस्सेधारी तथा प्रत्येक द्वारा एक लाख रु० के अधिक के धारित हिस्सों का मूल्य

नाम (1)	राशि रु० में (2)
यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया	8,14,750
कनारा बैंक वाराणसी	10,00,000
स्टेट बैंक आफ केरल	12,30,390
यूनाइटेड इन्डस्ट्रियल बैंक लि०, कलकत्ता-1	4,00,000
लक्ष्मी निवास एण्ड कम्पनी (एक्सपोर्ट) प्रा० लि० (कलकत्ता-16)	19,57,470
काशी कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लि० वाराणसी	30,12,750
क्लाइव स्ट्रीट नौमीनीज प्रा० लि० कलकत्ता	16,80,000
श्रीमती ऊषा, मित्तल निवास	3,02,950
मास्टर, कुणाल डालमिया	1,23,180

(1)	(2)
श्रीमती सुमन हाडे	2,69,000
कुमारी शैली डालमिया	1,08,090
कुमारी कुसुम मूंदड़ा .	1,18,090
श्री ताराचन्द धानजी .	1,12,000
श्री लक्ष्मी निवास डालमिया	1,23,920

(2) अधिमान हिस्सेदारी

नाम	राशि रु० में
जनरल इन्शोरेन्स कारपोरेशन आफ इन्डिया	2,00,000
नेशनल इन्शोरेन्स कम्पनी लि० . . .	11,75,000
यूनाइटेड इन्डिया फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि०	7,00,000
न्यू इन्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि० . .	8,50,000
ओरियन्टल फायर एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि०	7,25,000
यूनिट ट्रस्ट आफ इन्डिया	12,04,500

2. निदेशकों के नाम तथा उनके द्वारा धारित हिस्सों का मूल्य

नाम	राशि रु० में
श्री लक्ष्मी निवास डालमिया (प्रबन्ध निदेशक)	1,23,920
डा० सर सी० पी० एन० सिंह	3,920
श्री के० एस० नारायणन	1,960
श्री माधव गोइन्का	5,420
श्री भागीरथ मुरारका	1,000
श्री मोहन लाल मित्तल . .	1,000
श्री विकास चन्द्र सर्वाधिकारी	1,000
श्री पाराखल थैरियथ देवास्से (केरल सरकार के मनोनीत) . .	कुछ नहीं
श्री विनायक आत्माराम राव (आई० सी० आई० सी० आई० के मनोनीत)	कुछ नहीं
श्री अवतार सिंह खुराना (आई० एफ० सी० आई० के मनोनीत) . .	कुछ नहीं

भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने का रेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट

2795. **श्री ए० के० राय :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम के सिन्दरी कारखाने का रेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट निर्धारित समयसूची से पांच वर्ष पीछे है यद्यपि पूंजी निवेश तिगुना हो चुका है; यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि रेशनलाइजेशन प्रोजेक्ट के असफल होने का मुख्य कारण निर्माण की घटिया सामग्री सप्लाई करना है जिसमें बहुत से शीर्षस्थ अधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार पाइरेट्स से गंधक अम्ल बनाने वाली समस्त परियोजना को समाप्त कर उसे गंधक आधार से बनाना चाहती है; और

(घ) क्या सरकार इस बारे में पूरी जांच करायेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण परियोजना 2295.88 लाख पूंजीगत परिव्यय के साथ दिसम्बर 1977 को अनुमोदित की गई थी तथा नवम्बर 1977 तक सम्पन्न हो जाने की आशा थी। परियोजना के वर्तमान लागत अनुमान लगभग 4800.74 लाख रुपये है। कई बनावट सम्बन्धी प्रौद्योगिकी कठिनाइयों के कारण तथा अमझौर पाइराइट्स में कम सल्फर तथा अधिक सिलिका अंश होने के कारण, संयंत्र निर्धारित क्षमता के आस पास तक उत्पादन न कर सका। ये समस्याएं अब पहचानी गई हैं तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। उपायों के अन्तर्गत इस संयंत्र में उत्पादन को स्थिर बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट के दो स्ट्रीटों में से एक को सल्फर के प्रयोग में लाने के लिए परिवर्तित करने सम्बन्धी प्रस्ताव का अध्ययन किया जा रहा है तथा दूसरे को उन्नत पाइराइट्स पर स्थिर करने के लिए परिवर्तित करने का विचार है।

(घ) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए जांच करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

DEMAND TO INTRODUCE HADAUTI EXPRESS BETWEEN KOTA AND DELHI

†2796. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a demand has been made to introduce a train by the name of Hadauti between Kota and Delhi in Rajasthan; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) The proposal for introduction of an additional fast train between Kota and New Delhi/Delhi was examined but not found operationally feasible for want of spare line capacity on certain sections enroute and terminal facilities at Kota and New Delhi/ Delhi.

OVERBRIDGE AT SONGADH STATION

2797. SHRI CHHITUBHAI GAMIT : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a demand has been made in regard to construction of an overbridge at Songadh Station on Surat-Bhusaval line (Western Railway) and whether there is a great need of this bridge and the details in this regard;

(b) the details of the action taken and proposed to be taken by Government in this regard; and

(c) when the construction work of this bridge will be started and when it is likely to be completed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (c). There has been a demand for the past few years for the cons-

construction of a foot over-bridge for passengers arriving at this station from south side. In view however of the meagre volume of traffic and limitations of funds, it has not been possible to provide the same for the present.

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का मैसर्स वैस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड के विरुद्ध "रोको और बन्द करो" आदेश

2798. **श्री के० ए० राजन :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने मैसर्स वैस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड, कन्नानुर (केरल) के विरुद्ध "रोको और बन्द करो" आदेश (सीज एण्ड डजिस्ट आदेश) जारी किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फर्म के विरुद्ध दायर किये गये आरोप क्या हैं और उन पर आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) मैसर्स वैस्टर्न इंडिया प्लाईवुड लिमिटेड को वार्षिक व्यापारावर्त के आधार पर अपने अभिकर्ताओं को बोनस के रूप में अंशाँकित बट्टा देने की प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रथा में ग्रस्त होने के आरोप का दोषारोप लगाया गया था। आयोग ने वार्षिक व्यापारावर्ता के आधार पर अपने अभिकर्ताओं/उपभोक्ताओं को अंशाँकित बट्टा स्वीकृत करने से कम्पनी को रोकने और निषिद्ध करने और यह कि इस निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा के आदेश 28-1-78 को पारित किये थे। आयोग ने कम्पनी को आयोग के आदेश की शर्तों के अनुपालन के लिए शपथपत्र प्रस्तुत करने तथा आयोग के आदेश की एक प्रति अपने 1-1-78 तक के अभिकर्ताओं को पृष्ठाँकित करने का भी आगे आदेश दिया। कम्पनी ने अनुपालन के लिए शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया है, जो परीक्षान्तर्गत है।

श्रेणी चार के संवर्गों में नियुक्ति

2799. **श्री ए० के० राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीनियर डी० ओ० एस० (टी०) धनबाद, पूर्व रेलवे, के जाली हस्ताक्षर द्वारा श्रेणी चार के संवर्गों में नियुक्ति के मामले में भ्रष्ट प्रक्रिया की एक रिपोर्ट मिली है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां। माननीय संसद सदस्य द्वारा अग्रेषित शिकायत क्षेत्रीय रेलवे को 18-2-78 को प्राप्त हो गयी थी और उसकी जांच-पड़ताल की जा रही है।

स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टशन मास्टरों की संख्या

2800. **श्री राम प्रकाश त्रिपाठी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी भारतीय रेलवे में, डिवीजनवार और ग्रेड वार स्टेशन मास्टरों तथा सहाकय स्टेशन मास्टरों की वास्तविक तथा मन्जूरशुदा संख्या क्या है ;

(ख) दिल्ली डिवीजन में ग्रेडवार, स्टेशन मास्टरों तथा सहायक स्टेशन मास्टरों के कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं, और

(ग) उन रिक्त पदों को भरने के लिए प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आरक्षण की व्यवस्था

2801. **श्री हलीमुद्दीन अहमद :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यात्रियों को उत्तर सीमांत रेलवे में किशनगंज और अरेरिया से दिल्ली और कलकत्ता के लिए शायिका/सीट का आरक्षण करने में बहुत कठिनाई हो रही है, और

(ख) क्या यात्रियों को होने वाली इस कठिनाई को देखते हुए सरकार का विचार किशनगंज और अरेरिया रेलवे स्टेशनों पर शायिका/सीट के आरक्षण की व्यवस्था करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) दिल्ली और कलकत्ता जाने वाली गाड़ियों में इस समय किशनगंज और अररिया स्टेशनों के लिए निम्नलिखित कोटा आवंटित किया गया है:—

	किशनगंज		
	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा शायिका	सीटें
1. 155 डाउन तिनसुकिया मेल	—	6	—
2. 4 डाउन असम मेल	2	—	5
3. 85 अप असम मेल	—	2	—
4. 166 डाउन जनता	—	14	3
5. 348 डाउन सवारी गाड़ी	2	2	4
		अरेरिया दूसरा दर्जा शायिकाएं	
1. 44 डाउन दार्जिलिंग मेल		2	—

2. यातायात के मौजूदा स्तर के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है क्योंकि ये कोटे भी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किये जाते।

रेलवे को हानि

2802. **श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ रेलवे घाटे में चल रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे-वार आय और व्यय क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उन रेलवे के लिए क्या अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 1976-77 में, 9 क्षेत्रीय रेलों में से 4 क्षेत्रीय रेलों अर्थात् पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा और दक्षिण रेलों ने घाटा दिखाया है। 9 क्षेत्रीय रेलों के प्रत्येक के वित्तीय परिणाम संलग्न विवरण के में दिये गये हैं।

(ग) क्षेत्रीय रेलों का क्षेत्राधिकार अलग-अलग क्षेत्रों की अर्थ-क्षमता पर इतना अधिक आधारित नहीं होता जितना कि समन्वित और अविच्छिन्न परिचालन पर निर्भर करता है। कुछ क्षेत्रीय रेलों पर स्वभाविक रूप से वित्तीय परिणाम बेहतर होते हैं जबकि परिचालनिक विशेषताओं की वजह से अन्य रेलों पर अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

	मध्य	पूर्व	उत्तर	पूर्वोत्तर	पूर्वोत्तर-सीमा	दक्षिण	दक्षिण-मध्य	दक्षिण-पूर्व	पश्चिम
1. यातायात से कुल प्राप्ति	322.16	246.20	314.47	82.94	63.34	165.55	179.79	367.21	294.45
2. (क) कुल संचालन व्यय	226.04	246.51	265.94	100.61	89.99	180.50	141.02	237.75	230.20
(ख) शुद्ध विविध प्राप्ति	—0.81	1.29	1.76	−0.83	—0.40	1.05	0.94	0.95	1.00
3. शुद्ध राजस्व (1-2 क और ख)	95.31	1.60	46.77	−18.50	—27.05	16.00	37.83	128.51	63.25
4. सामान्य राजस्व को भुगतान	28.70	25.71	28.80	7.87	—6.47	22.36	16.03	52.27	26.06
5. अधिशेष (+) हानि (—) (3—4)	+66.61	27.31	+17.97	−26.37	—20.58	38.36	+21.80	+76.24	+37.19

दि फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड से निकलने वाले गंदे पानी से खेती को नुकसान

2803. **श्री वयालार रवि :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दि फर्टिलाइजर एण्ड केमीकल्स, त्रावनकोर लिमिटेड, आलवाई से निकलने वाला गंदा पानी जो नदी में गिरता है, आस पास के क्षेत्रों में खेती को नष्ट करता है जिसके परिणामस्वरूप किसानों को भारी नुकसान होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस गंदे पानी को साफ करने के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने हेतु कोई योजनायें बनाई हैं जिससे इस पानी में विषमान रसायनों की प्रतिशतता कम हो जाए ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) फैक्ट्री के अल्वाय एकक से निकलने वाले निस्राव के कारण आस-पास के क्षेत्र में फसल को हुई हानि का कोई विशेष मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है । तथापि केरल राज्य जल-प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप कम्पनी ने निस्राव योजना पर एक विस्तृत प्रायोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है ।

फरवरी, 1977 से फरवरी, 1978 के बीच पंजीकृत की गई कम्पनियां

2804. **श्री वयालर रवि :** क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1977 से फरवरी, 1978 की अवधि में कितनी नई कम्पनियां पंजीकृत की गई हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनमें से कितनी कम्पनियों को विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है ; और

(ग) कितनी कम्पनियों में सरकारी शेयर हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) फरवरी, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के मध्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, हिस्सों द्वारा सीमित 2548 कम्पनियों का पंजीकरण हुआ था । इन कम्पनियों का राज्य-अनुसार विसर्जन संलगन विवरण-पत्र में दिया गया है ।

इन कम्पनियों में से केवल पांच को विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ है ।

(ग) कम्पनियों का अधिकृत पूंजी सहित पंजीकरण होता है । इन कम्पनियों में सरकार द्वारा धारित हिस्से, यदि कोई हों, तो उनका सुनिश्चय, उनकी प्रदत्त पूंजी में वृद्धि किये जाने के पश्चात् ही किया जा सकता है । तथापि, फरवरी, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के मध्य में पंजीकृत 2548 कम्पनियों में से 35 सरकारी कम्पनियां थीं ।

विवरण

फरवरी, 1977 से जनवरी, 1978 तक की अवधि के मध्य, पंजीकृत, हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या का राज्य-अनुसार विसर्जन।

राज्य/संघ प्रशासित क्षेत्र	हिस्सों द्वारा सीमित कम्पनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	131
आसाम	32
बिहार	32
गुजरात	104
हरियाणा	12
हिमाचल प्रदेश	7
जम्मू एवं कश्मीर	9
कर्नाटक	163
केरल	73
मध्य प्रदेश	41
महाराष्ट्र	613
नागालैंड	1
उड़ीसा	36
पंजाब	49
राजस्थान	46
तामिलनाडू	167
उत्तर प्रदेश	156
पश्चिम बंगाल	455
चंडीगढ़	28
दिल्ली	355
गोवा, दमण एवं दीव	17
मणिपुर	2
मेघालय	4
पाण्डिचेरी	7
त्रिपुरा	1
अरुणाचल प्रदेश	7
योग	2548

आल इण्डिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन का अभ्यावेदन

2805. **श्री ए० के० राय:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के मदुरै डिवीजन के संपीड़ित रेलवे कर्मचारियों के मामले पर आल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसियेशन का दिनांक 11 जनवरी, 1978 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) और (ख) 8-8-77 को एक्सप्रेस गाड़ी को चलने से रोकने के लिए रेलपथ पर जिन रेल कर्मचारियों ने धरना दिया था उनके विरुद्ध राजकीय पुलिस द्वारा दायर मामले के संबंध में यह अभ्यावेदन है। यह मामला न्यायाधीन है। रेलवे के स्तर पर कोई कार्रवाई सम्भव नहीं है क्योंकि पुलिस मामले को वापिस लेना राज्य प्रशासन का विवेक है।

VIOLATION OF COMPANIES ACT, BY JAM TEXTILE MILLS, BOMBAY

2806. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the provisions of Company Law have been flouted by the Jam Textile Mills, Bombay and if so, whether Government propose to take action against the present Directors of the Mills;

(b) whether the present Directors have become the proprietors of the Mill by dislodging the former Directors through unlawful means; and

(c) if so, whether Government will have the entire matter investigated ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : (a) No Company under the name 'Jam Textile Mills' has been registered under the Companies Act 1956 in Maharashtra. However there is a company registered in Maharashtra under the name M/s Jam Manufacturing Company Limited, which is engaged in Textile business. In the case of that company, two instances of violations of provisions of Companies Act, 1956 have been noticed during the last 3 years. These are delay in filing (i) Form No. 32 dated 22-8-75 and (ii) Form No. 23 regarding Board Resolution passed on 5-9-77. Additional fee was imposed on the Company for both the defaults.

(b) & (c) According to the returns filed with the Registrar of Companies, Maharashtra, Bombay, there was a change in the shareholding pattern and change in the Board of Directors of the Company in November, 1976. The Department of Company Affairs have no information as to whether the change was brought about through unlawful means. No specific complaint regarding irregularities has come to the notice of the Government to warrant an investigation into the affairs of this Company.

पूर्वोत्तर रेलवे में अधिकारियों की सेवाएं बने रहना

2807. **श्री दयाराम शाक्य:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में ए० टी० एस० से जी० एम० तक के कितने अधिकारियों को उनकी नियुक्ति से लेकर इस अवधि तक पूर्वोत्तर रेलवे में बने रहने की अनुमति दी गई है अथवा थोड़ी सी अवधि के बाद वे पुन: वापिस आ गए हैं ; और

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे में इन अधिकारियों की सेवायें बनाए रखने की अनुमति देने के क्या कारण हैं जो गुटवाद, प्रान्तीयता, जातिवार भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और जिसके परिणाम-स्वरूप कर्मचारियों में रोष, असंतोष और कार्यकरण में बिगड़ती हुई स्थिति व्याप्त है जिससे इस रेलवे की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) अधिकारियों की एक स्थान पर तैनाती के लिए कोई निश्चित अवधि नहीं है और जब भी आवश्यक हो प्रशासनिक अपेक्षाओं को देखते हुए स्थानान्तरण किये जाते हैं। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि पूर्वोत्तर रेलवे पर बने रहने के कारण अधिकारियों में वर्गवाद, प्रान्तीयता की भावना है जो कि रेल हित के विरुद्ध हो। विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होने पर ही समुचित कार्रवाई की जा सकती है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार और यातायात का निर्बाध आवागमन

2808. **श्री आर० के० महालगी**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में इन दो देशों के बीच व्यापार और यातायात के निर्बाध आवागमन पर कोई समझौता हुआ था, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) अभी हाल में 26 से 29 दिसम्बर, 1977 को भारत और पाकिस्तान के रेलवे शिष्ट मंडलों की समन्वय बैठक इस्लामाबाद में हुई थी जिसमें रेल यातायात के संचलन की प्रक्रिया को सरल और तर्कसंगत बना दिया गया था ताकि दो देशों को पार्सलों और माल यातायात के संचलन की सुविधाएं मिल सकें।

मद्यसार का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना-ले जाना

2809. **श्री के० प्रधानी** : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत मद्यसार को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने को नियंत्रित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो मद्यसार के एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने-ले जाने पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं; और

(ग) क्या उत्पादन शुल्क के रिलीज आर्डरों के अभाव में उत्तर प्रदेश में भारी तादाद में मद्यसार का स्टाक अनबिका पड़ा है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) अल्कोहल का अधिक अल्कोहल वाले राज्य से कम अल्कोहल वाले राज्य में आबंटन केन्द्रीय शीरा बोर्ड

जिसकी अल्कोहल वर्ष के प्रारम्भ में वार्षिक बैठकें होती हैं, की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। अल्कोहल के लाने ले जाने पर नियंत्रण राज्य सरकारों द्वारा अपने उत्पादन शुल्क नियमों के अन्तर्गत रखा जाता है।

(ख) अल्कोहल का एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना ले जाना राज्यों में उत्पादन शुल्क प्राधिकरण के रिलीज आर्डरों, कई शुल्क/फीस आदि के अधीन होता है।

(ग) जी, नहीं।

पावर अल्कोहल की कमी

2810. **डा० सुशीला नायर:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पावर अल्कोहल के औद्योगिक उपयोग क्या हैं और क्या देश में पावर अल्कोहल की कमी है; और

(ख) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा): (क) पावर अल्कोहल (औद्योगिक अल्कोहल) का प्रयोग एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड, बूटानल, इथाइल एसिटेट, 2-इथाइल हेक्सनल तथा अन्य मदें जैसे संश्लिष्ट रबड़, पोलीइथाइलीन तथा पोलीस्ट्रीन जैसे रसायनों का निर्माण करने में लाया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग औषध तथा कीटनाशक औषधों के निर्माण के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है? देश में अल्कोहल की कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आसाम के तेल वाले क्षेत्रों में तेल का भंडार

2812. **श्री सरतकार:** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खोजे गए तेल भंडार की अनुमानित मात्रा के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि आसाम के तेल वाले क्षेत्रों में तेल की कमी हो गई है, यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तेल की कितनी कमी हुई है; और

(ग) तेल निकालने की वर्तमान दर से इन भंडारों के कितनी अवधि तक चलने की संभावना है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) असम क्षेत्र में, तेल भण्डार की अनुमानित मात्रा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इण्डिया लि० दोनों को मिलाकर लगभग 80 मि० मी० टन है। तथापि, यह अनुमान समय-समय पर अगले अनुसंधान कार्य/उत्खनन विकास तथा प्राप्त करने के सुधार के फलस्वरूप बदल भी सकता है।

(ख) अंतिम 5 वर्ष के दौरान तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने लगभग 4.49 मि० मी० कच्चे तेल का उत्पादन किया और आयल इंडिया लि० ने अपने तेल के क्षेत्रों से 15—48 मि० मी० टन का।

(ग) वर्तमान ज्ञान प्राप्त होने योग्य भण्डारों के आधार पर वर्तमान उपयोग की दर से 15—20 वर्ष तक चलते रहने की सम्भावना है।

VACANT POSTS OF L.D.C. IN NORTHERN RAILWAY

†2813. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3749 on the 13th December, 1977 regarding vacant posts of LDCs in Northern Railway and state the number of posts out of vacant posts of L.D.Cs in Northern Railway reserved for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the time by which these posts will be filled ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

CASE AGAINST RAILWAYS FILED BY EMPLOYEES

†2814. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the category-wise and department-wise number of railway employees of the various zones of the Railways who have filed suits against the Railways in the various courts at present; and

(b) the number of cases out of them which are less than three years old and those which are more than three years old and the number of cases out of them which have been filed by the various unions and the names of these unions ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रासायनिक उद्योगों के लिये कच्ची सामग्री

2815. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल की भूसी, धान की भूसी, जंगल के सूखे पत्ते तथा गन्ने की खोई जैसे कृषि-तलछट बड़ी उपयोगी कच्ची सामग्री है और रसायनिक उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री के रूप में इस्तेमाल किये जा सकते हैं ;

(ख) क्या सरकार इन कृषि-तलछटों का उपयोग करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने विभिन्न कृषि अवशिष्ट उत्पादों की वसूली के लिए स्वीकृति दे दी है। गन्ने की खोई/धान की भूसी/मक्की के डंठल से जूतों के निर्माण के लिए 6 एककों को मंजूरी दी गई है। कृषि-अवशिष्ट उत्पादों से कुछ अन्य मदों जैसे भूसी का तेल और एक्टिव कार्बन को भी बनाया जाता है।

पेट्रोल की कीमत में कमी

2816. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार की पेट्रोल की कीमत में कमी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पेट्रोल के लिए लेवी पद्धति लागू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1977 में देश में पेट्रोल की खपत में कितनी बचत हुई है; और

(च) पेट्रोल की खपत में कमी लाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पेट्रोल तुलनात्मक रूप में अत्यावश्यक पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है। आयातित अशोधित तेल की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए पैट्रोलियम उत्पाद की अत्यधिक खपत को कम करना आवश्यक है। इसके साथ ही पेट्रोल की कम खपत से उर्वरक और पेट्रोरसायन उद्योगों में प्रयोग में आने वाला नेप्था अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होगा।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) 1977-78 वर्ष में पेट्रोल की खपत 1972–73 वर्ष की पेट्रोल की खपत से 13 प्रतिशत कम हुई। पेट्रोल खपत की वृद्धि दर अन्य पैट्रोलियम उत्पादों के वृद्धि दर की तुलना में तकरीबन 1.5 से लेकर 2 प्रतिशत कम हुई।

(च) (i) पैट्रोल की खपत की मुख्यत: वित्तीय उपायों के माध्यम से नियंत्रित रखा गया है जिनमें अव्यवस्थित उपयोग के लिए किसी प्रोत्साहन की व्यवस्था नहीं है ? विपुल परिवहन प्रणालियों में प्रयुक्त ईंधनों के मूल्य तुलनात्मक रूप से सस्ती दरों पर तय किए जाते हैं।

(ii) कुछ ऐसे उपायों का परीक्षण किया गया है जिससे वायुयान ईंधन मिश्रण में सुधार हुआ है। जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर दहन और ईंधन मितव्यता हुई हैं। प्रीमियर कार में सुधरे हुए कारबुरेटर किट के लगा देन से प्रति लीटर लगभग 10 प्रतिशत अतिरिक्त मील दूरी में वृद्धि हुई है। बाजार में उपलब्ध अन्य उपायों का भी पैट्रोलियम संरक्षण कार्यकारी दल द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

रेल दुर्घटनाएं रोकने के नये उपाय

2817. **श्री दुर्गा चन्द**
श्री डी० डी० देसाई
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री श्याम सुन्दर गुप्त
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
: क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल मंत्रालय रेल दुर्घटनाएं रोकने के लिए नये उपाय कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) ये उपाय कब ग्रारम्भ किये जायेंगे; ग्रौर

(घ) उन उपायों पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जिन नये संरक्षा उपकरणों को उपयोग में लाये जाने का प्रस्ताव है वे हैं स्वचल चेतावनी प्रणाली, धुरा काउंटर तथा गर्द्ध बाक्स संसूचक।

(ग) चरणबद्ध तथा कार्यक्रमबद्ध ग्राधार पर।

(घ) इन उपकरणों की ग्रनुमानित लागत निम्न प्रकार होगी :—

1. स्वचल चेतावनी प्रणाली :

(क) इंजन उपस्कर 80,000 रु० प्रति रेल इंजन।

(ख) क्षेत्र उपस्कर 10,000 रु० प्रति स्टेशन (2 सेट)।

2. धुरा काउंटर 90,000 रु० प्रति सेट।

3. गर्म बाक्स संसूचक 500,000 रु० प्रति संस्थापना।

बम्बई हाई के लिये विदेशी फर्मों के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौतों पर पुर्नविचार

2818. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समझौते के हस्ताक्षर करने में भ्रष्ट ग्रारोप के कारण बम्बई हाई के लिए विदेशी फर्मों के साथ हस्ताक्षर किये गये समझौतों पर पुर्नविचार किया है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो किन-किन समझौतों पर पुर्नविचार किया गया है ग्रौर बम्बई हाई में ग्रशोधित तेल के उत्पादन के कार्यक्रम को जारी रखने के लिये ग्रागे क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन ग्रौर उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ग्रौर (ख) सी० एफ० डी० ग्रौर तेल एवं प्राकृतिक गैस ग्रायोग के बीच समझौते के सम्बन्ध में एक फौजदारी का केस चल रहा है। सी० बी० ग्राई० द्वारा केस की छान-बीन की जा रही है।

बम्बई हाई से कच्चे तेल के उत्पादन लगभग निर्धारित कार्यक्रम के ग्रनुसार चल रहा है।

तिरोड़ी ग्रौर तुमसा रोड के बीच एक रेलगाड़ी

2819. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व रेलवे पर तिरोड़ी ग्रौर तुमसा रोड के बीच केवल एक मिलीजुली रेलगाड़ी चलती है;

(ख) क्या जनता की यह मांग है कि इस गाड़ी को एक बार की बजाय जैसे कि ग्रब चलती है, दो बार चलाया जाये; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो कब से ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्माण आरक्षी पद

2820. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की निर्माण आरक्षी पद बनाने के बारे में क्या नीति है;

(ख) क्या उक्त पद श्रेणी चार के कर्मचारियों के लिये भी बनाये जाते हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त कितने पद बनाए गए हैं; और

(ङ) उक्त आरक्षी पदों पर कुल कितने कर्मचारी अभी स्थाई किये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निर्माण विभाग में प्रत्येक ग्रेड के अस्थाई अराजपत्रित पदों में से 40 प्रतिशत पदों का निर्माण रिजर्व के रूप में स्थाई रखा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 4700 से अधिक।

(ङ) जबकि अधिकांश कर्मचारियों को इन पदों पर स्थायी कर दिया गया है लेकिन कुछ रेलों पर कुछ कर्मचारियों द्वारा न्यायालयों में याचिकाएं दायर किये जाने के कारण पात्र कर्मचारियों को स्थाई करने की प्रक्रिया रोक दी गई है। अदालती मामलों को अंतिम रूप देने पर ही आगे की कारवाई की जा सकती है।

CONSULTATIVE/ADVISORY COMMITTEES FOR RAILWAY ZONES

2821. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to lay a statement showing :

(a) whether Consultative/Advisory Committees for various Railway Zones and Divisions have been constituted;

(b) if so, the names, addresses, etc., of the members of these committees of various divisions of Western Railway will be laid on the Table;

(c) the criteria followed in selecting these members; and

(d) in case the said committees have not been set up, when they are likely to be set up ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) The Railway Users' Consultative Committees at the Divisional and Zonal levels have been reconstituted for the period ending 31-12-1979 and 31-3-1980 respectively.

(b) A statement is attached.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1808/78]

(c) Nomination on these Committees is based on the principle of securing as wide a representation as practicable keeping in view the various identifiable and important groups of rail users.

(d) Does not arise.

STATEMENT

I. Divisional Railway Users' Consultative Committee, Bombay, Western Railway.

1. The Indian Merchants Chamber, Bombay.
2. The Bombay Chamber of Commerce, Bombay.
3. The Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Surat.
4. The Iron, Steel and Hardware Merchants & Manufacturers' Chamber of India, Bombay.
5. The Surat Art Silk Cloth Manufacturing Association, Surat.
6. The Southern Gujarat Fruit & Vegetable Growers Co-operative Associations Ltd., Valsad.
7. The Kutch Passengers' Association, Bombay.
8. The Passengers and Traffic Relief Association, Bombay.
9. Dr. C. J. Pandya, Sreenagar, Chandavarkar Lane. Borivili West, Bombay.
10. Shri Chandrakant Vora, 15, Janglanagar, Kapol Niwas, Jeetendra Road, Malad (East), Bombay.
11. Shri Ishwar Lal M. Mehta, 106, Santiniketan Society, Vadtal Devli Road, Surat.
12. Commissioner, Bombay Division, Bombay.
13. Collector, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa (Via Vapi).
14. The Supdt., Engineer (R&B) Circle, Vadodara.
15. Shri Thakorbhai Narottambhai Patel, M. L. A., Near Lal Bunglow, Athwa Lines, Surat.
16. Shri Ratan Singh Rajda, M.P. (Lok Sabha).
17. Capt. M. A. S. Golandaz, M.P. (Rajya Sabha).
18. A Member of State Legislature of Maharashtra.

अरकोणम में फ्लैश बट वेल्डिग संयंत्र के कर्मचारी

2822. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे के अरकोणम स्थित फ्लैश बट वेल्डिग संयंत्र में कोई ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनकी तीन वर्ष से अधिक की सेवा हो गई है लेकिन उन्हें स्थाई नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारी कितने हैं और उन्हें स्थाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) 87 नैमितिक मजदूर। चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में नियमित रूप से समाहित हो जाने के पश्चात् ही उनको स्थाई किया जा सकता है ।

(ग) नियमित किस्म के कुछ अस्थाई पदों का अब सृजन किया जा चुका है और उनमें से 38 मजदूरों को इन पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर दिया गया है। पदों के स्थाई हो जाने के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाएगा।

उत्तर और दक्षिण 24 परगना के बीच रेलगाड़ी सेवा आरम्भ करना

2823. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और दक्षिण 24 परगना के बीच चितपुर यार्ड होकर रेलगाड़ी सेवा आरम्भ करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निर्णय है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। प्रस्ताव यह है कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना को जोड़ने के लिये एक गाड़ी चलाई जाए जो सियालदह को छोड़ती हुई कांकुरगचिया कोई माल लाइन के रास्ते होकर जाए, न कि चितपुर यार्ड के रास्ते से।

(ख) कांकुरगचिया कोई माल लाइन के रास्ते उत्तर और दक्षिण 24 परगना के बीच एक सवारी गाड़ी चलाना संभव नहीं है, क्योंकि यह लाइन यात्री गाड़ियों के उपयुक्त नहीं है।

पंचकुटा-हल्दिया रेल लाइन का दोहरा किया जाना

2824. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन और अन्य उद्योगों के विकास को देखते हुए पंचकुटा रेल लाइन को दोहरा करने के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इस खंड की क्षमता पर्याप्त है। इसलिये, इस खंड पर दोहरी लाइन बिछाना आवश्यक नहीं है।

गोवा तथा अन्य स्थानों पर उच्च न्यायालयों की बैंचें स्थापित करना

2825. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में और उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित देश के कुछ अन्य भागों में उच्च न्यायालयों की बैंचे स्थापित करने का विनिश्चय किया है; और

(ख) देश में अन्य किन-किन स्थानों पर उच्च न्यायालयों की बैंचें स्थापित की जायेंगी?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) और (ख) ऐसा कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

उन्नाव रेलवे स्टेशन पर छात्र हिंसा

2826. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ से लगभग 60 किलोमीटर दूर उन्नाव रेलवे स्टेशन पर 16 फरवरी,

1978 को जी० आर० पी० पोस्ट पर छात्रों द्वारा पथराव में सरकारी रेलवे पुलिस के अधीक्षक सहित अनेक व्यक्ति आहत हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उसके कारण क्या थे और उत्तरदायी ठहराये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां, पुलिस अधीक्षक (रेलवे) लखनऊ सहित 6 व्यक्ति घायल हुए थे।

(ख) 16–2–1978 को एक मैजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक रेलवे लखनऊ, पुलिस उप-अधीक्षक उन्नाव, पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों तथा चल टिकट परीक्षकों ने अचलगंज रेलवे स्टेशन पर रायबरेली-कानपुर सवारी गाड़ी की जांच की थी और 27 व्यक्तियों जिनमें 5 छात्र और 2 अध्यापक थे, बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा था। अब अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के साथ बस और जीप में अचलगंज रेलवे स्टेशन से जा रहे थे, तब अचलगंज स्कूल के छात्रों ने बस और जीप पर पत्थर फेंके जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस अधीक्षक (रेलवे), पुलिस उप अधीक्षक, दो सिपाहियों तथा दो अन्य व्यक्तियों को मामूली चोटें आयीं। गिरफ्तार व्यक्तियों को लेकर यह दल उन्नाव की सरकारी रेलवे पुलिस चौकी पर पहुंचा। छात्रों और अध्यापकों की गिरफ्तारी का समाचार उन्नाव की शिक्षा संस्थाओं में फैल गया। बड़ी संख्या में छात्रों तथा स्थानीय नेताओं ने उन्नाव रेलवे स्टेशन और जी० आर० पी० की चौकी का घेराव किया तथा गिरफ्तार व्यक्तियों विशेषकर छात्रों और अध्यापकों को छोड़ देने की मांग की। क्रुद्ध भीड़ ने पत्थर फेंके और उन्नाव रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक सवारी गाड़ी के होज पाइपों को अलग कर दिया। बाद में छात्रों और अध्यापकों को निजी मुचलकों पर छोड़ दिया गया। शेष गिरफ्तार व्यक्तियों को भी रेलवे की देय राशि लेकर छोड़ दिया गया।

(ग) प्रकटतः, टिकट जांच कर्मचारियों, पुलिस तथा मजिस्ट्रेट द्वारा बिना टिकट यात्रा करने वाले छात्रों और अध्यापकों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई के कारण छात्र तथा अन्य व्यक्ति हिंसा के लिये भड़क उठे। उन्नाव की सरकारी रेलवे पुलिस ने 16–2–1978 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 353, 336 और 427 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है।

गाड़ियों की तोड़-फोड़ के बारे में धमकी

2827. श्री प्रसन्न भाई मेहता
श्री नरेन्द्र सिंह
श्री विजय कुमार मलहोत्रा
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री श्याम सुन्दर गुप्ता
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री मही लाल

: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को कुछ अज्ञात व्यक्तियों से उत्तरी क्षेत्र में रेल यातायात में गड़बड़ करने के बारे में धमकी भरे पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो न केवल उत्तरी क्षेत्र में अपितु देश भर में रेल सेवा में गड़बड़ी को रोकने की दृष्टि से सभी रेल लाइनों की चौकसी के लिये क्या उपाय किये जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इनकी रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

1. सारे देश में नाजुक खंडों में रेलवे सुरक्षा दल (11,000) और गैंगमैनों (14,000) द्वारा रेल पथ पर गश्त लगाने का काम शुरू किया गया है;
2. रेलवे सुरक्षा दल और गैंगमैनों द्वारा भेद्य खण्डों में रेल पथ की गश्त लगाने के अलावा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने नाजुक क्षेत्रों में रेल पथ की गश्त लगाने के लिये राज्य पुलिस कर्मचारी/होम गार्ड/ग्राम चौकीदारों को कहा है;
3. पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों ने ग्राम और लघु नगर गश्त अधिनियम, 1918 को लागू कर दिया है और ग्रामवासियों को रेलपथ की निगरानी करने को कहा है;
4. तोड़फोड़ के महत्वपूर्ण मामलों की संबंधित राज्यों की गुप्तचर विभाग के विशेष दस्तों द्वारा छानबीन की जा रही है;
5. राज्य सरकारों ने आसूचना मशीनरी भी तेज कर दी है। सभी छानबीन करने वाली आसूचना एजेंसियों से तथा आसूचना ब्यूरो में विशेष कक्ष (गृह मंत्रालय) के साथ निकट समन्वय रखा जाता है, सभी स्तरों पर उपलब्ध सूचना तुरन्त आदान-प्रदान की जाती है जिससे कि तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने तथा पता लगाने के समन्वित प्रयास किये जा सकें।

आसाम-अराकान बेसिन में तेल

2826. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को बम्बई हाई के बाद उत्तर-पूर्व में आसाम-अराकान बेसिन से पैट्रोलियम की कमी को पूरा करने की सबसे अधिक आशा है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है और इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या गुजरात के पुराने तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन कम होने लगा है;

(घ) क्या आसाम और अरुणाचल प्रदेश आगामी कुछ वर्षों में उत्पादन में स्थिरता बनाए रख पायेंगे; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या तेल की कमी के कारण भारत को होने वाली उक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए तेल सम्बन्धी उत्पादन के लिए वैकल्पिक स्थानों का पता लगाया गया है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) देश के विभिन्न बेसिनों से पैट्रोलियम आरक्षणों का एक संयुक्त इंडो-सोवियत दल द्वारा

किये गये पूर्वानुमानिक मूल्यांकन से यह संकेत मिला है कि असम-अराकान बेसिन में पैट्रोलियम आरक्षण के मिलने के अच्छे आसार हैं। ऊपरी असम घाटी में पर्याप्त तेल तथा गैस के आरक्षणों का पहले से पता लग चुका है। इसके अलावा अतिरिक्त आरक्षणों की खोज करने के लिये इन वर्तमान आरक्षणों के विकास कार्य और इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य में तीव्रता लायी जा रही है।

(ग) इन क्षेत्रों से पैट्रोलियम का उत्पादन योजनाबद्ध रूप से हो रहा है। तथापि उत्पादन की सुस्थित दर को बढ़ाने के लिये निम्न उत्पादन की योजना बनाई जा रही है।

(घ) पैट्रोलियम के वर्तमान उद्यम क्षेत्र असम में ही है। अरुणाचल प्रदेश में आयल इंडिया लिमि० द्वारा अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा रहा है। वर्तमानप्राप्ति योग्य आरक्षणों के आधार पर, ऐसा अनुमान है कि उत्पादन की वर्तमान दर को अगले 15–20 वर्षों तक बनाये रखा जा सकता है।

(ङ) जी, हां। भारत के वर्तमान विख्यात तेल/गैस वाले क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य आयोजित करने के अलावा, ओ० एन० जी० सी० अन्य भूमि पर स्थित तलछटी बेसिनों, उदाहरण के लिये हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा भारतीय क्षेत्रों में भी अन्वेषी व्यधन कार्य कर रहा है।

दक्षिण रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की संख्या

2829. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972 में और 31 दिसम्बर, 1977 तक, दक्षिण रेलवे के मैसूर, गुंटकल, मद्रास, मदुरे, ओलवास्कोट और त्रिचुरापाली डिवीजनों में, जिनमें वर्कशाप्स और कन्सट्रक्शन्स भी शामिल हैं, विभिन्न श्रेणियों में रेलवे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) दक्षिण रेलवे के सब डिवीजनों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी जिनकी प्रत्येक वर्ष भर्ती अथवा पदोन्नति की गई थी और उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की सूची दी जानी चाहिए; और

(ग) दक्षिण रेलवे के डिवीजनों में सब श्रेणियों में उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये निर्धारित आरक्षित रिक्त पदों पर सीधे भर्ती और पदोन्नति के माध्यम से क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एक प्राइवेट औषध फर्म द्वारा टैट्रासाइक्लीन का आयात तथा बिक्री

2830. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री एक प्राइवेट औषध फर्म द्वारा टैट्रासाइक्लीन का अनियमित आयात तथा बिक्री के बारे में 13 दिसम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3795 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैट्रासाइक्लीन सरकारी एजेंसी के माध्यम से आयात की जाने वाली मद है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में (दिनांक 2 जून, 1977 के इकानामिक टाइम्स) यह आरोप लगाया है कि एक प्राइवेट औषध फर्म को आई० डी० सी० एल० के कुछ अधिकारियों की सांठ-गांठ से 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य की टैट्रासाइक्लीन के आयात तथा बिक्री के लिए अनुमति दी गई थी।

(ग) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस आरोप की जांच-पड़ताल करने के लिये कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) मैसर्स मूलराज जी हुंगरसेय एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० बम्बई को राज्य व्यापार निगम को दिये गये 26,46,722 रुपये के मूल्य के लाइसेंस संख्या जी० टी० 2413365 दिनांक 2-3-1974 के संबंध में उन्हें जारी किये गये प्राधिकार पत्र की शर्तें (जो नीचे दिखाई गई हैं) के उल्लंघन में 18.4 मी० टन टैट्रासाइक्लीन हाइड्रोक्लोरीन जो कि एक सरणीबद्ध प्रपुंज औषध है का आयात तथा विक्रय करते हुए पाया गया है।

प्राधिकार-पत्र की शर्तें

(1) राज्य व्यापार निगम की स्वीकृति के पश्चात् सारणीबद्ध मदों के आयात के ठेके दिये जाने चाहिए।

(2) कि प्राधिकार-पत्र धारक अपने माल का विज्ञापन देते हुए कार्य नोटिस (बिजनिस नोटिस) जारी करेगा, तथा

(3) इस लाइसेंस पर आयातित वस्तुओं को समय-समय पर निर्धारित की गई नीति के अनुसार लाइसेंस में दिये गये निदेशों पर प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा वास्तविक उपभोक्ताओं को बेचा जाएगा।

(4) कि यह माल के वितरण के शीघ्र ही बाद वास्तविक उपभोक्ताओं को की गई सप्लाई के विवरण राज्य व्यापार निगम, आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक तथा वाणिज्य मंत्रालय को भेजेगा।

आवश्यक जांच के पश्चात् इस फर्म को धारा 4-1(1)(क) के अन्तर्गत अपराध तथा आयात (नियंत्रण) आदेश की धारा (छ) और उप-धारा (च) के उपबन्धों का उल्लंघन करने के कारण दोषी ठहराया गया था। तदनुसार इस फर्म पर 15 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है । इसके अलावा उन्हें लाइसेंस लेने से तथा 16-11-77 से 31-3-1978 और अप्रैल, 78 से मार्च 79 तक की लाइसेंस अवधि तक उसी प्रकार की किसी अन्य ऐजेंसी अथवा एस० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० द्वारा आयातित माल का आवंटन से वंचित किया गया है।

मालदा-बलूरघाट रेलवे लाइन का बिछाया जाना

2831. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल (पश्चिम बंगाल) की जनता सरकार से अनुरोध करती रही है कि मालदा-बलूरघाट हिली रेलवे लाइन बिछाने के लिये योजना बनाई जाए;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) जी हां।

(ख), (ग) और (घ) गजोल, बुनियादपुर, गंगारामपुर और रामपुर के रास्ते एकलाखी और बलूरघाट के बीच रेल सम्पर्क के लिये यातायात सर्वेक्षण 1972-73 में किया गया था। अनुमान है कि 90 कि० मी० (बड़ी लाइन) लम्बी लाइन के निर्माण पर 10.37 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इस लाइन के छठे वर्ष में इससे (—)2.27 प्रतिशत प्रतिफल मिलेगा। धन की अत्याधिक तंगी और यातायात की बहुत ही सीमित संभावनाओं के कारण, फिलहाल इस परियोजना का निर्माण शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदेशी औषध फर्मों का राष्ट्रीयकरण

2832. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री अमरसिंह वी० राठवा: क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी औषध फर्मों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी औषध फर्मों का राष्ट्रीयकरण करेगी; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क), (ख) और (ग) हाथी समिति की सभी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं और उन पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

आसाम तथा बर्मा तेल कम्पनियों द्वारा बाहर भेजी गई राशि

2833. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री अहमद एम० पटेल
श्री जी० एम० बनतवाला
श्री मुख्तियार सिंह मलिक: क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-76 से वर्षवार प्रत्येक शीर्षक अर्थात् लाभ, लाभांश, रायल्टी, तकनीकी शुल्क, ब्याज और प्रधान कार्यालय के खर्चों के अन्तर्गत आसाम तेल कम्पनी तथा बर्मा तेल कम्पनी द्वारा कुल कितनी राशि बाहर भेजी गई;

(ख) क्या आसाम तेल कम्पनी को सरकारी नियंत्रण में लेने और बर्मा तेल कम्पनी के 50 प्रतिशत शेयर होल्डिंग का अधिग्रहण करने संबंधी समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की राशि सहित उसकी शर्तें क्या हैं; और

(घ) इन कम्पनियों को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि किस आधार पर निर्धारित की गई है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख), (ग) और (घ) असम तेल कम्पनी को और आयल इण्डिया लिमिटेड में बर्मा आयल कम्पनी के हितों को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिये जिसमें भुगतान किये जाने वाले मुआवजे की राशि तथा भुगतान का ढंग सम्मिलित है, पर बातचीत चल रही है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा कार्बन-डायोक्साइड की बिक्री

2834. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अपने उपोत्पाद अर्थात् कार्बन डायोक्साइड केवल कुछ एकाधिकार गृहों को निम्न मूल्य पर बेचे जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस गैस के अन्य छोटे तथा मध्य स्तर के उत्पादकों की तुलना में भारतीय उर्वरक निगम के इस उपोत्पाद की लागत निकाली है; और

(ग) क्या सरकार को कार्बन डायोक्साइड के छोटे तथा मध्यम उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि सारी स्थिति का पुनरावलोकन करके भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा स्थापित एकाधिकार समाप्त किया जाए और अन्य छोटे उत्पादकों के साथ बराबरी लाने के लिये भारतीय उर्वरक निगम की आय बढ़ाने हेतु उसका मूल्य बढ़ाया जाए?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) एफ० सी० आई० ने वर्ष 1968 में मैसर्स बम्बई कार्बन डायोक्साइड गैस कारपोरेशन के साथ ट्राम्बे उर्वरक एकक से उपलब्ध फालतू /उपोत्पाद का उचित मूल्य पर विज्ञापन के जारी करने के पश्चात् कार्बन डायोक्साइड की सप्लाई के लिये एक समझौता किया था। समझौता 15 साल के लिये वैध है। कुछ समय पहले एक अभ्यावेदन प्राप्त किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया गया था कि एफ० सी० आई० द्वारा प्राप्त किये जा रहे मूल्य काफी कम हैं। परन्तु यह देखा गया है कि उस समय कारपोरेशन द्वारा स्वीकृत मूल्य कुछ अन्य उर्वरक तथा रसायन उत्पादकों द्वारा कार्बन डायोक्साइड गैस को सप्लाई करने के लिए बाद में निर्धारित मूल्यों के अनुरूप ही है।

साबरमती एक्सप्रेस का गुना-मगसी लाइन से होकर चलाया जाना

2835. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 अक्तूबर, 1977 से साबरमती एक्सप्रैस (वाराणसी-अहमदाबाद) गुना-मंगसी लाइन से होकर चलाने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग (बीना-गुना-उज्जैन) पर यह रेलगाड़ी चलाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास आयात स्थिति के दौरान सताए गये कर्मचारियों के अनिर्णीत पड़े मामले

2836. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान सताए गए कर्मचारियों के बहुत से मामले तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पास अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों की कुल संख्या कितनी थी तथा सरकार की नीति के अनुसार कितनों को वापस ले लिया गया है तथा कितने मामलों पर विचार किया जा रहा है तथा कितनों को रद्द कर दिया गया है तथा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) अनिर्णीत पड़े मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिये सरकार ने क्या कार्य-वाही की है?

पैट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में (ओ० एन० जी० सी०) आपात कालीन स्थिति के दौरान किसी भी कर्मचारी को सताये जाने का कोई मामला नहीं था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

INTRODUCTION OF JANATA TRAINS

†2837. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a Janata train has been introduced between Bombay and Calcutta with a view to provide relief to common people;

(b) whether there is also a proposal to introduce such Janata trains in other parts of the country;

(c) whether priority will be accorded to introduce such a Janata train between Amritsar and Calcutta *via* Moradabad; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes, a pair of Express trains viz. 59/60 Gitanjali Express having only second class cushioned accommodation has been introduced between Bombay VT and Howrah (Via Nagpur) on 4 days in the week.

(b) Yes.

(c) & (d) Introduction of an additional train between Calcutta and Amritsar it at present operationally not feasible for want of spare line capacity on sections enroute and of requisite terminal facilities at Howrah and Amritsar.

FACILITIES AT RAMPUR RAILWAY STATION

2838. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints in regard to the inconvenience being experienced at Rampur railway station in Moradabad Division by the people of the area;

(b) whether it is a fact that in the absence of an enquiry office, sheds over platform Nos. 2-3, proper facility for drinking water and railway reservation facility at Rampur Railway station, which are most essential for the passengers, difficulties are being faced by the passengers; and

(c) if so, the time by which the aforesaid difficulties would be removed ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) and (c). The enquiry work is attended to by the Ticket Collectors on duty between 10 and 17 hours and by the Assistant Station Master on duty between 17 hours and 10 hours.

2. The following quotas have been earmarked at Rampur station for meeting the reservation demands of passengers entraining from Rampur :—

	First class	Second class sleeper berths
(*i*) 375 UP Bareilly—Delhi Passenger	1	13
(*ii*) 158 Dn. Kashi Viswanath Exp. . .	1	3
(*iii*) 157 Up Kashi—Viswanath Exp.	1	3

3. Adequate drinking water arrangements exist at the station. One Water Cooler has also been provided on Platform No. 1.

4. Cover over platforms have been provided with an area of 529.56 Sq. Metres on platform No. 1, and 172.43 Sq. metres on platforms No. 2 and 3.

5. These arrangements are considered adequate for the present level of traffic.

PROPOSAL TO REPLACE AIR-CONDITIONED SLEEPER COACHES

†2839. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are considering a proposal to replace air-conditioned sleeper coaches by deluxe air-conditioned coaches with sitting accommodation;

(b) the number of coaches to be provided in the first phase; and

(c) the number of passengers to get facility under this scheme ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

DOUBLING OF RAILWAY LINE BETWEEN BAREILLY AND MURADABAD

†2840. SHRI RAJENDRA KUMAR SHARMA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there has been a single railway line between Bareilly and Muradabad Stations on the Northern Railway for years together ?

(b) whether Government propose to make it double, if so, by what time; and

8—145LSS/78

(c) when the construction will be undertaken thereon and the total expenditure likely to be incurred ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) No, as the capacity of the existing single line is adequate to meet the requirements of traffic.

(c) Does not arise.

रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार के मामले में तरजीह देना

2841. **श्री वसन्त साठे**
श्री के० रामामूर्ति } : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय रेल कर्मचारियों के बच्चों को रोजगार में तरजीह देने के प्रश्न पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या निर्णय किया गया है; और

(घ) क्या विधि/गृह मंत्रालयों के विचार प्राप्त किये गये हैं/मांगे गये हैं और तत्संबन्धी ब्योरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के आश्रितों/पुत्रों/बच्चों को, उनके परिवार की दीनहीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अनुकम्पा के आधार पर कुछ तरजीह देने के प्रस्ताव पर विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

माल की ढुलाई को धक्का

2842. **श्री वसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माल की ढुलाई को दिसम्बर, 1977 के दौरान और उसके बाद से धक्का पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारतीय रेलों के किन्ही जोनों में रोलिंग स्टाक की स्थिति बहुत गंभीर हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये हैं एवं उनके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक अवधि के दौरान किसी भी महीने में प्राप्त लदान की तुलना में दिसम्बर 1977 और जनवरी 1978 के दौरान प्रारम्भिक राजस्व उपार्जक यातायात का लदान अधिक था। मीटरिक टन किलोमीटर के हिसाब से जो कि रेलवे-उत्पादन की सही जानकारी परिलक्षित करता है, पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों की तुलना में, इन महीनों में अधिक सुधार हुआ है और जो अप्रैल 1977 से नवम्बर 1977 के किसी भी महीने से अधिक था।

दिल्ली से मेरठ तक शटल गाड़ियों के लिये दो मंजिले रेल डिब्बे

2843. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली से मेरठ, गाजियाबाद और रोहतक तक की शटल गाड़ियों में जल्दी ही दो मंजिलें रेल डिब्बे लगाये जायेंगे :

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त निर्णय को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

TRANSFER OF RAILWAY EMPLOYEES

2844. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway Service is an all India Service, however, excepting a few employees or some specific officers appointed in a zone also retire in the same zone;

(b) whether it is also a fact that appointment and retirement, both often take place in the same city though there are many promotions also;

(c) if so, the reasons for not giving benefit of their experience or officiency to other zones in spite of its being an All-India Service and the procedure prescribed in other Ministries therefor;

(d) the significance or objective of an All India Service from this point of view; and

(e) whether this does not create vested interests ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) to (e) Extant rules in respect of Railway Class I Services provide that ordinarily, a railway servant shall be employed throughout his service on the railway establishment to which he is posted on first appointment and shall have no claim as of right for transfer to another railway or railway establishment. In the existencies of service, it shall be open to the President to transfer the railway servant to any other department or railway or railway establishment including a project in or not India. Transfers of officers in all grades, are, however, made as and when necessary keeping in view the administrative requirements.

BONGAIGAON REFINERY

2845. DR. LAXMINARAYAN PANDEYA : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) when the Bongaigaon Refinery is likely to be commissioned and annual refining capacity thereof and total outlay involved therein; and

(b) what will be the set up of Petro-Chemical complex and also the expenditure involved therein ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) As per present assessment, the crude distillation unit of the Bongaigaon Refinery is expected to be commissioned in June 1978 and the remaining units in sequence by 1980.

The refinery shall have an installed throughput capacity of 1 million tonnes of Crude per annum.

The total cost of refinery on completion is estimated to be Rs. 8795.44 lakhs.

(b) The Petrochemical Complex will consist of the following Units :—

(1) *Xylenes* :

(i) Pretreater/Reformer

(ii) Fractionation Facilities

(iii) Parex

(iv) Isomerisation

(2) D.M.T. (Dimethylteraphthalate).

(3) Polyester Staple Fibre.

(4) Offsites.

The total cost of the petrochemical complex on completion is now estimated to be Rs. 10915.22 lakhs.

नई दिल्ली के साथ सीधी जुड़ी हुई राज्यों की राजधानियां

2846. **श्री डी० वी० चन्द्र गौडा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी सभी राज्यों की राजधानियों को सीधी रेल गाड़ियों के द्वारा नई दिल्ली के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस समय कितने राज्यों की राजधानियां सीधी गाड़ियों के द्वारा नई दिल्ली से जुड़ी हुई हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सभी राज्यों की राजधानियों के साथ दिल्ली/नई दिल्ली का सीधी गाड़ियों अथवा आमान-परिवर्तन वाली गाड़ियों द्वारा सीधी रेल संपर्क पहले से ही है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य की राजधानियों और दिल्ली/नई दिल्ली के बीच सीधी यात्रा सुविधाओं का विवरण:--

राज्य का नाम	मुख्यालय
I. सीधी गाड़ियों द्वारा	
1. आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2. बिहार	पटना
3. जम्मू और कश्मीर	जम्मू शरदकालीन राजधानी
4. कर्नाटक	बेंगलूर
5. केरल	तिरुवनन्तपुरम
6. मध्य प्रदेश	भोपाल
7. महाराष्ट्र	बम्बई
8. उड़ीसा	भुवनेश्वर
9. तमिलनाडु	मद्रास
10. उत्तर प्रदेश	लखनऊ

राज्य का नाम	मुख्यालय
11. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता
12. गुजरात	गांधीनगर (अहमदाबाद)
13. हरियाणा	चंडीगढ़
14. पंजाब	चंडीगढ़
15. राजस्थान	जयपुर

II. आमान परिवर्तन वाली गाड़ियों से जुड़ा हुआ

1. असम	दीसपुर (गुहाटी)
2. हिमाचल प्रदेश	शिमला

III. रेल एवं सड़क सेवाओं से जुड़ा हुआ

राज्य का नाम	मुख्यालय	रेल हैड
1. जम्मू और कश्मीर	श्री नगर (ग्रीष्मकालीन राजधानी)	जम्मू तवी
2. मेघालय	शिलांग	गुहाटी
3. मणिपुर	इम्फाल	दीमापुर
4. नागालैंड	कोहिमा	दीमापुर
5. त्रिपुरा	अगरतला	धर्मानगर
6. सिक्कम	गंगतोक	सिलिगुडी/न्यू जलपाईगुडी

NEW TECHNIQUES FOR EXPLORATION OF OIL

2847. SHRI RAMJI LAL SUMAN : Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the new techniques adopted by Government for exploration of underground oil;

(b) efforts made by the present Government to make India self-reliant in oil; and

(c) how for success has been achieved in drilling underground oil ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Use of modern digital seismic units for seismic surveys, sophisticated computer system (IBM-370/145) for processing of seismic data and mathematical modelling of reservoirs, drilling deep wells with high quality drilling rigs and adoption of improved recovery methods are some of the new techniques adopted for exploration/ recovery of oil.

(b) Apart from intensifying geological and geophysical surveys and exploratory drilling, the development of discoveries is also being expedited. Production of indigenous crude oil which was 7.2 million tonnes per annum at the end of the Fourth Five Year Plan is expected to go up to over 12 million tonnes per annum in 1978-79.

(c) Oil and gas fields have been established in the two known on shore petroleum bearing provinces of India, namely, Cambay basin and Assam-Arakan basin and in the continental shelf off the West Coast.

हिंसात्मक कार्रवाई के कारण रेल संपत्ति को हुई क्षति

2848. **श्री प्रद्युम्न बाल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1977-78 में 28 फरवरी, 1978 तक विद्यार्थियों सहित जनता द्वारा हिंसात्मक कार्यवाही करने के कारण रेल के डिब्बों और रेलवे के अन्य सम्पति को हुई क्षति से सरकार को कितना नुकसान हुआ;

(ख) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या इन व्यक्तियों द्वारा रेल सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के कारणों का पता लगाने के लिये जांच की गई थी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

SHIFTING OF HEAD OFFICES OF SINDRI AND BARAUNI FACTORY

2849. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government have issued orders for shifting the head offices of Sindri Fertilizer Factory and Barauni fertilizer factory;

(b) if so, the reasons therefor and if not, whether Government will give an assurance not to shift it from there; and

(c) the percentage of Class-I, Class-II, Class-III and Class-IV employees in both the factories who belong to Bihar ?

THE MINISTER OF STATE FOR PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESWAR MISHRA) : (a) and (b) Sindri Fertilizer factory and Barauni Fertilizer Factory are presently units of the Fertilizer Corporation of India. Consequent on the re-organisation of the Fertilizer Corporation of India, while Sindri Factory will continue with the FCI, the Barauni Unit will be a part of Hindustan Fertilizer Corporation. The head offices of both FCI and HFC will be initially located at Delhi. The question of their final locations will be decided on receipt of the recommendation of the Working Group appointed by the Government to sort out these and allied question.

(c) A statement giving the required information is attached.

STATEMENT

Statement showing the percentage of Class I, II, III & IV Employees in Sindri and Barauni Factories who belong to Bihar as on 31-12-1977

SINDRI			BARAUNI		
Class	Total men in position	Persons belonging to Bihar	Class	Total men in position	Persons belonging to Bihar
I	425	148 (34·82)	I	162	78 (48·15)
II	344	129 (37·5)	II	139	82 (59·00)
III	5816	3918 (67·36)	III	920	820 (89·13)
IV	1440	1398 (97·08)	IV	232	226 (97·41)
TOTAL:	8025	5593 (69·69)	TOTAL:	1453	1206 (83·00)

NOTE : Figures in bracket denote percentage of employees belonging to Bihar in the respective Classes.

LATE RUNNING OF TRAINS ON KIUL BARHARWA-SAHIB GANJ LOOP LINE

†2850. DR. RAMJI SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether one of the main reasons for the late running of trains on the Kiul Barharwa-Sahib Ganj loop line is that there is only a single railway track there;

(b) whether, in addition to passenger and goods trains the trains carrying the Jamalpur factory workers from Monghyr Kajra and Sultanganj up and down also operate on the same railway line;

(c) whether Government propose to double these track to avoid late running of trains; and

(d) if so, by what time and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No.

(b) Yes.

(c) and (d) An Engineering-*cum*-Traffic survey for augmentation of sectional capacities including doubling between Kiul and Bhagalpur and a traffic survey between Bhagalpur and Barharwa is in progress. A decision can be taken only when the survey report is submitted requirements.

नामरूप उर्वरक संयंत्र के लिये ब्रिटिश अनुदान का उपयोग

2851. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नामरूप उर्वरक संयंत्र के विस्तार पर एक करोड़ डालर का ब्रिटिश अनुदान खर्च करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या उस अनुदान के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) जी, हां। यह प्रस्ताव है असम में (प्रस्तावित स्थान नामरूप) गैस पर आधारित एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने में लगने वाली विदेशी मुद्रा के एक भाग को पूरा करने के लिये यू० के० से कुछ ऋण प्राप्त किया जाय। यू० के० के विदेश विकास मंत्रालय से एक उर्वरक मूल्यांकन दल भी हाल ही में हमारे देश में आया था और उसने प्रस्तावित प्रायोजना का मूल्यांकन किया। तथापि यू० के० के विदेश विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित ऋण के ब्यौरों पर अन्तिम रूप से निर्णय नहीं लिया गया है।

कम्पनी कानून में संशोधन के लिये बिहार के राज्य मंत्री से विचार-विमर्श

2852. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयला तथा खनिज अयस्कों के मुख्य कार्यालय को बिहार में ही बनाये रखने का बिहार सरकार की मांग के बारे म उन्होंने कम्पनी कानून में

संशोधन करने के लिये बिहार के खनन तथा प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री से विचार विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) कुछ समय पूर्व चर्चा के दौरान बिहार राज्य मंत्री द्वारा इस विषय का उल्लेख किया गया था। उन्हें स्पष्ट किया गया था कि कम्पनियों को अपनी पसंद के स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है तथा, यदि इस बाबत बिहार सरकार की कोई समस्यायें हैं, तो उक्त विषय की परीक्षा की जा सकती है।

स्वदेशी काटन मिल्स के नये निदेशकों की नियुक्ति के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश

2853. **श्री मोहन लाल पिपिल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के बोर्ड में श्री बी० एम० कौल अध्यक्षता में कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा नियुक्त नये निदेशकों के कार्यों पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की है; और

(ग) सरकार ने स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या अग्रेतर कार्यवाही की अथवा कर रही है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) हां, श्रीमानजी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसर्स स्वदेशी काटन मिल्स कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड में श्री बी० एम० कौल को निदेशक के पद पर नियुक्त करते हुए उनकी प्रधानता में सात नामितों की नियुक्ति उन अपने तीन नामितों के सम्बन्ध में, जो निदेशक मंडल की बैठकों में आमन्त्रित किये जायेंगे किन्तु उनको मत देने की अनुमति नहीं दी जायेगी, को छोड़कर, नियुक्ति करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा 17-12-77 को पारित आदेश के परिचालन को रोकते हुए 18-1-78 को आदेश पारित किया है।

(ख) और (ग) संविधान के अनुच्छेद 136 के अन्तर्गत अपील के लिये विशेष अनुमति की याचिका, उच्च न्यायालय के अपील के आदेश के संचालन के लिये, रोक-आवेदन पत्र सहित 10 मार्च, 1978 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमान

2854. **श्री आर० कोलनथाइवेलू : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनसंख्या में हुई नवीनतम वृद्धि, आदि के आधार पर निर्वाचन केन्द्रों के परिसीमन की स्थिति क्या है;

(ख) किसी निर्वाचन क्षेत्र को तीन अथवसा उससे अधिक कार्यकाल के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाये रखने के लिये मानदण्ड क्या हैं; और

(ग) किसी निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र बनाने तथा उसे एक साधारण निर्वाचन क्षेत्र में बदलने का आधार क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 के अधीन यह व्यवस्था है कि जब तक वर्ष 2000 के पश्चात् की गई प्रथम जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिये जाते हैं तब तक लोक सभा में राज्यों को स्थानों के आबंटन का पुनः समायोजन करना या प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या का पुनः समायोजन करना और उन अनुच्छेदों के अधीन प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन करना आवश्यक नहीं होगा।

(ख) और (ग) निर्वाचन क्षेत्रों का, यथास्थिति, आरक्षण या अनारक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के और इस विषय पर संसद द्वारा समय समय पर पारित अन्य विधियों की उपबन्धों के अधीन किया जाता है।

VARANASI LOCO SHED

†2855. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there are certain employees in the Varanasi Loco Shed on the N.E. Railway who are either not doing any work or are doing personal work of the higher officers and are drawing their salaries; and

(b) if so, the names of the officer who is responsible for causing loss of about rupees fifty thousands in this way to Government annually ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) A few cases of the running and maintenance staff attached to Varanasi Loco Shed of N.E. Railway not turning up for duty and/or not doing their allotted work properly or on time have occurred in the recent past. The delinquent employees have been taken up with departmentally. No case of any employee of this shed doing personal work of the railway officers has, however, come to notice.

कोयम्बतूर से ऊटी तक रेलवे का आधुनिकीकरण

2856. **श्री ए० मुरुगेसन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोयम्बतूर से पहाड़ों की रानी, ऊटी तक रेलवे का आधुनिकीकरण करने का है; और

(ख) क्या वर्तमान रेलवे इंजन के स्थान पर जो 100 वर्ष से अधिक पुराना है, डीजल इंजन लगाया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) मेटुलपायम–उटकमंड खण्ड पर अब भी 12 'एक्स' श्रेणी के भाप इंजन चल रहे हैं। इनमें से 7 इंजन 53 से 58 वर्ष पुराने हैं और शेष पांच 25 से 26 वर्ष पुराने हैं। इन इंजनों को डीजल रेल इंजनों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

VACATION OF GOVERNMENT ACCOMMODATION BY TRANSFERRED OFFICERS

†2857. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the railway officers do not vacate the Government accommodation at the time of their transfer and their children continue to study there, while the officers use inspection coaches or officers' rest houses at their new places of posting for the purposes of accommodation and the expenses therefor are borne by the office, which is misuse of Government property and is against the rules; and

(b) if so, the action being taken by the Government in this connection and the amount realised from the officers on this account who have been transferred ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) and (b) Under the Rules railway officers transferred from one place to another are eligible to retain Railway quarters at former station of posting on payment of normal rent for a period of two months and penal rent for another two months. In the event of any body requesting for temporary allotment of a rest house at the new place of posting, subject to its availability, he is allotted one on payment of the usual charges. Inspection carriages are primarily meant for use of officers on official tour and as such they are not required to pay for occupation on duty. Only in rare cases when Inspection carriage is spare, it is allotted to a railway official for temporary use for residential purposes on condition that it should be made available at short notice for tour purposes.

ALLOTMENT OF QUARTER IN IZATNAGAR DIVISION

†2858. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the employees of higher grade in Izatnagar Division of N.E. Railway have got allotted to themselves more than one quarter in the type below their entitlement and no distinction has been made between the new and old quarters in the process;

(b) the reasons for these irregularities and the action being taken by Government against the said employees; and

(c) whether Government would ensure that only one quarter is allotted to an employee, as per the Central Government rules in this regard and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) No Railway employee was allotted more than one quarter in Izatnagar Division.

(b) and (c) Even under the Railway Rules, a Railway employee is eligible for allotment of only one quarter. If any Railway employee unauthorisedly occupies a Railway quarter at any place, he is liable for action as per Rules.

भारतीय उर्वरक निगम, दुर्गापुर द्वारा प्रदूषित जल छोड़ने के कारण धान की फसल को नुकसान

2859. **श्री रोबिन सेन :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय उर्वरक निगम, दुर्गापुर द्वारा जो प्रदूषित जल छोड़ा जाता है वह खेतों से होकर गुजरता है जिससे 1976 और 1977 में धान की फसल को भारी नुकसान हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसानों को कोई मुआवजा दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को मुआवजा देने के प्रश्न पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आसनसोल तक के क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करना तथा ई० एम० यू० कोचों का वहां तक ले जाना

2860. **श्री रोबिन सेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसनसोल तक के क्षेत्र को उपनगरीय क्षेत्र घोषित करने तथा ई० एम० यू० कोचों को वहां तक ले जाने के आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इन गाड़ियों में भारी भीड़ होने के कारण जनता को अत्याधिक परेशानी हो रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र की जनता रेल सेवा को वहां तक बढ़ाने के मामले में रेलवे के साथ हर प्रकार का सहयोग करने को राजी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) 8 जोड़ी रुकने वाली गाड़ियों और मेल एक्सप्रैस सहित, हावड़ा-आसनसोल-बर्दवान खण्ड इस समय 26 जोड़ी गाड़ियों द्वारा सेवित है। यातायात औचित्य के अलावा, स्थाई संरचनाओं के ढांचे में पैमाने पर परिवर्तन की अपेक्षा, रेलपथ को घुमाने, आसनसोल आदि पर अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करने के कारण बिजली गाड़ियों का चलाया जाना सम्भव नहीं है। आसनसोल तक उपनगरीय क्षेत्र का विस्तार व्यावहारिक नहीं है फिर भी, इस खण्ड पर यात्रियों की सुवधाओं में वृद्धि करने के लिये, 1-4-78 से आसनसोल और बर्दवान के बीच एक जोड़ी अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

भेरामाड़ा (बंगला देश) तथा सन्थिया (पश्चिम बंगाल) के बीच रेलवे लाईन

2861. **श्री शशांक शेखर सान्याल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें मालूम है कि स्वाधीनता दिवस से बहुत पूर्व (ब्रिटिश शासन काल में) भेरामाड़ा (जो अब बंगला देश में है) तथा सन्थिया (पश्चिम बंगाल) के बीच एक रेलवे सेक्शन की योजना बनाई गई थी तथा उसका नक्शा तैयार किया गया था;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल में नाडिया के शिकारपुर ठीक बंगलादेश की सीमा पर स्थित है; और

(ग) क्या सरकार का विचार एक लम्बे समय से अनुभव की जा रही यातायात समस्या को हल करने के उद्देश्य से उस योजना को पुनर्जीवित करने की वाँछनीयता पर विचार करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि शिकारपुर के रास्ते सन्थिया और भेरामाड़ा के बीच एक नई रेल लाइन के निर्माण के लिये अतीत में कोई प्रस्ताव था और इस लाइन के निर्माण के लिये इस समय भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि धन बहुत ही सीमित मात्रा में उपलब्ध है।

पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान प्राप्त शिकायतें

2862. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान सरकार को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं;

(ख) उनके बारे में मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) संभवत: माननीय सदस्य मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों की बाबत प्राप्त हुई शिकायतों के सम्बन्ध में जानकरी प्राप्त करना चाहते हैं। इस बारे में जानकारी संकलित की जा रही है और शीघ्र ही सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

DEMAND FOR DIRECT TRAINS FROM NAJIBABAD AND BIJNOR TO DELHI AND LUCKNOW

†2863. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether he has received several representations from the M.P. and other representatives of the people in which demands has been made to provide direct trains for passengers from administrative headquarters like Najibabad and Bijnor in Northern Railway to Delhi and Lucknow: and

(b) if so, the action taken so far on these representations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Introduction of any train between Najibabad/Bijnor on the one hand and Delhi and Lucknow on the other is at present operationally not feasible for want of spare line capacity enroute and due to inadequate terminal facilities at the terminals.

EXPLORATION OF PETROL AND GAS IN DESERT AREAS IN RAJASTHAN

2864. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the achievement made so far in regard to the work carried on to explore petrol and gas in desert areas in Rajasthan; and

(b) Government's scheme to accelerate this work ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICAL AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Geological and geophysical work in Rajasthan is being carried out by the ONGC since 1956 and in the basis of the data obtained, 16 deep and 1 structural

wells have been drilled in Rajasthan area so far by the ONGC. Except for the wells drilled at Manherra Tibba and Bhuana, the wells drilled on the other structures have proved to be dry. The small quantity of gas discovered at Manherra Tibba does not admit of any commercial utilisation in view of its high nitrogen content. Some gas shows obtained in Bhuana were also of unfavourable composition.

(b) In view of the results of the exploratory drilling conducted in Rajasthan so far, the ONGC has decided to undertake further data acquisition by additional geological and geophysical surveys.

उर्वरक एककों में कैप्टिव विद्युत् संयंत्र

2865. **श्री एस० ग्रार० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने उर्वरक निर्माता एककों में कैप्टिव विद्युत सन्यंत्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव अन्तिम रूप से तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) इसके किन-किन एककों को चुना गया हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शुरू की गई है तथा ये एकक कब तक चालू कर दिये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं तो इन प्रस्तावों को अन्तिम रूप से तैयार करने में क्या कठिनाइयां आ रही हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के ट्राम्बे, गोरखपुर तथा दुर्गापुर एककों में कैप्टिव विद्युत जेनरेशन सुविधाओं की स्थापना के लिये स्वीकृति दी गई है। इन सुविधाओं की स्थापना सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है तथा उनके निम्न प्रकार से चालू होने की आशा है :—

1. ट्राम्बे—मार्च, 1979
2. गोरखपुर—दिसम्बर 1980
3. दुर्गापुर—दिसम्बर 1980।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण

2866. **श्री एस० ग्रार० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री सिन्दरी संयंत्र के आधुनिकीकरण के पूरे होने की लागत और समय के बारे में 21 जून 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1262 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिन्दरी उर्वरक संयंत्र का आधुनिकीकरण पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के बाद कितना उत्पादन हुआ और क्या उक्त उत्पादन आशा के अनुसार रहा; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) सिन्दरी, आधुनिकीकरण परियोजना का यांत्रिक रूप से सम्पन्न होने की भौतिक तिथि नवम्बर, 1977

थी तथा वर्तमान चिह्न हैं कि परियोजना सफाई में विलम्ब, वायरों के निर्माण तथा चालू करने में विलम्ब तथा स्वदेशी निर्माताओं द्वारा कम्प्रेसरों की सप्लाई में विलम्ब के कारण लगभग 20 सप्ताह निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है।

रेल यातायात जांच समिति

2867. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल यातायात जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वह अपना कार्य कब तक पूरा कर लेगी और अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय रेल दर जांच समिति से है।

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आशा है, यह समिति दो वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। आवश्यक हुआ और सरकार चाहेगी तो यह समिति अन्तरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकती है।

बिना चौकीदार के रेलवे फाटक

2868. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर खण्डवा और टाकलथाड रेलवे स्टेशनों के बीच सब रेलवे फाटक चौकीदार रहित हैं;

(ख) क्या यह भी सच नहीं है कि उक्त सब रेलवे फाटक 24 घंटे बन्द रहते हैं और इसलिये यातायात बन्द रहता है अतः सड़क यातायात में बड़ी कठिनाई होती है; और

(ग) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय उक्त रेलवे फाटकों पर चौकीदारों की व्यवस्था करने पर विचार करेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं। खण्डवा और तुकईथाड के बीच चौकीदार वाले 11 समपार हैं।

(ख) जी नहीं। गाड़ियों के गुजर जाने के बाद जब भी आवश्यक होता है, चौकीदार वाले समपार यातायात के लिये खोल दिये जाते हैं। बिना चौकीदार वाले समपार सड़क यातायात के लिये सदा खुले रहते हैं क्योंकि वहां कोई फाटक या बैरियर नहीं होते।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बरहानपुर और भोपाल के बीच कम गाड़ियां चलना

2869. **श्री परमानन्द गोविन्दजी वाला :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे पर बुरहानपुर और भोपाल के बीच कम गाड़ियां चलने के कारण नेपानगर, बिंड और हर्षेड के निवासियों के लिये भोपाल जाने के लिये अमृतसर एक्सप्रैस के अतिरिक्त और कोई गाड़ी नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे मंत्रालय भुसावल से नई दिल्ली के बीच एक नई गाड़ी चलाने पर विचार कर रही है जिससे मध्य प्रदेश राज्य की बड़ी संख्या में जनता को अधिक यात्रा सुविधायें उपलब्ध हो सकें?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) नेपानगर/बीर/हरसूद और भोपाल के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये 57 डाउन 58 अप दादर अमृतसर एक्सप्रैस गाड़ियों की व्यवस्था से सीधी गाड़ियों की सुविधा सुलभ है। इसके अलावा ये यात्री अपनी सुविधा के अनुसार इटारसी पर गाड़ी बदल कर मेल लेने वाली गाड़ियों का भी लाभ उठा सकते हैं।

(ख) मार्गवर्ती खण्डों में अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी और नई दिल्ली/दिल्ली स्टेशनों पर अपेक्षित टर्मीनल सुविधाओं के न होने के कारण परिचालनिक दृष्टि से भुसावल और नई दिल्ली के बीच एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाना व्यावहारिक नहीं हैं।

दो मान्यता प्राप्त संघों द्वारा उठाई गई समस्याएं

2870. **श्री शिव नारायण सरसूनिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे कर्मचारियों के दो मान्यताप्राप्त संघों अर्थात् ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० द्वारा मार्च, 1977 के बाद हुई पी० एच० एम० की बैठकों में राष्ट्रीय (रेलवे मंत्रालय), जोनल और डिवीजनल स्तर की अलग-अलग कुल कितनी समस्यायें उठाई गई;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में से कितनी समस्यायें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित थीं;

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) में कितने मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुरोधों को निपटाया गया और क्या-क्या निर्णय लिये गये; और

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में कितने मामलों में निर्णय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में रहे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गंधक की तेजाब की कमी

2871. **श्री चित्त बसु :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में गंधक की तेजाब की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सप्लाई बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) वर्ष 1977 के उत्तरार्ध में पूर्वी क्षेत्र के लघु उद्योग क्षेत्र से सल्फूरिक एसिड की कमी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त किये गये थे। उपभोगकर्ताओं तथा उत्पादकों से परामर्श करने के पश्चात् सरकार ने उत्पादन करने वाली कम्पनियों से अपनी सप्लाई को बढ़ाने के लिये अनुरोध किया जिससे कमी दूर हो जाये।

कम्पनियों के बड़े अधिकारियों और व्यापारियों को मिलने वाले परिलब्धियां

2872. **श्री पी० जी मावलंकर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के बड़े अधिकारियों और व्यापारियों को मिलने वाले परिलब्धियों में कमी करने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं;

ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की यदि कोई कमी की गई है तो उसे सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों और निगमों के बड़े अधिकारियों के मामले में भी लागू किया जा रहा है और यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) से (ग) सरकार ने श्री भूतलिंगम की अध्यक्षता में मजदूरी, आमदनी और कीमतों पर एक अध्ययन मण्डल नियुक्त किया है। अध्ययन मण्डल की रिपोर्ट मिलने पर निदेशकों के पारिश्रमिक और परि-लब्धियों आदि के प्रश्न का पुनरीक्षण किया जायेगा।

जहां तक सार्वजनिक उद्यमों का सम्बन्ध है परिलब्धि समेत प्रबन्धकों के वेतन सरकार द्वारा पहले ही से निरन्तर पुनरीक्षण के अन्तर्गत है। हाल के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक उद्यमों को अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में किसी प्रकार की आम वृद्धि करने के पूर्व सरकार से स्वीकृति लेनी होती है। इन उपक्रमों में शीर्ष पदों, अर्थात् अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशकों और दूसरे कार्यकारी निदेशकों के पदों पर आसीन व्यक्तियों के पारिश्रमिक सरकार द्वारा हर मामले के अनुसार अलग-अलग आधार पर तय किये जाते हैं।

रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षा-कक्ष की सुविधाएं

2873. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षा-कक्षों की सुविधायें, विशेषकर दूसरी श्रेणी के यात्रियों के लिये, अप्रर्याप्त और असन्तोषजनक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्थिति का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) :

(क) से (ग) भारतीय रेलों के सभी नियमित स्टेशनों पर दूसरे दर्जे के यात्रियों के लिये प्रतीक्षालयों की व्यवस्था करना आधारभूत सुविधाओं में से एक है । इस सुविधा का विस्तार करना/इसमें सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यक होता है इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। ऐसे निर्माण कार्यों को धन की उपलब्धता के अनुसार रेल उपयोगकर्ता सुविधा समिति के अनुमोदन से रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाता है।

न्यायिक अधिकारियों के लिए सुविधाएं

2874 **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि:

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश भर के न्यायिक अधिकारियों तथा कार्यालयों को मूलभूत भौतिक सुख सुविधाओं सहित अनेक न्यूनतम सुविधाओं तथा सहूलियतों से भी वंचित रखा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निराशाजनक स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और इस सारी व्यवस्था को हर स्थान पर आवश्यक मूलभूत सुख सुविधायें कब तक प्राप्त हो जाने की आशा है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क), (ख) और (ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों के लिये कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र

2875. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे कर्मचारियों के लिये कर्मचारी प्रशिक्षण कालेज कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उक्त कालेज और/अथवा प्रशिक्षण केन्द्र केवल रेलवे अधिकारियों और वरिष्ठ कर्मचारियों की आवश्यकतायें पूरी करते हैं अथवा क्या उक्त प्रशिक्षण कालेज/केन्द्र सब श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये समान रूप से उपलब्ध हैं; और

(घ) वर्ष 1975, 1976 और 1977 में इस बारे में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) केवल एक प्रशिक्षण कालेज अर्थात् बड़ोदरा में रेलवे स्टाफ कालेज कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त 3 रेलवे प्रशिक्षण संस्थान और 160 प्रशिक्षण स्कूल/केन्द्र पूरे देश में फैले हुए हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है ((अनुबन्ध-I)

(ग) एक विवरण संलग्न है । (अनुबन्ध–II) **[ग्रंथालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1809/78]**

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

USE OF HINDI WORKING EMPLOYEES IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS

2876. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the total number of sections in his Ministry/Department and the number out of them where more than 80% employees are Hindi knowing;

(b) the total number of sections where noting and drafting are done in Hindi and the reasons for not doing so in other sections; and

(c) whether clear orders have been issued to all the sections to do noting and drafting in Hindi and if not the reasons therefor ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHAGUNA) : (a) The number of sections in the Ministry is 48 and in 41 sections more than 80% employees are Hindi knowing.

(b) Only in the two Hindi sections all noting and drafting are done in Hindi. In other sections, a few employees occasionally do noting and drafting in Hindi. The work of this Ministry is of a technical nature and most of the employees do not have adequate working knowledge of Hindi for using Hindi for noting and drafting. The present instructions permit use of English for such purposes.

(c) Instructions have been issued to all the sections to comply with the policy of the Government in this regard.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1963

2877. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Section 3(3) of Official Language Act, 1963 is being fully implemented in his Ministry;

(b) if so, the total number of general orders, circulars, notices, tender permits issued during the last six months of 1977 and the number out of them of such orders etc. issued in Hindi alongwith English; and

(c) if the said section is not being implemented fully the reasons thereof and the steps being taken to implement it ?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHAGUNA) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the requisite information is laid on the Table of the Sabha.

(c) Does not arise.

STATEMENT

(b) The requisite information is reproduced below :—

Sl. No.	Particulars of the general orders	Total No. of General Orders issued during the last six months of 1977	No. of General orders issued in English only	No. of General orders issued in Hindi as well as in English
1	2	3	4	5
1.	General Orders	102	—	102
2.	Circulars	42	—	42
3.	Notices	3	—	3
4.	Tender permits etc. . .	—	—	—

ए० आई० आर० एफ०/एन० सी० सी० आर० एस० का मांगपत्र

2878. **श्री समर मुखर्जी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ए० आई० आर० एफ०/एन० सी० सी० आर० एस० द्वारा 1974 में दिये गये 6-सूत्री मांगपत्र पर बातचीत शुरू की है, जैसा कि इस बीच आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में समझौता करने की दिशा में क्या प्रगति हुई; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) रेल कर्मचारियों के संघर्ष के लिये मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व गठित राष्ट्रीय समन्वय समिति के एक घटक आल इण्डिया रेलवेमैन्स फेडरेशन तथा कुछ अन्य संसद सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ 1974 की हड़ताल से पहले श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई छः मांगों के बारे में विचार विमर्श किया था। इस छः प्वाइंट वाले मांग-पत्र के बकाया मुद्दों के बारे में स्थिति संलग्न विवरण में बताई गई है। यह स्थिति विचार विमर्श के दौरान स्पष्ट कर दी गई है।

विवरण

मई, 1974 की हड़ताल से पहले रखे गये 6 प्वाइंट वाले मांग पत्र के बकाया प्रश्नों से संबंधित स्थिति नीचे दी गई है :—

(I) **बोनस**—सभी क्षेत्रों में वेतन, आय और मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने और उसका व्यापक अध्ययन कर लने के बाद ही सरकारी विभागीय उपक्रमों कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

(II) **मंहगाई भत्ता**—इस सम्बन्ध में केवल रेल कर्मचारियों के लिये ही कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। यह एक व्यापक प्रश्न है जिस पर सरकार को सभी कर्मचारियों को दृष्टि में रख कर ही कोई निर्णय करना होगा।

(III) **केन्द्र सरकार के अन्य उपक्रमों में मिलने वाले वेतनों के साथ समानता**—इस मद का बहुत कुछ सम्बन्ध वेतन, आय और कीमतों की नीति से है जिस पर सरकार द्वारा हाल ही में नियुक्त भूतलिंगम अध्ययन दल द्वारा गहराई से विचार किया जा रहा है।

(IV) **नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करना**—चूंकि तत्काल पूर्ण रूप से नैमित्तिक आधार पर नियुक्तियों को समाप्त करने की आदर्श स्थिति को प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसलिये उन्हें समाहित किये जाने आदि के मामले में नैमित्तिक श्रमिकों के असन्तोष को कम करने के लिये कार्रवाई की गई है और की जा रही है।

(V) **आर्थिक सहायता प्राप्त कारखानों की सप्लाई**—चूंकि सरकार को सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के बारे में सम्मिलित रूप से निर्णय लेना है इसलिये अकेले रेल मंत्रालय द्वारा इन मामलों पर विचार नहीं किया जा सकता।

(VI) **रेल कर्मचारियों को औद्योगिक श्रमिक माना जाए**:—रेल कर्मचारी पहले से ही औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत आते हैं। यद्यपि, सेवा की शर्तों के अनुसार पारम्परिक रूप से उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाता है क्योंकि मूल रूप से रेलों की प्रकृति जनता की सेवा है तथा अपने सामाजिक एवं सामरिक महत्व के कारण सरकार द्वारा सीधे चलाई जाती हैं।

पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल द्वारा की गई कथित ज्यादतियां

2879. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या पुलिस/रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों द्वारा की गई ज्यादतियों का विरोध करने के लिये कर्मचारियों ने 1977-78 में काम बन्द किया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की ऐसी ज्यादतियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

लोको रनिंग स्टाफ को 'इन्टेन्सिव' घोषित किया जाना

2880. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष ने 1946 में जो निर्णय दिया था उसके अनुसार रेलवे अधिकारियों को ये निदेश दिये गये थे कि वे काम की गहनता (इन्टेन्सिटी) पर गौर करें और लोको संगचल कर्मचारियों को 'इन्टेन्सिव' घोषित करें;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में कर्मचारियों को 'इन्टेन्सिव' घोषित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आल इण्डिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएसन से इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) उस अभ्यावेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष ने पंचाट में लोको रनिंग कर्मचारियों को 'गहन' के रूप में वर्गीकृत किये जाने की मांग की स्वयं जांच की थी, लेकिन 'गहन' के वर्गीकरण के लिये दिये गये मान दण्डों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने

सिफारिश की थी कि इन कर्मचारियों को 'सतत' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये। तदनुसार इन कर्मचारियों को 'सतत' के रूप में वर्गीकृत किया गया।

लेकिन, निर्णायक की अन्य सिफारिश के आधार पर कि रेल प्रशासन द्वारा किसी विशिष्ट खण्ड पर रनिंग कर्मचारियों के ड्यूटी के घण्टे निर्धारित करने में कार्य की गहनता को ध्यान रखना जारी रखा जाय, वर्तमान आदेश दिये गये हैं कि जहां यातायात तीव्र और गहन हो, उपनगरीय खण्डों में काम करने वाले रनिंग कर्मचारियों की रनिंग ड्यूटी की सीमा को एक बार में 8 घंटे रखा जाना चाहिये जिसमें ड्यूटी पर आने और ड्यूटी से जाने में लगा समय शामिल न हो।

(घ) जी हां।

(ङ) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लोको कर्मचारियों का वर्गीकरण न्यायमूर्ति राजाध्यक्ष के अधिनिर्णय के अनुसार किया गया है। फिर भी, सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन को कि रनिंग कर्मचारियों की एक बार में ड्यूटी को 10 घंटे तक एक चरणबद्ध तरीके से सीमित किया जायेगा, सभी यात्री गाड़ियों और 86% माल गाड़ियों में कार्यान्वित कर दिया गया है। 10 घंटे नियम के अधीन आने वाले शेष कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिये अपेक्षित अतिरिक्त कर्मचारियों की स्वीकृति दे दी गई है।

PASSENGER FACILITIES ON GUJARAT RAILWAY STATIONS

†2881. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the names of the railway stations in Junagadh, Rajkot and Jamnagar districts in Gujarat where facilities such as electricity and drinking water for passengers have not been provided, so far, and the reasons therefor;

(b) whether these facilities are likely to be provided at all these railway stations; and

(c) whether any programme has been chalked out therefor and if not, when it is proposed to be chalked out and the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) (i) *Electrification of stations.* There are 97 unelectrified stations in Junagadh, Rajkot and Jamnagar Districts in Gujarat as per list at Annexure—I.

(ii) *Provision of Drinking Water.* Drinking water arrangements exist at all stations in Junagadh, Rajkot and Jamnagar Districts except at halt stations as per list at Annexure—II.

[Placed in Library. *See* No. L.T. 1810/78].

(b) The facilities will be provided at these stations progressively depending upon availability of power and funds.

(c) At present no plans exist for electrification of other stations.

RUNNING OF TRAINS BETWEEN PORBANDAR AND JAMNAGAR

†2882. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of times the train runs between Porbandar and Jamnagar in Gujarat in a day at present and the time of departure of this train from Porbandar to Jamnagar and vice-versa;

(b) by what time another train from Porbandar to Jamnagar will be introduced;

(c) whether any demand to introduce a second train has been received; and

(d) if so, when and from whom and the action taken or proposed to be taken in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) One pair of direct trains viz 407 Up/408 Dn Fast Passenger trains are running at present between Porbandar and Jamnagar. 407 Up is scheduled to leave Porbandar at 8.15 hours and arrive Jamnagar at 15.40 hours. 408 Dn is scheduled to leave Jamnagar at 8.45 hours and arrive Porbandar at 16.20 hours.

(b) to (d) The demand for introduction of an additional train between Porbandar and Jamnagar was received from the Secretary Gujarat Pradesh Congress Samiti in May, 1976. Apart from lack of traffic justification, introduction of the proposed train is not operationally feasible for want of spare line capacity on the Jamnagar-Kandus section.

DEMAND FOR ADDITIONAL TRAIN FROM JUNAGADH TO SARADIYA

†2883. SHRI DHARMASINH BHAI PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Manavdar Chamber of Commerce of Gujarat State has made a demand for introducing an additional UP train and a DN train from Junagarh to Saradiya from the 22nd August, 1977 and for adjusting the timings of Shapur-Saradiya train in such a manner that the commuters of Veraval-Mehsana train may get connected with Shapur-Saradiya train;

(b) if so, the reasons adduced by the Manavdar Chamber of Commerce in support of their above demand; and

(c) the time by which the above demand will be met and the action taken so far in this direction ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHEO NARAIN) : (a) Yes.

(b) Reasons adduced were the incovenient timings of Saradiya-Shapur trains for maintaining connections with main line trains at Shapur.

(c) Out of three pairs of trains running on Saradiya-Shapur section prior to 4-12-1973, one pair of trains was cancelled from that date due to poor patronisation. Induction of additional train has not been found justified.

केरल तट पर छिद्रण

2884. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने तेल-खोज कार्यक्रम के अंग के रूप में केरल तट में छिद्रण करने के लिये अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में तेल-खोज की सम्भावनाओं के बारे में क्या अध्ययन किये गये हैं; और

(ग) छिद्रण कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है और इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) नवम्बर, 1977 से फरवरी, 1978 के दौरान ओ० एन० जी० सी० द्वारा त्रिवेन्द्रम और कालिकट के बीच केरल अपतट में 2637 किलोमीटर के सर्वेक्षण क्षेत्र में भूकम्पीय और गुरुत्व सर्वेक्षण आयोजित किये गये थे। संचित आंकड़े के एक भाग पर कार्रवाई की गई है और उसकी व्यवस्था कर ली गई है। इससे कोचीन के लगभग 60 किलो मीटर उत्तर पश्चिम में संरचनात्मक लक्षणों के पाये जाने का पता चला है। आंकड़े के बकाया भाग के सम्बन्ध में कार्रवाई की जा रही है। इस क्षेत्र में वर्ष 1978 को दूसरी तिमाही में ओ० एन० जी० सी० का व्यधन कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

पश्चिम रेलवे में रेलवे कर्मचारियों की संख्या

2885. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम रेलवे के बड़ौदा, अजमेर, राजकोट, भावनगर, बम्बई, जयपुर, कोटा और रतलाम डिवीजनों तथा उसके वर्कशापों और कन्स्ट्रक्शनों में विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की 1972 में और दिसम्बर 1977 तक कुल संख्या क्या थी;

(ख) प्रति वर्ष पश्चिम रेलवे के उपरोक्त सभी डिवीजनों में सभी श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई और कितनों को पदोन्नत किया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के तथा अन्य थे (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची दी जाये); और

(ग) पश्चिम रेलवे के उपरोक्त (क) में लिखित डिवीजनों में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये सीधी भर्ती और पदोन्नति के लि: सुरक्षित पदों पर कमी पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल कर्मचारियों की संख्या

2886. श्री शिव सम्पत्ति राम : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा, बिलासपुर, चक्रधरपुर, खड़गपुर, खुर्दा रोड, नागपुर और वाल्टेयर डिवीजनों तथा उसके वर्कशापों और कन्स्ट्रक्शनों में विभिन्न श्रेणियों के रेल कर्मचारियों की वर्ष 1972 में और 31 दिसम्बर, 1977 तक कुल संख्या क्या थी;

(ख) प्रति वर्ष दक्षिण पूर्व रेलवे के उपरोक्त सभी डिवीजनों में सभी श्रेणी के कितने कर्मचारियों की भर्ती की गई और कितनों को पदोन्नत किया गया और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों के तथा अन्य लोग थे (अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूची दी जाए); और

(ग) पश्चिम रेलवे के उपरोक्त भाग (क) में लिखित डिवीजनों में सभी श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिये सुरक्षित पदों पर कमी पूरी करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध 'क')

(ख) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 'ख')

[ग्रन्थालय म रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1811/78]

(ग) भर्ती और पदोन्नति दोनों ही कोटियों में कमी को दूर करने के लिये 1-10-77 से 31-3-1978 तक की अवधि में एक क्रेश प्रोग्राम चलाया गया है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती में जो कमी रह गई है उसे पूरा करने तथा पैनलों को शीघ्र अन्तिम रूप देने के लिये सेवा आयोग द्वारा प्रवरण आयोजित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, महाप्रबन्धकों के विशेष अधिकारों के अन्तर्गत रेल प्रशासनों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती की जा रही है। क्रेश प्रोग्राम की अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये प्रवरणों/उपयुक्तता जांच व्यवसाय परीक्षाओं के अधिक से अधिक मामलों को अन्तिम रूप देने के लिये आवश्यक प्रबन्धक कर लिये गये हैं।

प्रश्नों के बारे में

REG. QUESTIONS

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज के लिये निश्चित 20 प्रश्नों में से केवल 4 ही आ सके हैं। अनुपूरक प्रश्नों के बारे में कुछ सीमा निश्चित की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय को कुछ निश्चित निदेश देने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं। मैं इस बारे में नियम समिति के सामने कुछ सुझाव रख रहा हूं।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : प्रश्न सभा की सम्पत्ति होती है। इसमें सभी रुचि रख सकते हैं। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाता है।

श्री धीरेन्द्रनाथ बसु (कटवा) : प्रश्नकाल बढ़ा कर 1.30 घन्टा किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : सबसे ज्यादा निराशा उन माननीय सदस्यों को होती है जो सबसे अधिक प्रश्न देते हैं और प्रश्नों के बारे में शिकायतें भी करते हैं।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : उस पर पृथकतः विचार होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने तम्बाकू, उत्पादकों के बारे में आज स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है जिसे आपने अस्वीकार कर दिया है। क्या इस बारे में दिये गये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को आप अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा-पटल पर रखे जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गयें पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, कलकत्ता का 1976–77 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इण्डो-बर्मा पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इण्डो-बर्मा पैंट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए। सं० एल० टी० 1773/78]

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यापार आयोग के प्रतिवेदन तथा कंपनियां निक्षेप स्वीकृति (तीसरा संशोधन) नियम, 1977

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

*(एक) मैसर्स केशोराम इन्डस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 21 मार्च, 1974 का केन्द्रीय सरकार का आदेश ।

**(दो) मेसर्स बल्लारपुर पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मिल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फरवरी, 1976 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

***(तीन) मैसर्स इण्डियन एक्सप्लोसिब्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा वाणिज्यिक ब्लास्टिंग विस्फोस्टकों के निर्माण के लिये एक नया उपक्रम स्थापित करने के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन तथा उस पर दिनांक 28 फरवरी, 1977 का केन्द्रीय सरकार का आदेश।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1774/78]

---

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 23 अप्रैल, 1974 को सभा पटल पर रखा गया था।

**प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 4 मई, 1976 को सभा पटल पर रखा गया था।

***प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 2 अगस्त, 1977 को सभा पटल पर रखा गया था।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कम्पनी (निक्षेपों की स्वीकृति) तीसरा संशोधन नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 31 दिसम्बर 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 793 (ङ) में प्रकाशित हुए थे

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1775/78]।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): इन सब पत्रों को देखने से प्रतीत होता है कि इन सभी प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ है। मंत्री महोदय इसके लिये उत्तरदायी है।

अध्यक्ष महोदय : इन प्रतिवेदनों को रखे जाने पे सचमुच विलम्ब हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इन्हें चेतावनी दें।

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर के वर्ष 1976–77 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI JANESHWAR MISHRA) : I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(1) Review by the Government on the working of the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited, for the year 1976-77.

(2) Annual Report of the Fertilisers and Chemicals Travancore Limited, for the year 1976-77 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Audit General thereon.

[Laid on the Table *See* No. L.T.-1776/78].

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 161 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 मार्च, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 1777/78]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

गुड़ के मूल्यों में भारी गिरावट का समाचार

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : मैं कृषि और सिंचाई मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"गुड़ के मूल्यों में भारी गिरावट, मिल मालिकों द्वारा गन्ने की खरीद में विलम्ब तथा 12.50 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम सांविधिक मूल्य का भुगतान न किये जाने के कारण कतिपय राज्यों के किसानों में व्याप्त असंतोष के समाचार और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानुप्रताप सिंह) : सरकार देश में सभी स्वीटनिंग पदार्थों की उपलब्धता, निकासी और मूल्य स्थिति के बारे में पूर्णतया जागरूक है। सरकार ने पहले ही कई एक उपचारात्मक उपाय किए हैं और सदन को याद होगा कि मैंने इस सम्बन्ध में 24 फरवरी, 1978 को एक वक्तव्य दिया था।

2. चालू वर्ष के दौरान गन्ने की भरपूर पैदावार हुई है। इसका उत्पादन 1650 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जिससे 110 लाख मीटरी टन की वृद्धि होगी। हालांकि अखिल भारत औसत वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत की हुई है, लेकिन कुछेक राज्यों में गन्ने के उत्पादन में और भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में उपलब्धता में 10 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होने का अनुमान है और कर्नाटक के बारे में 15 प्रतिशत के आस-पास होने का अनुमान है। ऐसे जिलों, जहां गन्ने के अन्तर्गत काफी क्षेत्र हैं—यहां तक कि जोते हुए क्षेत्र का एक तिहाई अथवा उससे भी अधिक है—में समस्या विकट है।

3. भारी मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप और इसीलिए स्वीटनिंग पदार्थों की उपलब्धता, घरेलू उपभोक्ताओं के लिये चीनी की उदार निर्मुक्तियां करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बढ़ाने की सरकारी नीति होने और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने से हाल ही के महीनों में सभी स्वीटनिंग पदार्थों के मूल्यों में भारी गिरावट आई है। पिछले 2-1/2 महीनों में गुड के मूल्यों में लगभग 40 रुपये प्रति क्विटल की गिरावट आयी है, महोदय, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि हालांकि मूल्यों में गिरावट का निस्संदेह उस हद तक स्वागत है जिस हद तक ये उपभोक्ता को राहत पहुंचाते हैं, सरकार का वे सभी पग उठाने का पक्का इरादा है जिनसे मूल्यों को, ऐसे अलाभकारी स्तर तक जिससे 250 लाख गन्ना उत्पादकों के हितों को हानि पहुंचेगी, गिरने से रोका जा सके।

4. क्योंकि देश में बोये गये गन्ने का लगभग 60 प्रतिशत गुड और खंडसारी के लिए इस्तेमाल होता है सरकार ने कई एक उपाय किए हैं। किस मात्रा अथवा मूल्य संबंधी प्रतिबंध लगाए बिना गुड के निर्यात की अनुमति दे दी गई है। व्यापार माध्यमों से गुड तथा खंडसारी की अधिक निकासी और उसको स्टाक करने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये, इन जिन्सों प्रति बैंक पेशगियों के लिये न्यूनतम मार्जिन को पर्याप्त कम कर दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० के अलावा, भारतीय खाद्य निगम से भी कहा गया है कि वे मंडी में जाएं और पिछले दिन संबंधित मंडी में चल रहें थोक मूल्यों पर प्रीमियम पेश कर बड़े पैमाने पर गुड की खरीदारी करें। आशा है कि इन सभी उपायों से गन्ना उत्पादकों को अति आवश्यक राहत मिलेगी। ऐसे पहले ही संकेत मिले हैं कि गुड के मूल्यों में बढ़ोत्तरी की प्रवृति आयी है। हापुड, बरेली, मेरठ, मुजफ्फर नगर आदि जैसे उत्तर प्रदेश के कई केन्द्रों में गुड के थोक मूल्यों में 4-6 रुपये प्रति क्विटल की पहले ही वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति आन्ध्र प्रदेश, के अनकपल्ली, निजामाबाद और विजयबाडा और महाराष्ट्र के कोल्हापुर तथा तमिलनाडु के कोयम्बटूर में देखने को मिली है।

5. आशा है कि चालू वर्ष के दौरान चीनी उद्योग कम से कम 52 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन करेगा जिससे उत्पादन में 4 लाख मीटरी टन की वृद्धि होगी। अतः 110 लाख

मीटरी टन अतिरिक्त गन्ने में से, चीनी उद्योग 40–50 लाख मीटरी टन गन्ने की निकासी करेगा। हम 30 अप्रैल, 1978 के बाद भी पिराई करने, जबकि वसूली में काफी गिरावट आएगी और इसलिये उत्पादन लागत में वृद्धि होगी, के लिये उपयुक्त प्रोत्साहन देकर उद्योग द्वारा गन्ने की और अधिक निकासी करने की गुंजाइश निकाल रहे हैं। इसके अलावा लेवी चीनी के भारित औसत निकासी मूल्य को बढ़ाकर 187.50 रुपये प्रति क्विटल करने, 6.5 लाख मीटरी टन चीनी का निर्यात करने, अतिरिक्त स्टाक आदि का ध्यान रखने के लिये ऋण सीमा में वृद्धि करने जैसे कई एक उपाय करने का भी निर्णय किया गया है। कुछेक क्षेत्रों में फैलाई गई इस गलतफहमी कि ये उपाय उद्योग को 'उपहार' रूप में दिए गए हैं, को मैं दूर करना चाहूंगा। वास्तव में इन सबका उद्देश्य यह है कि उद्योग को सक्षम रूप से कार्य करने दिया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि गन्ना उत्पादकों को वही मूल्य मिलता रहे जोकि उन्हें अब तक मिलता रहा है।

6. माननीय सदस्य ने कुछेक राज्यों में किसानों में व्याप्त असंतोष और गन्ने का 12.50 रुपये प्रति क्विटल के न्यूनतम सांविधिक मूल्य का भुगतान न करने के बारे में उल्लेख किया है। गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की वसूली पर 8.50 रुपये प्रति क्विटल है। कोई भी फक्ट्री गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य नहीं दे सकती है। वास्तव में लगभग सभी फैक्टरियां गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से काफी अधिक मूल्य दे रही हैं और कई मामलों में तो वे गन्ना उत्पादक और प्रबन्ध के बीच मुक्त बिक्री से प्राप्त अधिक लाभ को 50.50 के हिसाब से बांटने से संबंधित मेथरिंग फार्मूले के आधार पर जो मूल्य बैठता है उससे भी कहीं अधिक मूल्य दे रही है। हालांकि चीनी मौसम विलम्ब से शुरू हुआ था, फरवरी के अन्त को चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष की उसी अवधि के उत्पादन की तुलना में अधिक हुआ है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि चालू वर्ष के दौरान उद्योग द्वारा अधिक गन्ने को पहले ही खपा लिया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सरकार चीनी उद्योग के माध्यम से गन्ने की अधिकतम निकासी सुनिश्चित करने के लिये उत्सुक है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : आंध्र प्रदेश के गुड़ उत्पादकों की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो रही है। मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेन्सियां कितना गुड़ खरीद रही हैं।

गन्ने की स्थिति और भी खराब है। दक्षिण के गन्ना उत्पादक यह मांग करते आये हैं कि मराठा समिति का प्रतिवेदन कार्यान्वित किया जाये। गन्ना उत्पादकों को अपना गन्ना 5 से 7 रुपये प्रति क्विटल तक बेचने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। आंध्र तथा तमिलनाडु के कारखाने निश्चित मूल्य नहीं दे रहे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों के भी रोष व्याप्त है। उनमें से 35 गिरफ्तार भी किये गये।

अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गुड़ की खरीद कर रही है और यदि हां, तो कितनी मात्रा खरीद रही है?

श्री भानु प्रताप सिंह : पूछा गया है कि गुड़ की कितनी मात्रा का क्रय किया जा रहा है। मैं कह चुका हूं कि इसका क्रय काफी मात्रा में किया जा रहा है। गुड़ की कीमतें भी बढ़ रही है; जब कीमतें काफी बढ़ जायेंगी तो भारतीय खाद्य निगम मार्केट से हट जायेगा।

श्री वसंत साठे (अकोला) : कुछ दिन पहले मैंने सरस्वती मिल्ज की बात की थी । वे कितना दे रहे हैं ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैं कह चुका हूं कि संगठित क्षेत्र निश्चित मूल्य दे रहे हैं। खंडसारी के मामले में कुछ शिकायतें ग्रायी हैं, जिनका ध्यान रखा जा रहा है ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : क्या ग्राप मंत्री महोदय द्वारा सभा को दी गयी गलत सूचना के बारे में निर्णय लेंगे ?

ग्रध्यक्ष महोदय : इसके लिये ग्रन्य तरीके हैं।

भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय ग्रधिनियम 1976 के बारे में वक्तय

STATEMENT *RE*: NATIONAL LIBRARY OF INDIA ACT 1976

समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : संसद के दोनों सदनों ने 1976 के दौरान, राष्ट्रीय पुस्तकालय ग्रधिनियम, 1976 पारित किया था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता के लिये, जोकि संस्कृति विभाग के ग्रन्तर्गत इस समय एक ग्रधीनस्थ कार्यालय है, एक स्वायत्त बोर्ड की परिकल्पना की गई थी । यह ग्रधिनियम राजपत्र में ग्रधिसूचित होने की तारीख से लागू होना था । भारत सरकार ने ग्रधिनियम को ग्रभी तक लागू नहीं किया है ग्रौर राष्ट्रीय पुस्तकालय संस्कृति विभाग का एक ग्रधीनस्थ कार्यालय बना हुग्रा है ।

2. भारत सरकार द्वारा, प्रो० बी० एस० झा की ग्रध्यक्षता में, राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता के कार्यकरण का पुनरीक्षण करने तथा इसके कुशल कार्यकरण ग्रौर इसके ग्रागे के विकास के सम्बन्ध में उपाय सुझाने के लिये मई, 1968 में एक समिति गठित की गई थी । समिति ने ग्रन्य बातों के साथ-साथ सिफारिश की थी कि तत्कालीन सलाहकार समिति के स्थान पर, वास्तविक प्राधिकार का उपयोग करने वाली शासी परिषद होनी चाहिये । दूसरे शब्दों में शासी परिषद में पूर्ण स्वायत्तता निहित होनी चाहिये — प्रत्यायोजित स्वायत्तता न कि सांविधिक । पुस्तकालय को झा समिति की रिपोर्ट में यथापरिकल्पित ग्रधिक से ग्रधिक स्वायत्तता देने के लिये सरकार सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई थी । विधि तथा न्याय मंत्रालय के परामर्श से विचार करने पर यह पाया गया था कि झा समिति द्वारा परिकल्पित किस्म की स्वायत्तता सरकार के संकल्प द्वारा नहीं दी जा सकती । कोई ऐसा संकल्प राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता को, न्यायिक स्तर प्रदान नहीं करेगा संस्कृति विभाग को सलाह दी गई थी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता को स्वायत्तता का स्तर निम्नलिखित तीन विधियों में से किसी एक विधि द्वारा किया जा सकता है :

(i) पश्चिम बंगाल सोसायटी ग्रधिनियम के ग्रन्तर्गत इसे एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत कराकर,

(ii) कम्पनी ग्रधिनियम, के ग्रन्तर्गत इसे एक कम्पनी के रूप में पंजीकृत कराकर,

(iii) संसद् के अधिनियम द्वारा।

इन विकल्पों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद सरकार ने वैधानिक कार्यवाही करने और राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक सांविधिक स्वायत्त निकाय बनाने का निर्णय किया। तदनुसार, लोक सभा में 18-12-1972 को राष्ट्रीय पुस्तकालय विधेयक पेश किया गया था।

3. तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रस्ताव पर, विधेयक को संसद के दोनों संयुक्त समितियों के पास भेजा गया था। समिति ने विभिन्न व्यक्तियों/संगठनों/संघों इत्यादि से विधेयक पर ज्ञापन आमंत्रित किये। इसकी कलकत्ता, नई दिल्ली और बम्बई में भी बैठकें हुई और मौखिक गवाहियां लीं। जिन व्यक्तियों/संघों /सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधेयक पर ज्ञापन प्रस्तुत किये अथवा मौखिक गवाहियों के लिये पेश हुए, उनमें से आधे पश्चिम बंगाल के थे वे सामान्य रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय के लिये स्वायत्त स्तर के विचार के, जैसी कि विधेयक में परिकल्पना की गई है, विरुद्ध थे। संसद् की संयुक्त समिति ने व्यक्तियों, संगठनों इत्यादि द्वारा उठाई गई विभिन्न आपत्तियों पर विचार किया और विधेयक के प्रारूप को इन आपत्तियों के अनुसार संशोधित किया। समिति ने परिशोधित विधेयक को, अपनी रिपोर्ट सहित 26 जुलाई, 1974 को प्रस्तुत किया।

संयुक्त समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने विमति प्रकट की :

1. श्री सरोज मुकर्जी
2. श्री एच० एन० मुकर्जी
   श्री सनत कुमार राहा
3. सर्व श्री समर गुह,
   विरेन्द्र अग्रवाल
   श्याम लाल गुप्त
4. श्री निरेन घोष।

श्री सरोज मुकर्जी, श्री समर गुह, श्री विरेन्द्र अग्रवाल, श्री श्याम लाल गुप्त, और श्री निरेन घोष ने अपनी विमति रिकार्ड की और विधेयक को अस्वीकार करने की बात कही क्योंकि बंगाल तथा देश के अन्य भागों के बुद्धिजीवियों द्वारा इसका विरोध किया गया था।

4. इस विधेयक को लागू करने के प्रश्न पर फिर से विचार किया गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, बंगाल पुस्तकालय संघ और भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 के संयुक्त सम्मेलन की ओर से बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों में इस बात को दोहराया गया है कि संसद् सदस्यों तथा जनता के अन्य प्रख्यात व्यक्तियों एवं बुद्धिजीवियों द्वारा इसे तैयार किए जाने के समय ही इसका विरोध किया गया था कि ज्ञा समिति ने इसके लिये एक प्रत्यायुक्त स्वायतता की सिफारिश की थी, न कि कानूनी स्वायतता की और इस अधिनियम से राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रतिष्ठा घटेगी।

5. राष्ट्रीय पुस्तकालय इस समय संस्कृति विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसके निदेशक को वे सब वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी विभागाध्यक्ष को सौंपे जाते हैं, जबकि अधिनियम में स्वायत्त बोर्ड, कार्यकारी परिषद्, तथा एक

निदेशक के साथ तिहरी प्रबन्ध व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। अब यह महसूस किया गया है कि प्राधिकार के ऐसे फैलाव से पुस्तकालय का कार्य संचालन दक्षतापूर्ण नहीं हो सकेगा। इस बात को तथा यह ध्यान में रखते हुए कि जब यह अधिनियम तैयार किया गया था तो उस समय विभिन्न दिशाओं से इस अधिनियम का विरोध किया गया था, अब यह निर्णय किया गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 को लागू न किया जाये और यह पुस्तकालय संस्कृति विभाग के अन्तर्गत ही एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य करता रहे।

6. भारत सरकार भी इस बात पर विचार कर रही है कि क्या सामान्य रूप से पुस्तकालयों अथवा विशेष रूप से राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे विषय पर कानून बनाना आवश्यक है अथवा नहीं। अतः भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम, 1976 को रद्द करने के प्रश्न पर इसी सन्दर्भ में विचार किया जायेगा।

श्री ओ० वी० अलगेशन : (अर्कोनम) तंजाबूर में राष्ट्रीय महत्व का एक पुस्तकालय है। इसमें मूल्यवान तथा दुर्लभ पाण्डुलिपियां हैं।

मैंने इस बारे में प्रश्न उठाते हुए कहा था कि इसे राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय घोषित किया जाये। तत्कालीन मंत्री महोदय ने कहा था कि इस बारे में एक विधेयक लाया जायेगा।

लेकिन वक्तव्य से प्रतीत होता है कि ऐसा विधेयक लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनके विचार में इस प्रकार का विधेयक लाने की कोई आवश्यकता नहीं है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यह प्रश्न वर्तमान प्रणाली से सम्बन्धित नहीं है। लेकिन मैंने कहा है कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि क्या इस प्रकार का कानून लाया जाना जरूरी है अथवा नहीं। यह हमारे विचाराधीन है।

अल्वा समिति के प्रतिवेदन की पूर्व जालकारी मिल जाने के बारे में

श्री के सी० सुब्रह्मण्यम (पलानी) : श्री ज्योतिमय बसु ने मद 3 के बारे में कुछ प्रान्तीय भ्रांतियां पैदा की हैं उन्हें मैं दूर करना चाहता हूं। प्रतिवेदनों के अंग्रेजी संस्करण समय के अन्दर सभा में पेश किये गये थे। अतः यह कहना गलत है कि इन्हें प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। मंत्री महोदय को स्वयं यह भ्रांति दूर करनी चाहिये थी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : हिन्दी संस्करण रखने में विलम्ब हुआ है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : यह कहना भी गलत है कि बिरला बंधुओं के प्रभाव के कारण रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : नियमों का उल्लेख करते हुए मैंने लिखित नोटिस दिया है जिसका उल्लेख कार्य-सूची में भी है।

महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि कि अंग्रेजी संस्करण किस तारीख को सभा पटल पर रखा गया था ?

श्री शांति भूषण : यह तो कार्या - सूची में दिया हुआ है।

अल्वा समिति के प्रतिवेदन को पूर्व जानकारी मिल जाने के बारे में

REG. LEAKAGE OF ALVA COMMITTEE REPORT

SHRI BHAGAT RAM (Phillaur) : I want to raise the matter under Rule 377 regarding leakage of Ilva Committee Report. This is a very serious matter as the Report is of national importance. The doctors of the Post-graduate Institute, Chandigarh have passed a resolution asking for a judicial enquiry in this regard. Let the Health Minister come with a statement as to how the report has been leaked.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(एक) विभिन्न पत्तनों पर सीमेंट से भरे जहाजों को ठहराने की सुविधाएं प्रदान करने में विलम्ब का समाचार

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं सरकार का ध्यान पत्तनों पर सीमेंट के न उतारे जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। सीमेंट का आयात किया जा रहा है परन्तु सीमेंट लाने वाले जहाजों को पत्तनों पर सीमेंट उतारने के लिये स्थान न मिलने के कारण देर होने से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। देश को विलम्ब शुल्क के रूप में 2 लाख रुपये देने होंगे जबकि अभी 2 लाख टन का ही आयात किया गया है। अभी 6.5 लाख टन सीमेंट और मंगाना है तो विलम्ब शुल्क की राशि अत्यधिक हो जायेगी। इसलिए शीघ्र कोई कदम उठाया जाये।

यद्यपि सीमेंट लाने वाले जहाजों को स्थान देने को वरीयता दी जानी चाहिये परन्तु फिर भी उसमें 3-4 दिन लग जाते हैं और प्रतिदिन 3500 पौण्ड का विलम्ब शुल्क देना पड़ रहा है।

उद्योग, कृषि, वाणिज्य तथा परिवहन और नौवहन मंत्रालयों में सहयोग नहीं है। प्रधान मंत्री को इस ओर ध्यान देकर उपचारात्मक कार्यवाही करनी चाहिये। इस बारे में एक वक्तव्य दिया जाये।

(दो) धूले (महाराष्ट्र) में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिल में आग लगना

श्री आर० के० महालगी (थाना) : 8 मार्च, 1978 को आग लगने से धूले महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कपड़ा निगम का भारी नुकसान हुआ है। कार्डिग, रोविंग और कताई विभाग पूरी तरह जल गये हैं और नष्ट हो गये हैं मिल में 2200 कर्मचारी काम करते हैं। वे बेकार हो गये हैं। उन्हें किसी अन्य जगह रोजगार देना सरकार का काम है या जब तक मिल पुन: काम करना शुरू करे तब तक उनके लिये कोई वित्त व्यवस्था की जाये। आग लगने के कारणों का भी पता लगाया जाये ताकि उन्हें भविष्य में टाला जा सके।

यह बताया जाये कि कुल हानि कितने रुपये की हुई है ?

(तीन) पानीपत की सहकारी चीनी मिल और शराब के कारखाने में तालाबन्दी की संभावना

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : पानीपत, हरियाणा की सहकारी चीनी और डिस्टीलरी में तालाबन्दी होने का खतरा है क्योंकि उत्पादकों से गन्ना खरीदने के लिये

मिल के पास पैसे नहीं । पैसे की कमी के कारण दो सप्ताह से किसानों को उनके गन्ने का कोई मूल्य नहीं दिया गया है । जब तक केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर 75 लाख रुपये की अतिरिक्त कार्यपूंजी नहीं लगायेंगे और सोसाइटी की प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे, ये मिल कभी भी बन्द हो सकते हैं और 1500 कर्मचारी तथा उनके परिवार कठिनाई में पड़ सकते हैं और गन्ना उत्पाद की खेती करना बंद कर सकते हैं।

(चार) महाराणा क्लाथ मिल, पोरबन्दर (गुजरात) के बन्द होने का समाचार

SHRI DHARAMSINHBHAI PATEL (Porbandar) : The Maharana Textile Mill, Porbandar in Gujarat is lying closed since 11th March for want of steam coal. This mill is 46 years old and it used to get 900 tonnes of steam coal per month from Bilaspur, mines in Madhya Pradesh. The Mill has been experiencing coal shortage for the last 6 months. As a result of the closure of the mill 2300 workers have been idle and production of cloth had stopped causing loss of revenue to Government. It is therefore necessary that coal is arranged for the said Mill so that it could be restarted early.

(पांच) रायपुर रेलवे स्टेशन पर पूर्व बंगाल के शरणार्थियों के भारी संख्या में जमाव का समाचार

DR. LAXMI NARAYAN PANDEYA (Mandsaur) : While the discussion on the matters under Rule 377 continues, the Minister of Parliamentary Affairs should be present. About 3000 displaced persons from East Bengal who had to go to Jaijaipur in Orissa have reached Raipur in Madhya Pradesh.

Although the Madhya Pradesh Government has requested the Ministry of Rehabilitation to send those displaced persons back the latter has taken no action in this regard. The arrival of these displaced persons in Raipur has created disorderly condition in the local market. If immediate attention is not paid to it the situation might deteriorate and a serious law and order problem might crop up.

The East Bengal displaced persons do not like to settle in Madhya Pradesh; they wanted to settle in Sunderbans. Government should adopt a clear cut policy whereby these displaced persons are settled at a place of their liking and necessary arrangements are made for their rehabilitation.

सामान्य बजट, 197-879—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—Contd.

श्री यशवंत बोरोले (जलगांव) : इस बजट के कुल योजना परिव्यय, जोकि 11,649 करोड़ रुपये है में से कृषि और ग्रामीण विकास के लिये 4693 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय नियत किया गया है जोकि गत वर्षों से कहीं अधिक है । 1676-77 में सुब्रह्मण्यम् ने बजट पेश करते समय कहा था कि हमारी छठी योजना समेकित ग्रामीण विकास पर आधारित होनी चाहिये और इस प्रयोजन हेतु हमें अधिकाधिक संसाधनों का उपयोग करना चाहिये । वर्तमान बजट इसी नीति को प्रतिबिम्बित करता है लेकिन श्री सुब्रह्मण्यम ने न जाने इसकी तारीफ क्यों नहीं की है । न जाने उनके मन में क्या संदेह है—क्या वह इस 40 प्रतिशत के आवंटन को भाग भ्रम समझते हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम ने यह भी कहा है कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समर्थन प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हम प्रौद्योगिकी के विकास या वैज्ञानिक उपलब्धियों के विरुद्ध नहीं हैं। लेकिन हमारी एक निश्चित विचारधारा है कि वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी से समाज के निम्न वर्ग की सेवा करनी चाहिये और जहां तक संभव हो लघु उद्योगों की सेवा करनी चाहिये। जनता पार्टी की यह स्पष्ट नीति रही है कि आवश्यक मूलभूत ढाँचे का विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा ही निर्माण किया जाना चाहिये यहां तक कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी बड़ी परियोजनाएं आरम्भ की जायेंगी।

जहां तक कराधान का सम्बन्ध है, इसके लिए पहले न तो कोई प्रक्रिया निर्धारित की ई थी और न ही कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त थे। लेकिन अब हमने मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित कर दिये हैं। वर्तमान कराधान नीति से अनेक कठिनाइयों पर काबु पा लिया गया है और दी गई इन छूटों के अन्तर्गत लघुतम एककों को भी बहुत लाभ होगा।

69 मदों पर उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में कीटनाशी दवाइयों खरपतवारनाशी तथा कुछ अन्य दवाइयों पर भी उत्पाद शुल्क नहीं लगेगा। अन्य क्षेत्रों में लघु पैमाने के एककों को भी इससे छूट दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना भाषण मध्याह्न भोजन के पश्चात जारी रख सकते हैं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर सात मिनट पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at Seven Minutes past fourteen of the clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

सामान्य बजट, 1978–79—सामान्य चर्चा—जारी

GENERAL BUDGET, 1978-79—GENERAL DISCUSSION—Contd.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI (Ujjain) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to raise a point of order. There is no Cabinet Minister present in the House.

उपाध्यक्ष महोदय: केबिनेट मंत्री को बुलाया गया है और वह आ रहे हैं।

श्री यशवन्त बोरोले : अब देखना यह है कि क्या इस बजट से विकास, बचत और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जिन कर उपायों की घोषणा की गई है उससे बचत और पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। पूंजी निवेश का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आशा है कि सरकारी क्षेत्र में 17 प्रतिशत अधिक पूंजी निवेश से अर्थव्यवस्था का विकास होगा। इस विकास से गैर-सरकारी क्षेत्र को भी लाभ होगा।

मांग में मंदी होने से अर्थ-व्यवस्था पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ता है । क्योंकि इसके परिणामस्वरूप लोग गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश करने से कतराते हैं जितनी जल्दी इसे दूर किया जाये उतना ही अच्छा होगा। बढ़े हुए पूंजी निवेश से आय भी बढ़ेगी और साथ-साथ मांग में भी वृद्धि होगी।

ब्याज कर समाप्त कर दिया गया है । इससे निवेश के लिये अधिक पूंजी मिलेगी लेकिन ब्याज दर कम करने से लोग बैंकों के जमाखाते में अधिक राशि रखने के लिये आकर्षित नहीं होंगे और इस प्रकार बैंकों से पूंजीनिवेश के लिये समुचित धन नहीं मिलेगा । अतः इस उपाय से दोनों प्रकार के परिणाम निकल सकते हैं लेकिन इस समय स्थति क्या होगी इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

जहां तक कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश का सम्बन्ध है इसकी वसूली शीघ्र ही हो जाती है इससे विपरीत उद्योगों में किए गए पूंजीनिवेश का लाभ काफी अरसे बाद मिलने लगता है इसलिये कृषि क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश से अर्थ-व्यवस्था का विकास जल्दी होता है । प्राकृतिक आपदाओं से अगर बच जाए तो कार्य में किया गया पूंजी निवेश अर्थ-व्यवस्था के लिये हमेशा लाभदायक रहता है।

जहां तक कर ढांचे का सम्बन्ध है झा समिति और सतर्कता समिति के प्रतिवेदनों मे इसकी काफी आलोचना की गई है उन्होंने निर्धारण प्रक्रिया को सुचारू बनाने और कर नियम को सरल और युक्तिसंगत बनाने के लिये सुझाव दिए हैं।

जहां तक परोक्ष कराधान का सम्वन्ध है, इस सम्बन्ध में झा समिति की कई सिफारिशें वर्तमान वित्त विधेयक में पहले से ही समाविष्ट कर ली गई हैं। झा समिति की सबसे मुख्य सिफारिश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के ढांचे के पुर्नगठन और लघु क्षेत्र को सहायता देने के बारे में है ।

मुख्य मशीनों के आयात के मामले में आयात उत्पाद शुल्क को 40 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया है इससे परियोजनाओं के कार्य में तेजी आएगी । आशा की जाती है कि कुल विदेशी मुद्रा जो कि 4000 करोड़ रुपये की है, को हम वित्तीय संस्थानों के संघ को तथा बैंकों को दे सकते हैं जोकि इसके मूल्य के बराबर हमें रुपये में भुगतान करेंगे और उस धन से हम एक ओर जहां मशीनों और उपकरणों का आयात कर सकते हैं वहां दूसरी ओर हम इस राशि का उपयोग परियोजनाओं के लिये भी कर सकते हैं। यह दोहरा लाभ है । वित्त मंत्री ने यह एक बहुत निर्भीक कदम उठाया है ।

मैं श्री सुब्रह्मण्यम की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि धन आवंटन का अर्थ यह नहीं है कि उससे हमें वाँछित परिणामों की प्राप्ति हो जायेगी । परियोजनाओं के कार्य में विलम्ब करने से आवंटित राशि को खर्च करने में बाधा आती है । ऐसा अनेक कारणों से होता है। इसमें नौकरशाही भी शामिल है । हम अपनी प्रक्रिया के संबंध में लकीर के फकीर हो गये हैं। और प्रक्रियाओं को प्रगति की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं । अतः एक नया दृष्टिकोण अपनाना होगा और परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वित करने के लिये पूर्ण सहयोग मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री टी० ए० पाई (उदीपी) : हम चाहते हैं कि इस समय जबकि बजट पर वाद-विवाद चल रहा है, वित्त मंत्री को सभा में उपस्थित होना चाहिये । यदि हम जो सुझाव देते हैं या जो आलोचना करते हैं, उसे वित्त मंत्री समझने तथा महत्व देने के इच्छुक नहीं हों तो फिर हमारा भाषण देना केवल समय गंवाना है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : राज्य सभा में भी इस पर आज चर्चा आरम्भ हो गई है । वित्त मंत्री जी वहां उपस्थित हैं ।

श्री टी० ए० पाई : मैं आपका भी उतना ही सम्मान करता हूं । यदि हम अपना भाषण न भी दें तो कोई अंतर नहीं पड़ता । क्योंकि इसे बदला नहीं जायेगा । किन्तु यदि कुछ सदस्य कुछ रचनात्मक सुझाव देते हैं, जिन्हें आप स्वीकार कर सकते हैं तो फिर उन्हें सुनना नितान्त आवश्यक है ।

गत वर्ष जब वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था, तब सुखाभास का वातावरण व्याप्त था और कांग्रेस की हार हुई थी और जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उस समय उन्होंने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । इस वर्ष भी उन्होंने कहा है कि घाटे का बजट नहीं होगा किन्तु मामूली सा अन्तराल अवश्य होगा । उन्होंने गत बजट पेश करते समय 85 करोड़ रुपये का अन्तराल रखा था । अब 100 करोड़ रुपये तक ऋण की व्यवस्था बढ़ाने से उत्पाद शुल्क, निगमित कर और औद्योगिक उत्पादन के बारे में उनके अनुमान गलत सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा था कि इस वर्ष उत्पादन में 5 प्रतिशत गिरावट हुई है जो बिजली की कमी के कारण बताई गई है । और बिजली की कमी का कारण यह बताया है कि पिछली सरकार ने इस सम्बन्ध में सोच-विचार कर योजना नहीं बनाई थी। लेकिन वस्तुतः इस वर्ष स्थापित क्षमता में दो हजार मेगावाट बिजली अधिक बिजली उत्पादन करने का श्रेय कांग्रेस सरकार को जाना चाहिये जनता सरकार को नहीं क्योंकि पिछली सरकार ने ही वह योजना आरम्भ की थी। अब देखना यह चाहिये कि जनता सरकार, स्थापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक बिजली पैदा नहीं कर सकी है ।

यह सच है कि उत्पादन में कमी होने के मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है । यदि समिति ही देश की दशा बदल सके तो हम तो बहुत पहले ही ऐसा कर देते । ऐसे स्पष्टीकरण देने का कोई लाभ नहीं है कि औद्योगिक उत्पादन में गिरावट बिजली की कमी के कारण आई है । वास्तविकता तो यह है कि ऐसा श्रमिक अशांति के कारण हुआ है। इस देश के एक-तिहाई से अधिक जिलों में उत्पादन शून्य के बराबर हुआ है । इस वर्ष केवल यही किया गया कि परिस्थितियां बदल दी गई हैं ।

राशि निवेश में 200 करोड़ रुपये की कमी हुई है । जितनी राशि निवेश की व्यवस्था की गई थी उतना राशि निवेश हुआ नहीं है । अन्यथा इस वर्ष घाटे की अर्थ व्यवस्था और 200 करोड़ रुपये बढ़ जाती ।

जनता सरकार बैंकों से ऋण लेकर उसी पर निर्भर कर रही है । आज देश में कुल सार्वजनिक ऋण 24000 करोड़ रुपये का है और ऋण सेवा अधिभार 2000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है ।

हम पर अर्थ-व्यवस्था में कुप्रबन्ध करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन यह कुप्रबन्ध आज बहुत अधिक है और यह सरकार इस बदले की भावना से कुप्रबन्ध कर रही है क्योंकि हमने ऐसा किया था। इस को स्थिति को ठीक करने के बजाये यह सरकार प्रतिशोध की भावना से और अधिक खराबी क्यों कर रही है।

आज बजट प्रस्तावों में यह दिशा निर्देश नहीं है कि गरीबी कब समाप्त होगी। राशि आवंटन का और कुछ तात्पर्य नहीं है। जब हमारा कोई दिशा निर्देश नहीं है, जब बजट में यह संकेत नहीं है कि हम कैसा समाज सृजन करने जा रहे हैं तो इसका यह अर्थ है कि देश की राजनीति का गरीबी में निहित स्वार्थ है। यदि इस समाज को जीवित रखना है, यदि गरीबी देश से दूर करनी है तो जब तक सामाजिक ढांचा नहीं बदला जायेगा कृषि विकास के नाम में जितना भी धन आज तक खर्च किया जाता रहा है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक गरीबी बढ़ेगी। यह इसलिये है जब तक मनुष्य और भूमि के बीच स्थायी सम्बन्ध स्थापित नहीं होंगे और भूमिहीन श्रमिक को न्यूनतम मजूरी ही नहीं दी जाती बल्कि उसे उत्पादन के साधनों का स्वामी नहीं बनाया जाता तब तक हम में कोई अन्तर नहीं आयेगा। और हम उसके शिकार होते रहेंगे। जनता सरकार को इस बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

जहां तक आवंटन का सम्बन्ध है, यह कहा गया है कि कृषि और रोजगारी के लिये आवंटित अत्यधिक धन राशि की व्यवस्था की जायेगी। यदि हम आवंटित राशि और विभिन्न कार्य-क्रमों पर वास्तव में खर्च हुई राशि के आंकड़ों को देखें तो हमें पता चलेगा कि कार्यान्वियन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है अतः धन राशि को बढ़ाकर दुगुनी करने से भी क्या होगा? वस्तुतः राशि बढ़ाने से भी बहुत खतरा पैदा हो जायेगा। जिस कार्य के धन का आवंटन किया गया है वह उस कार्य पर खर्च ही नहीं किया जायेगा। यह इसीलिए है कि वही पुरानी परिपाटी कायम है और प्रशासन को जनता की समस्याओं का पता नहीं है। सत्ताधारी दल हम पर चाहे जितने भी आरोप लगाये हम उन सब को स्वीकार करने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि वह अच्छा काम करती है अन्यथा उनमें और हममें कोई अन्तर नहीं रहेगा और लोगों की नजरों में हमारी विश्वसनीयता समाप्त हो जायेगी और वह कहेंगे "लोकतन्त्र भाड़ में जाये"।

स्वतन्त्रता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि स्वतंत्रता का लाभ केवल कुछ लोग उठा रहे हैं। आजकल गांवों में हम क्या देख रहे हैं? रोजाना हरिजनों के अन्याय की बात कही जाती, पर कोई भी उसका उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं। यदि जन नेता ऐसा वातावरण तैयार नहीं करते जहां इन्हें मानव समझा जाए हम कैसा समाज बना सकते हैं और हम किस प्रकार का उत्थान कर सकते हैं? केवल पैसे से आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। सरकार और सत्ताधारी दल यह जान लें कि गरीबी दिन-व-दिन बढ़ती जा रही है, भले ही वह इसे चाहें या न चाहें। इस घाटे के बजट से हमें कोई विकास, प्रशासन में किसी सुधार की आशा नहीं है।

गेहूं के वितरण में सरकार 23 रुपये की सहायता दे रही है। चावल के सम्बन्ध में यह छूट पिछले साल 4 रुपये थी। इस वर्ष यह .04 पैसे है। क्या सरकार चावल उत्पादक क्षेत्र की विक्रेता बन रही है? चावल खाने वाले लोगों ने क्या किया है? उन लाखों लोगों

को सरकार ऋण सहायता देकर गेहूं खाने के लिए मजबूर क्यों करना चाहती है? इस स्थिति में परिवर्तन किया जाए अनुपयुक्त नीति के कारण चावल का उत्पादन नहीं बढ़ा है।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA (South Delhi) : Shri Subramaniam has said that when the previous Government handed over power the position of foreign exchange reserves and stocks of wheat in the country were very good. But he forgot to mention that during the Congress regime more than 40 crores persons were living below the poverty line, more than 5 lakhs villages were not having drinking water supply, in 55 per cent of the villages there was no primary health centre, the number of educated unemployed was more than one crore and the total number of unemployed persons was about 4 crores, while on the other hand the value of the assets of 20 big industrial houses had increased to about Rs. 6,000 crores from Rs. 648 crores in 1951. This is the explosive position when they left the regime. A period of only one year cannot be said enough to bring overall improvement.

It has been said that consumer prices have not fallen. But from the figures of Consumer Price Index it will be observed that upto February last the consumer prices have increased only by 2.7 per cent while during 1974 they had increased by 24 per cent under the Congress regime. In fact such a little increase in consumer prices in one year has never been seen before. It will take some time for the consumer prices to fall after a fall in the wholesale prices has been registered.

During 1976-77 under Congress regime, the prices increased by 12 per cent, the money supply by 30 per cent and GNP by 1.6 per cent only, while under one year's rule of Janata Government the GNP has increased by 5 per cent, in spite of the fact that bonus and DA have been paid and compulsory deposit scheme has been abolished.

But with this good performance of the Janata Government, there are certain trends which require to be checked. When the Congress Party left power about Rs. 1100 crores were outstanding as arrears of income tax and corporate tax. Nothing has been mentioned in the budget for realisation of these arrears. If attempts are made to recover these arrears the deficit will be met to a large extent. In 167 cases of seizures in 1975-76 many incriminating evidences were found, but even then no case was launched, no penalty was imposed and none was convicted. Necessary action should be taken in these cases also for recovery of dues.

There are certain dangerous trends regarding the plan. There is decrease of about Rs. 230 crores in the plan expenditure and increase of about 118 crores in the non-plan expenditure. This trend should be checked. Only Rs. 1184 crores have been provided for the new schemes. This is very inadequate. The Sixth Plan should have been at least of the order of 10-15 thousands crores of rupees.

Good step has been taken by formulating a scheme for providing full employment at block level during the coming five years. But only a token provision of Rs. 20 crores has been made for if, while about Rs. 2200 crores are likely to be required for it. Adequate provision for it should be made in the Sixth Plan.

No provisions has been made in the budget for uneducated unemployed and slum improvement. Priorities should be to these items and necessary fund should be provided for them.

Schemes for promoting cottage and small scale industries are good, but their interest should be kept in view in our fiscal policy, credit policy and taxation policy etc. In increasing the rate of excise from 2 per cent to 5 per cent some rebate should have been given to the cottage industry and small scale industries. Bank loans and import licences to these industries should be increased. Government purchases should be made from

these industries only. Fiscal support on the export of the products of handloom, cottage and handicraft industries should not be removed.

A development fund should be created for all-round development of the capital region of Delhi.

Only a little portion is being given to Delhi out of the taxes realised. This should be increased. Recommandations made by Morarka Commission regarding development of rural areas etc. of Delhi should be implemented.

Necessary steps must be taken early on the findings of the Inquiry Commissions.

With these words I support the Budget.

SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN (Seoni) : The increase on excise duty will affect the common man and, therefore, this should be re-considered. It is good that rising prices have been checked, bonus has been given, compulsory deposit scheme has been abolished and an assurance has been given that there will be no further inflation in spite of this deficit budget, but tight rope walking will have to be done to keep the assurances. Internal vigilance is necessary for sound economy.

It is a matter of satisfaction that more attention has been paid to the development of villages, agriculture and small-scale industries. But for this, it should be ensured that our schemes are implemented properly and in time. It is observed that the attitude of the bureaucracy often led to failures of many schemes and plans. Improvement should be brought in this position. Steps should be taken for the development of national character and a feeling of dedication for national causes as only this will prove conducive for the development of the nation.

As regards cottage industries in villages, steps should be taken to ensure regular supply of raw material to them and also marketing their products at proper prices. Development of roads should also be made to faciliate this.

More irrigation facilities should be provided so that agriculture do not remain dependent on weather. Necessary compensation should be paid to the agriculturists against damages caused by natural calamities like hail storms etc.

It is said that there is a proposal to abolish Octroi. But, in Madhya Pradesh it has already been abolished. The Union Government have, at that time, assured the Madhya Pradesh Government that they will make up the loss in revenue to the state Government but that commitment has not been fulfilled so far. As a result, the municipal committees are finding it difficult to function due to the loss of their revenue of Octroi, which is the main source of their income. This matter should be looked into.

श्री एम० एन० गोविन्दन नायर (त्रिवेन्द्रम) : गत वर्ष बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि उन्हें जनता बजट प्रस्तुत करने का समय नहीं मिला । अब उन्हें पूरा एक वर्ष मिला है । उन्होंने स्थिति को अच्छी तरह समझ लिया होगा । छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बोलते समय उन्होंने राष्ट्र के समक्ष कुछ लक्ष्य रखे थे । ये लक्ष्य हैं: 10 वर्ष के अन्दर बेरोजगारी तथा अल्प-रोजगारी को समाप्त करना, पीने के पानी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपायों की व्यवस्था करना और आय तथा धन में असमानता को काफी हद तक कम करना । हमें बजट पर इन सभी को ध्यान में रखकर परखना है ।

ग्रामीण गरीबों के लिये 40.29 प्रतिशत आवंटन किया गया है । गत वर्ष यह राशि कितनी थी । गत वर्ष यह 37.7 प्रतिशत थी । इसमें बहुत कम वृद्धि की गई है ।

लेकिन क्या यह कृषि क्षेत्र की आवश्यताओं को पूरा करने में समूचित है? ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति के बारे में बता कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। फिर भी मैं बताना चाहता हूं वहां क्या प्रक्रिया जारी है। भूमि का केन्द्रीकरण कुछ बड़े-बड़े जमींदारों के हाथों में दो रहा है। किन्तु कृषकों की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से घटकर 43 प्रतिशत रह गई है। भूमिहीन मजदूरों की संख्या भी 19 प्रतिशत से बढ़कर 26 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर 15 प्रतिशत बड़े-बड़े जमींदारों के अधिकार में भूमि का 60.6 प्रतिशत है। वे जमींदार हैं, महाजन हैं तथा थोक व्यापारी हैं। ये सब काम वे लोग करते हैं। वे गांवों में केवल अत्याचार करते हैं जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के वातावरण को बदला नहीं जाएगा तब तक कितना ही व्यय आप कर लें उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। यह कहना गलत है कि अतीत में कृषि को प्राथमिकता नहीं दी गई। कृषि क्षेत्र पर करोड़ों रुपये व्यय किए गए इसी के परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। 1951 में कृषि उत्पादन 1.58 करोड़ टन था। आज कृषि उत्पादन 12 करोड़ टन हो गया है।

1951 में ग्रामीण लोगों की प्रति व्यक्ति आया 197 रुपये 80 पैसे थी आज प्रति व्यक्ति आय 196 रुपये 50 पैसे है। लेकिन देश की सकल आय में जो वृद्धि हुई है वह कहां गई? वह केवल धनी वर्गों की जेब में चली गई है जिन्होंने कीमतों में हेराफेरी करके सारा धन अपने कब्जों में कर लिया है।

जब तक गांवों का विद्युतीकरण नहीं होता तब तक गरीब ग्रामीणों का कल्याण नहीं होगा हमारे देश का काफी तकनीकी विकास हो चुका है। हम 5,000 मैगावाट वाले तापीय बिजली घर के लिये मशीनरी का निर्माण अपने देश में कर सकते हैं। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स द्वारा यह माशीनरी बनाई जा सकती है। कोयला भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसलिये यह नितान्त आवश्यक है कि देश के सभी गांवों के विद्युतीकरण के लए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जाये।

हमारे पास औद्योगिक क्षमता है, कच्चा माल है तथा अपेक्षित कार्मिक भी हैं, हमारे देश में उद्योग की प्रत्येक शाखा में विकास हुआ है फिर भी खेद की बात है कि सरकार सीमेंट का आयात करने जा रही है। सीमेंट का उत्पादन हम आसानी से देश में ही कर सकते हैं।

जहां तक शिक्षा का संबंध है एक वर्ष से कई सदस्य हिन्दी भाषा के लिये हो-हल्ला मचा रहे हैं हम भी हिन्दी भाषा के विरुद्ध नहीं है। लेकिन पहले हमें यह देखना होगा कि देश में कितने बच्चे स्कूल जाते हैं। 15 वर्ष की आयु से नीचे के 30 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में हैं। जबकि 70 प्रतिशत बाहर हैं। चिकित्सा सुविधाओं को ही ले लीजिए—केवल 15 प्रतिशत गांवों में ही चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की सहायता हेतु कोई समुचित उपबन्ध नहीं है। ग्रामीण लोगों की वैसे ही क्रयक्षमता कम है उस के अलावा हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है। आप उनकी आय बढ़ाने के लिये कोई उपाय नहीं कर रहे हैं ऊपर से परोक्ष कर अलग लगा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझते कि पैट्रोल की कीमत बढ़ाने से केवल मोटर कार वालों पर ही असर नहीं पड़ेगा

अपितु गरीब आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा। बसों मोटरों के किराए भी बढ़ जायेंगे। आपने बिजली पर जो कर लगाया है मैं उसका भी विरोध करता हूं। केन्द्र सरकार को ऐसा कर लगाने का कोई हक नहीं है और न ही आज तक कभी केन्द्र सरकार द्वारा ऐसा कर लगाया गया है। खेतिहर और उद्योगपति का राज्य सरकारों को शिकायत कर रहे हैं कि कर बहुत अधिक है इसे कम किया जाए। अकेले केरल को ही केन्द्र सरकार को 8 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। इसलिये इसका समूची अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

जब गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिक बेरोजगारी है और जब सरकारी क्षेत्र का विकास हो रहा है तो गैर-सरकारी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये। इसलिये कुछ निर्भीक निर्णय लेने होंगे और जिस ढंग से लोगों को दरिद्र बनाया जा रहा है उस पर रोक लगानी होगी।

SHRI BIJOY SINGH NAHAR (Calcutta-North-West) : The Finance Minister deserves congratulation for presenting a Budget which gives a new derection to economy. This Budget indicates the measures proposed to be taken to improve the economic condition of the rural poor, and government should see that the benefits of government outlay reaches the poor people.

The hon. Minister has stated that block development plans will be a major instrument for achieving full employment in rural areas through time-bound Development schemes for rural sectors which should be so framed that they provide employment to rural youth. The requirements of consumer goods should be such in the rural sector itself our rural economy should be made self-reliant we are taking step in this direction. People are with us. They want that government should do some concrete work. Only speeches are not going to serve this purpose.

[SHRI DHIRENDERNATH BASU *in the Chair*]
श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए

Rural people should be provided with jobs in their villages itself. There should be no need of their coming to cities in search of jobs.

Our agricultural economy produces enough raw materials for industries, but mill owners do not pay remunerative price to farmers for their produce—whether it is jute or sugarcane. Government should see that maximum investments are made to make the rural economy self-reliant.

During the tenure of the previous government we depended upon bureaucracy for implementation of plans. Now their way of functioning has got to be changed. But this Budget does not give any indication as to the new steps proposed to be taken to change their way of functioning.

The Janata Party is committed to abolition of Sales Tax, but the Finance Minister has said that States are not agreeable to it. But one fails to understand as to why the Central Sales Tax has not been abolished. With a view to rooting out corruption, the abolition of Sales Tax is most essential and the Finance Minister should therefore adopt earnest measures to withdraw the Central Sales Tax first: As far as the demand for giving more powers to State Governments and the Central-State relations are concerned, Government should be serious about them.

It is good that Government have reduced bank rates but restrictions should be imposed on private money lending concerns so that they do not charge interest higher than the bank rates.

The administration of Income Tax Department is not proper. The functioning of this department should be streamlined and income tax assessees should be believed in the first instance.

The Postal rates should not be increased. The increase in the indirect taxation has hit the common man very hard. So, the measures should be taken to reduce the impact on the poor man. Steps should be taken to avoid unnecessary expenditure. The expenditure being incurred on various inquiry commissions should be stopped forthwith. Government should be hold enough to say that they will not resort to such taxation as would hit the poor people. Therefore, one can say that this was a stereotype budget as used to be presented during the Congress rule.

With these words I support the good provisions of this Budget.

श्री बसंत साठे (अकोला) : वित्त मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार से विरासत में हमें कमजोर अर्थ-व्यवस्था मिली है इसलिये वह घाटे के बजट को 84 करोड़ रुपये तक ही सीमत रख रहे हैं। और उन्हें आशा है कि जिन गतिशील आर्थिक नीतियों का वह अनुसरण करेंगे उनके परिणाम स्वरूप अगले वर्ष घाटे का बजट नहीं होगा । लेकिन अब वह कह रहें हैं। कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था और उनके कर्जे लेने इत्यादि के तरीके सफल नहीं हुए। 84 करोड़ रुपये का घाटा 975 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है । यह केवल 10 गुना अधिक है। और अब बजट में दर्शाया गया है 1050 करोड़ रुपये का घाटा यदि दस गुना बढ़ जाये तो क्या स्थिति होगी ?

11,649 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 10,465 करोड़ रुपये योजनाओं को जारी रखने पर, 150 करोड़ नई विद्युत परियोजनाओं पर और 1034 करोड़ रुपया अन्य क्षेत्रों की योजनाओं पर जिसमें 80 प्रतिशत अर्थात् 828 करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं पर व्यय किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि धनवान और निर्धन के बीच का अन्तर कम करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है । सभी पदार्थों पर यथामूल्य लेवी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। अन्ततोगत्वा इसका प्रभाव गरीब वर्ग पर पड़ेगा । इसके अतिरिक्त 1/20 प्रतिशत विशेष लेवी भी लगाई गई है । कोयले पर भी विशेष कर लगाया गया है। इससे पता चलता है कि यह बजट सर्वाधिक मध्यम श्रेणी को प्रभावित करेगा । दिल्ली में पानी की दर भी 19 पैसे से बढ़ाकर 75 पैसे कर दी गई है । लोगों को सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष कर चुभता है जिसकी वजह सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होगी।

दूसरी ओर वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि घाटे का बजट और उत्पाद शुल्क इत्यादि से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ेगी । वित्त मंत्री ने एक नई गतिशील आयोजना का भी दावा किया। उन्होंने कहा है कि नई योजना नीति में खंड विकास योजनाएं एक निर्धारित समय में ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रोजगार उपलब्ध कराने में सबसे अधिक सहायक होंगी। इस कार्यक्रम के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं । लेकिन वित्त मंत्री हमें यह बताएं कि वह 828 करोड़ रुपया, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों को दिया जायेगा, का किस तरह उपयोग करेंगे । तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कभी भी फायदा नहीं होता । यह पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था का दोष है। पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबों का हमेशा शोषण होता है क्योंकि उनका पूंजी पर कोई नियन्त्रण नहीं होता। अतः जब तक व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक कुछ लाभ नहीं होगा। हमारे देश में यदि यही व्यवस्था जारी रही तो चाहे हम ग्रामीण क्षेत्रों या अन्यत्र कितनी ही पूंजी निवेश क्यों न करें निर्धन को कोई लाभ नहीं होगा। देश में काले धन

की समान्तर अर्थ-व्यवस्था बनी हुई है फिर भी इस बजट में कराधान पद्धति अथवा कर-तंत्र को सुचारु बनाने अथवा पुनर्व्यवस्थित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

बजट में भूमि सुधार का कोई उल्लेख नहीं है। आज भी सामाजिक, राजनीतिक आदि आर्थिक क्षेत्र में जमींदारों का बोलबाला है। अतः मैं इस बजट को पूर्ण रूप से प्रतिक्रियावादी मानता हूं।

मुझे किसी भी ऐसे विकासशील अथवा निर्धन देश के बारे में जानकारी नहीं है जिसने इतने भारी घाटे के विकट क्षणों में अपना सोना बेचने की बात का निर्णय लिया हो। 500 करोड़ रुपये का सरकारी सोना जिसे हमने आम जनता से बुरे दिनों में लिया था सरकार उसे आज विदेशों को जेवरात के रूप में बेचना चाहती है। यह दिवालियेपन का सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि एक बार हम सोना बेच देंगे तो बुरे दिनों में हम किस पर निर्भर करेंगे। हमारे पास 4000 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा है जिसके द्वारा हम विश्व में कोई भी चीज खरीद सकते हैं। फिर सरकार सोना क्यों बेचना चाहती है? सोना एक राष्ट्रीय सम्पत्ति है, जिसका अपव्यय नहीं किया जाना चाहिये।

1030 करोड़ रुपये में से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यय किया जायेगा और शेष उद्योगों पर। इस प्रकार सरकार औद्योगिक विकास को कैसे प्रोत्साहन देगी? पहले ही औद्योगिक विकास की दर घट गई है।

बजट दिशाहीन है। यह हतोत्साहित करने वाला है। संक्षेप में यह बजट देश को दिवालियेपन की ओर अग्रसर करता है।

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich): The Country's economy had been taken towards a wrong direction during the last 30 years. It is for the first time that the budget has given a correct direction to it. The economic policies pursued earlier have benefited only urban areas and 20—22 big houses. The first great achievement of the Janata Party is that it has given a correct direction to our economic policies.

Janata Party has paid heed to the rural areas. There is a provision of Rs. 1754.24 crores for rural area i.e. 40.2 per cent of the budget has been allocated for the development of rural areas.

The budget has paid special attention to irrigation, power, fertilizers and dry-farming. It is proposed to spend Rs. 115 crores on construction of roads to link villages with main roads.

There are a large number of villages which have no provision of drinking water for the people. It had been decided to provide drinking water to people in all these villages. It is really welcome.

The levies on electricity and coal will lead to increase in prices. This will also adversely affect agricultural production. This matter should be considered and some relief should be provided.

The greatest problem which our industries face is accumulation of stocks. Unless the people have purchasing power these stocks will not be lifted and our industries will not progress. Therefore, development of rural areas would help our industrial growth, because purchasing power of rural people will increase.

This budget has paid special attention to dairy development. We wanted to usher in white revolution. Milk will be a good substitute for foodgrains in times of need. A sum

of Rs. 500 crores will be spent on dairy development which will provide employment to about 40 lakh people.

Farmers are not getting remunerative prices for their produce. There should be parity between prices of agricultural products and industrial goods.

Cottage industries will help in providing employment to people. The Government should provide some marketing facilities at block level so that goods produced by cottage industries are purchased.

There has been some criticism of sale of gold by Government. Government has allowed export of gold ornaments. Gold which is available at cheaper price in foreign countries will be imported. It is not that the Government will not keep any gold.

Family Planning is of great importance. The allocation being made for family planning is inadequate. It should be increased.

Multinationals will do a great harm to the interests of the country. They will kill our industry. We should indianise all multinationals. Also these companies should not be allowed to manufacture consumer goods.

We have to demarcate spheres of production for big industry and cottage industry. Only then it will be possible to give protection to our cottage industry.

The policy on advertisements will help multinationals and would adversely affect new industries. Attention should be paid to this matter so that new industries are protected.

The amount of Rs. 96 crores for helping scheduled castes, scheduled tribes and backward classes is inadequate. It should be increased. Also economic criteria should be adopted for determining backwardness.

There is need for paying more attention to education. Unless our education develops, we could not build up national character.

Nationalisation cannot do good in a democracy. We should go in for socialisation. If there is social control of our factories and workers are given share in the management there will be great progress.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Sikar) · This is a year of challenge for the Government and Janata Party. The people want the Government to achieve certain results through the budget. They want to judge the performance of the Janata Party. The people now do not want to talk about restoration of freedom and independence of judiciary. They want some action to meet the aspirations of the people.

In 1977-78 we cannot spend Rs. 230 crores earmarked for planned development but non-plan expenditure increased by Rs. 118 crores. This is a cause for concern.

This year's Budget has made a big provision for providing employment in rural areas Such a huge provision has never been made earlier. We should not call it superfluous Budget as it had been called by its critics. As a matter of fact it is a supper Budget. It will create employment in rural areas. It can be called employment-oriented Budget.

There has been criticism of levies on electricity and coal. Coal was nationalised by the previous Government but coal India Ltd. was incurring losses. This loss will have to be made good by the Government. An attempt has been made to make up this loss through a budgetary provision. The Government should see to it that our public enterprises do not incur losses. Unless that is done the burden on our national exchequer will not decrease.

The same is the position with electricity. All electricity boards are incurring losses. Either the boards should increase their charges or States exchequer should make up the losses. We should improve the administration of electricity boards and also take steps to check leakage of electricity so that losses suffered by boards do not impose burden on state exchequer.

It is gratifying that levy on electricity will not affect agriculture. The Government reserves our thanks for this.

The Finance Minister has given exemption upto Rs. 5 lakhs to small scale sector with turn over of Rs. 15 lakhs. Either this exemption should be upto 15 lakhs or steps should be taken to check malpractices which might be resorted to in order to avail of this exemption.

The Government should give advertisements to small newspapers at district or tehsil level. The tax on advertisement expenditure is justified.

The gold policy of the former government had affected goldsmiths. The Government has given them some loan. They can not use that loan for industrial purposes. Those loans should either be written off or should be realised in such a manner as do not cause hardships to goldsmiths.

डा० वी० ए० सईद मोहम्मद (कालीकट) : बजट के साथ-साथ आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। आतौर पर बजट और आर्थिक सर्वेक्षण से निराशा ही हाथ लगी है। एक समाचार पत्र ने तो बजट को लोगों के प्रति धोखा बताया है। अन्य कई पत्रों ने भी इसकी तीखी आलोचना की है। जनता पार्टी के सर्वविदित दर्शन के अनुरूप हमें उनसे इससे बेहतर बजट की आशा ही नहीं थी।

पिछले बजट में 84 करोड़ रुपये का घाटा तो अनुमानित था लेकिन वह 975 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस वर्ष इसके 1050 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इतना अधिक घाटा पहले कभी नहीं हुआ और ऐसे अविश्वमनीय आंकड़े भारत के इतिहास में देखने को नहीं मिलेंगे। यह घाटा उन लोगों की ओर से दिखाया गया है जो यह कहते थे कि हम घाटे के बजट का कभी आश्रय नहीं लेंगे। इस सम्माननीय सभा के समक्ष वित्त मंत्री ने घाटे की वित्त व्यवस्था के दोष और उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया था। पर अब क्या कहें। इनकी तो कथनी और करनी में महान अन्तर है।

जनता पार्टी लघु उद्योगों के विकास का रोना रो रही है लेकिन वास्तविकता क्या है? जूता उद्योग बिल्कुल नष्ट हो गया है। छोटे इस्पात उद्योग भी तकरीबन नष्ट हो गए हैं। ढलाई उद्योग भी खटाई में पड़ा है। चमड़ा निर्यात भी कम होता जा रहा है।

गत वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ ऐसे तथ्यों का हवाला दिया गया जिनसे यह पता चलता है कि पिछले वर्ष का बजट कितना फोकट, अर्थहीन और खतरनाक था। गत छह महीनों में औद्योगिक उत्पादन 10.4 प्रतिशत से गिरकर 5.2 प्रतिशत हो गया है। पहले तीन महीनों के दौरान मूल्य वृद्धि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में तिगुनी हुई।

सरकार मुद्रा सप्लाई में कमी के लिए श्रेय लेना चाहती है। लेकिन उनका यह दावा निराधार है और इसका कोई औचित्य नहीं है क्योंकि बैंकों की विदेशी मुद्रा आस्तियां तथा सरकार को बैंकों की ओर से देय राशि बिल्कुल बराबर हो गई है। इन्हीं उपरोक्त कारणों से मुद्रा सप्लाई में कमी हुई है।

सरकार ने विकास दर में 5 प्रतिशत वृद्धि का दावा किया है, लेकिन यह सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई किसी विशिष्ट नीति अथवा कार्यक्रम का परिणाम नहीं। यह अच्छी वर्षा का परिणाम है।

संचित विदेशी मुद्रा और 11 करोड़ 70 लाख टन खाद्यान्नों का स्टाक भूतपूर्व सरकार की उपलब्धि है और हमने यह स्टाक इस सरकार के सुपुर्द किया था। वास्तव में इस स्टाक का उपयोग करने और आगे बढ़ाने के बजाय सरकार मात्र उलझी हुई है उसे समझ नहीं आ रहा

कि इसका क्या किया जाए ? सरकार हमें बताए, कि इस संचित विदेशी मुद्रा का उपयोग वह किस प्रकार करेगी ?

उत्पाद शुल्क के सम्बंध में काफी कुछ कहा गया है । हमारा उत्पाद शुल्क का ढांचा यथा मूल्य था, विशिष्ट नहीं और अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार यथा मूल्य /शुल्क में वृद्धि मुद्रा स्फीति की ओर अग्रसर करती है । आन्दोलन शुरू हो गये है और शिकायतें भी की जा रही हैं । इस सम्बंध में विवरण भी दिया गया है । यदि यही स्थिति बनी रही और उप्पाद शुल्क जारी रखा गया तो इंजीनियरिंग उद्योग बिल्कुल नष्ट हो जाएगा ।

कई सदस्यों ने यह बताया है कि किस प्रकार यह बजट गरीबों और निम्न मध्यवर्ग के लोगों पर भार बढ़ाएगा । निश्चय ही यह बजट निर्धन तथा निम्न मध्य-वर्ग के लोगों का दमन करने वाला है और इसकी सहायता से धनवानों को और अधिक धन एकत्र करने में सहायता मिलेगी ।

श्री स्कारिया थामस (कोट्टायम) : भारत के इतिहास में घाटे का बजट कोई नई और अद्‌भुत घटना नहीं है । लेकिन किसी भी वित्त मंत्री द्वारा अब तक ऐसा बजट पेश नहीं किया गया जिसमें इतना भारी घाटा दिखाया गया हो । वर्तमान वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में एक नया उदाहरण कायम किया है । यदि गत वर्ष घाटे के बारे में सौ करोड़ रुपये से कम का अनुमान लगाया गया था तो वर्ष के अन्त तक वास्तविक घाटा अनुमानित घाटे से दस गुना अधिक हुआ है । इस दर से 1052 करोड़ रुपये का अनुमानित घाटा वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक दस गुना बढ़ जाएगा ।

इस बजट का बम्बई के बड़े-बड़े फिल्म उद्योग पतियों तथा स्वर्ण व्यापारियों द्वारा स्वागत किया गया है । यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि इससे आम आदमी को राहत पहुंचेगी । उत्पाद शुल्क म वृद्धि के परिणामस्वरूप आम आदमी के उपयोग की प्रत्ये वस्तु के दाम बढ़ जायेंगे । आम आदमी का छोटे साइज के फ्रिज पर घटाए गए उत्पाद शुल्क से कोई सरोकार नहीं है । पैट्रोल, मिट्टी का तेल, कोयला इत्यादि वस्तुओं पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क से साधारण आदमी प्रभावित होगा ।

जहां तक बिजली का सम्बंध है, केरल के लोग जो समृद्धि की ओर बढ़ना चाहते हैं और जिन्हें पर्याप्त कोयला और इस्पात नहीं मिल रहा वह बिजली पर बढ़ाए गए उत्पाद शुल्क से बहुत निराश हुए हैं । बिक्री कर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को 23 करोड़ रुपया और देना पड़ेगा । स्थिति तभी सुधर सकती है जबकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में परिवर्तन किया जाए ।

आम जनता सरकार से यह अपेक्षा कर रही थी कि वह पैट्रोल की कीमतों में थोड़ी कमी करेगी । पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि करके उन्होंने केरल के लोगों को निराश किया है । वह यह सोचते थे कि बम्बई हाई से तेल उपलब्ध होने के कारण पैट्रोल की कीमतों में कुछ कमी होगी ।

जब जनता सरकार सत्ता में आई थी तो उन्होंने यह घोषणा की थी कि वह दस वर्षों के भीतर बेरोजगारी की समस्या को हल कर लेंगे । लेकिन तब से शिक्षित बेरोंजगारों की संख्या पचास हजार बढ़ गई है । इस बजट में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है ।

बजट के घाटे को पूरा करने के लिये वह सरकारी स्टाक का सोना बेचने की सोच रहे हैं। यदि घाटा इसी दर से चलता रहा तो सारा सोना बिक जाने के बाद वह बजट का घाटा कैसे पूरा करेंगे ? यदि इसी तरह चलता रहा तो देश के प्रशासन को चलाने के लिये उन्हें देश की भूमि का कुछ भाग भी बेचना पड़ेगा और यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है ।

SHRI S. S. DAS (Sitamarhi) : Sir, I welcome this first Budget of Janata Party. The last Budget was only presented by the Janata Party, its entire frame-work having been prepared by the former Government. While considering this Budget we have to examine whether it is in accordance with the election manifesto of the Janata Party and the economic and industrial policy propounded by its national executive.

The present economic set up in the country is the continuation of the set up of the old colonial economy. From the political point of view, colonolism has been ended but in the internal economy of the country the process of colonial exploitation is continuing. That is why Bihar, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh and many other regions have remained undeveloped whereas the organised sector is flourishing and exploiting the rural disorganised sector.

M. CHAIRMAN : He may continue tomorrow.

तत्पश्चात लोक सभा, बुधवार, 15 मार्च 1978/24 फाल्गुन, 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock in Wednesday, March 15 1978/ Phalguna 24, 1899 (Saka).

145LSS/78—GIPF.